राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली

मार्ग दर्शक संकलित प्रारूप
संयुक्त गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा
प्रशिक्षण संस्थान सरघीण,
जिला शिमला – 171013 (हि. प्र.)
दूरभाष : 0177 – 2751728

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

Preparedness
DISASTER
Response
Recovery
Mitigation

Help

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

दिशानिर्देश

दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली

विषय–सूची

अध्याय क्रं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	संक्षेपाक्षर	1-4
2.	शब्दावली	5-9
3.	कार्यपालक सारांश	10-16
4.	संस्थागत एवं कानूनी व्यवस्थाएं	17-29
5.	दुर्घटना अनुक्रिया व्यवस्था का सिंहावलोकन	30-44
6.	आपदा अनुक्रिया प्रबंधन	45-68
7.	दुर्घटना कमांडर एवं कमांड स्टॉफ	69-74
8.	सामान्य स्टॉफ	75-76
9.	प्रचालन अनुभाग	77-100
10.	योजना अनुभाग	101-108
11.	संभार–तंत्र अनुभाग	109-121
12.	कार्य बिंदुओं के सार	122-128
13.	अनुलग्नक	129-142

संक्षेपाक्षर

एएआर	आफ्टर ऐक्शन रिपोर्ट
एसी	क्षेत्र कमांडर
एडीसी	अपर जिला जिलाधीश
एडीएम	अपर जिला मजिस्ट्रेट
एआईडीएस	एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम
एटीएफ	एविएशन टरबाइन फ्यूल
आरबीडी	कार्रवाई शाखा निदेशक
बीडीओ	खंड विकास अधिकारी
सीबीडीएम	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन
सीबीओ	समुदाय आधारित संगठन
सीबीआरएन	रासायनिक, जैविक, रेडियाधर्मी एवं नाभिकीय
सीसीएमएनसी	प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन मत्रिमंडल समिति
सीसीएस	सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति
सीडी	नागरिक सुरक्षा
सीडीआरएन	कॉरपोरेट आपदा संसाधन नेटवर्क
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीएम	मुख्य प्रबंधक
सीएमजी	संकट प्रबंधन समूह
सीएमओ	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सीओ	मंडल अधिकारी
कॉम./सीयूएल	क्षतिपूर्ति/दावा यूनिट लीडर
सीपीएमएफ	केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल
सीआरएफ	आपदा राहत निधि
सीएस	मुख्य सचिव
काम. यूएल	संचार यूनिट लीडर
सीयूएल	लागत यूनिट लीडर
डीएई	परमाणु ऊर्जा विभाग
डीसी	उपायुक्त
डीडीएमए	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
राष्ट्रीय	आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश : दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली
डीआईपीआरओ	जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी
डीएम	आपदा प्रबंधन
डीपी	प्रर्दशन संसाधक
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी

डीआरओ	जिला राजस्व अधिकारी
डीएसएस	निर्णय सहायक प्रणाली
डीटीओ	जिला राजकोष अधिकारी
डीयूएल	प्रलेखन यूनिट लीडर
डीवाई	उप
ईओसी	आपातकालीन शल्य केंद्र
ईएसएफ	आपातकालीन सहायता कार्य
ईटीए	आगमन का अनुमानित समय
एफबी	वित्त शाखा
एफबीडी	वित्त शाखा निदेशक
एफसी	वित्त कमीशन
एफओ	क्षेत्र प्रेक्षक
एफयूएल	खाद्य यूनिट लीडर
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	भौगोलिक स्थिति प्रणाली
जीएसयू	जमीनी सहायता यूनिट
जीएसयूएल	जमीनी सहायता यूनिट लीडर
एचई	वह (पुरूष) /वह (स्त्री)
एचआईएस	उसका/उसकी
एचआईएम	उसका/उसकी
एचएलसी	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
एचक्यू	मुख्यालय
आईएपी	घटना कार्रवाई योजना
आईसी	घटना कमांडर
आईसीपी	घटना कमांडर पोस्ट
आईसीएस	घटना कमांड प्रणाली
आईडीकेएन	भारतीय आपदा जानकारी नेटवर्क
आईडीपी	आपदा डिमोबलाइजेशन योजना
आईडीआरएन	भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क
आईएमडी	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आईएमजी	अंतर मंत्रालयी समूह
आईएमओ	सूचना एंड मीडिया अधिकारी
आईआरएस	घटना कार्रवाई प्रणाली
आईआरटी	घटना कार्रवाई टीम
आईएसएस	घटना स्थिति सार
जेटी	संयुक्त

एलबीएसएनएए	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एलओ	संपर्क अधिकारी
एलजी	उप राज्यपाल
एलएस	संभार–तंत्र अनुभाग
एलएससी	संभार–तंत्र अनुभाग प्रमुख
एमबीओ	उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमयूएल	चिकित्सा क्षेत्र समिति
एनसीसी	राष्ट्रीय कैडेट कोरप
एनसीसीएफ	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एनसीएमसी	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई दल
एनईसी	राष्ट्रीय कार्यपालक समिति
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईडीएम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एनओ	नोडल अधिकारी
एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनवाईकेएस	नेहरू युवा केंद्र संगठन
ओएस	कार्य अनुभाग
ओएससी	कार्य अनुभाग प्रमुख
पीडी	परियोजना निदेशक
पीएचडी	लोक स्वास्थ्य विभाग
पीओएल	पेट्रोल, ऑयल एवं लुब्रिकेंट्स
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
पीएस	योजना अनुभाग
पीएससी	योजना अनुभाग प्रमुख
पीयूएल	प्रापण यूनिट लीडर
पीडब्ल्यूडी	लोक कार्य विभाग
आरबी	कार्रवाई शाखा
आरबीडी	कार्रवाई शाखा निदेशक
आरसी	राहत कैंप
आरओ	उत्तरदायी अधिकारी
आरपीयूएल	संसाधन प्रावधानन यूनिट लीटर
आरटीआई	प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थान
आरयूएल	संसाधन यूनिट लीडर
एसए	स्टेजिंग एरिया

एसएएम	स्टेजिंग एरिया मैनेजर
एसबीडी	सेवा शाखा निदेशक
एसडीएम	उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट
एसडीएमए	स्थिति आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एसडीओ	उप–मंडलीय अधिकारी
एसडीआरएफ	स्थिति आपदा कार्रवाई दल
एसईसी	स्थिति कार्यपालक समिति
एसओ	सुरक्षा अधिकारी
एसओपी	मानक प्रचालन पद्धतियां
एसपी	पुलिस अधीक्षक
एसयूएल	स्थिति यूनिट लीडर
सुप. बीडी	सहायक शाखा निदेशक
टीबी	ट्रांसपोर्टेशन शाखा
टीबीडी	ट्रांसपोर्टेशन शाखा निदेशक
टीएस	तकनीकी विशेषज्ञ
टीयूएल	टाइम यूनिट लीडर
यूसी	यूनिफाइड कमांड
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूएन	संयुक्त संघ
यूएसएआईडी एजेंसी	अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसएफएस	संयुक्त राज्य वन सेवा
यूटी	यूनियन टेरिटरी

शब्दावली

शाखा : घटना प्रचालनों के मुख्य खंडों के लिए कार्यात्मक/भौगोलिक जिम्मेदारी वाला संगठनात्मक स्तर। शाखा स्तर का प्रयोग प्रचालनों एवं संभार–तंत्र में किया जाता है और अनुभाग, प्रभाग/समूह और इकाई के बीच संगठनात्मक रूप से कार्य किया जाता है।

कमांड : स्पष्ट कानूनी / विधिक प्रत्यायोजित प्राधिकार की हैसियत से निर्देशन, समन्वयन, आदेश देने तथा संसाधनों को नियंत्रित करने का कार्य। कमान स्टाफ़ : कमान स्टाफ़ में सूचना अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी और संपर्क अधिकारी आते हैं। वे सीधे दुर्घटना कमांडर को रिपोर्ट करते हैं तथा उनके पास सहायक हो सकते हैं। कमान स्टाफ़ के अधीन सहायक संगठन हो सकते हैं या नहीं हो सकते।

जटिल घटना : एक ही सामान्य क्षेत्र में घटित हुई दो या दो से अधिक अलग–अलग घटनाएं, जो एक ही घटना कमांडर या एकीकृत कमान को सौंपी/नियत की जाती हैं।

उप : एक योग्यता प्राप्त व्यक्ति जिसे वरिष्ठ की अनुपस्थिति में कार्यात्मक प्रचालन का प्रबंध करने या किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्राधिकार प्रत्यायोजित किया / दिया जा सकता है। उप अधिकारियों को घटना कमांडर, सामान्य स्टाफ तथा शाखा निदेशक के कार्य सोंपे जा सकते हैं।

प्रभाग : प्रभागों का प्रयोग दुर्घटना को प्रचालनों के भौगोलिक क्षेत्रों में बांटने के लिए किया जाता है। प्रभाग को तब भी स्थापित किया जाता है जब संसाधनों की संख्या प्रचालन अनुभाग अध्यक्ष के नियंत्रण की अवधि को पार कर जाती है। प्रभाग को शाखा एवं टास्क फोर्स/स्ट्राइक टीम के बीच दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली संगठन के साथ निर्धारित किया जाता है।

वित्त शाखा : वित्त शाखा घटना से संबंधित लागत, कार्मिक एवं उपकरण के अभिलेखों पर दृष्टि रखती है, तथा दुर्घटना या घटना से जुड़े प्रापण ठेकों की व्यवस्था करती है। वित्त शाखा संभार–तंत्र अनुभाग में स्थित है।

सामान्य कर्मचारी–वर्ग : घटना प्रबंधन कार्मिकों का समूह जो घटना कमांडर को रिपोर्ट करता है। प्रत्येक के पास डिप्टी हो सकता है, जैसा कि आवश्यकता हो। सामान्य

कर्मचारी—वर्ग में प्रचालन अनुभाग अध्यक्ष, योजना अनुभाग अध्यक्ष एवं संभार—तंत्र अनुभाग अध्यक्ष आते हैं।

हेलीबेस : सामान्य घटना क्षेत्र के भीतर हेलीकॉपटरों को पार्क करने, ईंधन भरने, मरम्मत करने तथा भारण के लिए मुख्य स्थान। हेलीबेस आमतौर पर घटना बेस या नजदीकी स्थान पर होता है।

हेलीस्पॉट : हेलीकाप्टरों के लिए एक अस्थायी लैंडिंग स्थान।

घटना : मानव जनित या प्राकृतिक घटना जिसमें जान को बचाने या नुकसान को कम करने या संपत्ति के नुकसान को कम करने या प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए आकस्मिक सेवा कार्रवाइयों की आवश्यकता होती है।

घटना कार्रवाई योजना : उद्देश्यों सहित योजना, जो एक प्रचालन अवधि के लिए समग्र घटना रणनीति एवं विशेष युक्तिक कार्रवाइयों और मददगार सूचना को दर्शाती है। योजना मौखिक या लिखित हो सकती है। जब योजना लिखित होती है, तो उसके साथ कई अनुलग्नक होते हैं जिसमें घटना उद्देश्य, प्रभाग समनुदेशन सूची, घटना रेडियो संचार योजना, चिकित्सा योजना, यातायात योजना, सुरक्षा योजना, घटना मानचित्र आदि शामिल होते हैं।

घटना बेस : वह स्थान जहाँ प्राथमिक संभार—तंत्र कार्य समन्वित और व्यवस्थित किए जाते हैं। घटना बेस कमांड पोस्ट या अन्य घटना सुविधाओं के साथ सह—स्थापित किए जा सकते हैं।

घटना कमांडर पोस्ट : वह स्थान जहाँ पर प्राथमिक कमांड कार्यों को निष्पादित किया जाता है। घटना कमांड पोस्ट को घटना आधार या अन्य घटना सुविधाओं के साथ सह—स्थापित किया जा सकता है।

घटना कमांडर : वह व्यक्ति, जो घटना स्थल के सभी घटना प्रचालनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।

घटना कार्रवाई प्रणाली : सामान्य संगठनात्मक ढाँचे के अंतर्गत प्रचालित सुविधाओं, उपकरण कार्मिक, क्रियाविधि तथा संचार का संयोजन जिसकी घटना से संबंधित उद्देश्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए निर्धारित संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है।

घटना कार्रवाई टीम : किसी घटना का प्रबंधन करने के लिए समनुदेशित घटना कमांडर एवं उपयुक्त सामान्य या कमांड स्टाफ़ कार्मिक।

घटना उद्देश्य : संसाधनों की उचित रणनीतियों एवं युक्तिक निदेशों के चयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन तथा निदेशन। घटना उद्देश्य जब सभी निर्धारित संसाधन प्रभावी रूप से तैनात किए जा चुके हैं तब क्या पूरा किया जा सकता है, की यथार्थ संभावनाओं पर आधारित होते हैं।

प्रकार/वर्ग : प्रकार/वर्ग से तात्पर्य उपकरण, वाहन या कार्मिक है उदाहरण के लिए ट्रक, चिकित्सा दल, बुलडोजर आदि

संभार–तंत्र अनुभाग : संभार–तंत्र अनुभाग सभी घटना या घटना से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सेवाएं तथा सहयोग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रचालन अनुभाग की टास्क फोर्स/स्ट्राइक टीम का गठन करने तथा घटना कार्रवाई योजना में अभिकल्पित विभिन्न लक्ष्य स्थानों तक संसाधनों को भेजने में मदद करता है। संभार–तंत्र अनुभाग की तीन शाखाएं होती हैः सेवा शाखा, मदद शाखा एवं वित्त शाखा।

शाखा निदेशक : अनुभाग के अध्यक्ष के अधीन अधिकारी, जो शाखा के लिए उचित घटना कार्रवाई योजना को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होता है।

प्रचालन अवधि : घटना कार्रवाई योजना में विनिर्दिष्ट युक्तिक कार्रवाइयों के सेट को निष्पादित करने की समयावधि। प्रचालन की विभिन्न अवधियां, प्रायः 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती है।

प्रचालन अनुभाग : प्रचालन अनुभाग घटना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक युक्तिक कार्यवाड़ियों को निदेशित करने के लिए जिम्मेदार होता है।

योजना अनुभाग : योजना अनुभाग घटना सूचना को एकत्र करने, मूल्यांकन करने तथा प्रदर्शित करने, संसाधनों को व्यवस्थित करने तथा उस पर दृष्टि (ट्रैक) रखने एवं घटना कार्यवाही योजना को तैयार करने एवं घटना से संबंधित प्रलेखन को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। वे और अधिक संसाधनों की आवश्यकता का भी मूल्यांकन करेंगे एवं घटना कमांडर को सूचित करेंगे।

योजना बैठक : घटना नियंत्रण प्रचालनों एवं सेवा तथा मदद योजना के लिए विशेष रणनीति और युक्तियों के चयन के लिए घटना की संपूर्ण अवधि के दौरान आवश्यकता पड़ने पर बुलाई गई बैठक।

जिम्मेदार अधिकारी : जिम्मेदार अधिकारी राज्य एवं जिला प्रशासन के उपक्रम में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव (एसईसी का अध्यक्ष) तथा जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रट/जिला कलेक्टर (डीडीएमए का अध्यक्ष) जिम्मेदार अधिकारी होगा। यह अधिकारी संबंधित प्रशासनिक स्तरों पर आकस्मिक कार्रवाई के प्रबंधन के लिए समग्र प्रभारी होता है।

संसाधन : घटनाओं के संबंध में कार्रवाई करने के लिए निर्धारित कार्मिक, उपकरण, उपलब्ध सेवाएं और आपूर्तियां, या संभावित रूप से उपलब्ध। अनुभाग घटना प्रचालनों के प्राथमिक घटकों जैसे प्रचालन, योजना एवं संभार–तंत्र के लिए कार्यात्मक जिम्मेदारी रखने वाला एक संगठनात्मक स्तर।

एकल संसाधन : एक वैयक्तिक या उपकरण का एक भाग तथा व्यक्तियों के कार्मिक या कर्मीदल या टीम जिनके साथ एक अभिन्न पर्यवेक्षक होता है और जिनका प्रयोग घटना की कार्रवाई के लिए किया जा सकता है।

स्टेजिंग एरिया : ऐसा क्षेत्र जो संसाधनों को एकत्र करने के लिए निश्चित एवं व्यवस्थित किया गया है। यह उस स्थान पर होता है जहाँ से संसाधनों को युक्तिक समनुदेशन के लिए नियोजित किया जाता है। स्टेजिंग एरिया प्रचालन अनुभाग के अधीन होता है।

स्ट्राइक टीम : एक ही 'वर्ग' और 'प्रकार' के संसाधनों का विशिष्ट संयोजन जिसके साथ सामान्य संचार एवं एक लीडर होता है।

स्ट्राइक टीम लीडर : वह व्यक्ति जो स्ट्राइक टीम को दिए गए युक्तिक समनुदेशनों को पूरा करने के लिए प्रभाग पर्यवेक्षक या समूह प्रभार के लिए जिम्मेदार होता है।

युक्ति : रणनीति द्वारा समनुदेशित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी घटना पर संसाधनो को नियोजित एवं निर्देशित करना।

टास्क फोर्स : सामान्य संचार एवं एक लीडर के साथ संसाधनों के विभिन्न वर्ग एवं प्रकार का एक समूह जो विभिन्न गतिविधियों को शामिल करते हुए एक विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से एकत्र किया गया है।

प्रकार : अन्य प्रकार की तुलना में संसाधन की क्षमता। प्रकार 1 का तात्पर्य प्रायः शक्ति, आकार या क्षमता के आधार पर उच्चतर क्षमता से है।

इकाई : संगठनात्मक घटक जिसकी विशिष्ट घटना योजना, संभार–तंत्र या वित्तीय गतिविधि के लिए कार्यात्मक जिम्मेदारी हो।

कार्यपालक सार

पृष्ठभूमि

भारत विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव–जनित आपदाओं से असुरक्षित है जो देश के विकास में बाधा डालती है। आपदाओं में कार्रवाई के प्रबंधन के बडी संख्या में कार्य करने के लिए प्रशासनिक ढांचे, नागरिक समाज एवं इसके विविध संस्थानों की आवश्यकता होती है। कार्रवाई प्रबंधन में शामिल होने वाले क्रियाकलाप आपदा की प्रकृति एवं प्रकार पर निर्भर होते हैं। यह देखा गया है कि आपदाओं के समय में, संसाधनों की कमी के अलावा, विविध एजेंसियों के बीच समन्वयन की कमी होती है तथा विविध हितधारकों के बीच भूमिकाओं की स्पष्टता के अभाव में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि कार्रवाई सुनियोजित है और हितधारक प्रशिक्षित हों, तो तदर्थ उपायों की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा कार्रवाई सहज एवं प्रभावी होगी। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य विविध कार्यभारों (ड्यूटियों) को पूरा करने के लिए अधिकारियों को पूर्व–पदनामित करना तथा साथ ही साथ उनको उनकी संबंधित भूमिकाओं में प्रशिक्षित करना है।

कार्रवाई में कुछ कमियों के अहसास और संवेदनशील/नाजुक अंतर को खत्म करने की इच्छा ने भारत सरकार (जीओआई) को विश्व के श्रेष्ठ प्रयोगों का अवलोकन करने एवं घटना कमांड प्रणाली (आईसीएस) को अपनाने के लिए मार्गदर्शन किया है।

घटना कमांड प्रणाली (आईसीएस) में उन सभी कार्यों को शामिल किया जाता हैं, जो किसी भी आपदा या घटना के मामले में पूरे किए जा सकते हैं। इसमें सभी संभव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न अनुभागों के साथ एक पूरी टीम की परिकल्पना की गई है। यदि आईसीएस को स्थापित किया जाता है और हितधारक अपने संबंधित कार्यों एवं भूमिकाओं में प्रशिक्षित होते हैं तो यह वास्तविक घटना प्रबंधन के दौरान अव्यवस्था तथा संभ्रम /व्याकुलता को कम करने में मदद करता है तथा सभी शामिल लोग जानेंगे कि कौन सी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है, कौन इन्हें पूरा करेगा, संसाधन कहाँ है तथा कौन कमांड में है, आदि।

आईसीएस एक लचीली प्रणाली है तथा एक समय में प्रत्येक स्थिति में इसके सभी अनुभागों को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर केवल आवश्यक अनुभागों को ही प्रचालित किया जा सकता है। यह प्रणाली परिकल्पना करती है कि भूमिकाओं एवं कार्यों को पहले से ही निर्धारित किया जाएगा, कार्मिकों को चिन्हित किया जाएगा तथा उन्हें उनकी संबंधित भूमिकाओं एवं कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

इस प्रणाली की कई लाभप्रद विशेषताएं हैं जैसे 1) उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, 2) कमांड की एकता एवं श्रृंखला, 3) कमांड का स्थानांतरण, 4) संगठनात्मक लचीलापन, 5) नियंत्रण की प्रबंधन की जाने योग्य अवधि, 6) क्षेत्र कमांड, 7) एकीकृत कमांड, 8) सामूहिक शब्दावली, 9) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व / जवाबदेही, 10) एकीकृत संचार, 11) योजना एवं व्यापक संसाधन संग्रहण, परिनियोजन एवं असंग्रहण, 12) घटना कार्रवाई योजना, 13) सूचना प्रबंधन, 14) प्रारूप (फार्म) एवं आरूप (फार्मेट) द्वारा संपूर्ण कार्रवाई गतिविधियों का समुचित प्रलेखन, 15) कार्रवाइयों की सुरक्षा, 16) मीडिया प्रबंधन एवं 17) एजेंसी समन्वयन।

आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 तथा देश के विद्यमान प्रशासनिक ढाँचे को ध्यान में रखते हुए आईसीएस में भारतीय संदर्भ में कुछ संशोधन एवं अनुकूलन/रुपान्तर की आवश्यकता है। भारत में घटना कार्रवाई प्रणाली में राष्ट्र, राज्य, जिला, संघ राज्य–क्षेत्र एवं महानगर स्तर पर विविध सरकारी विभागों के प्रशासक मुख्य हितधारक हैं। गैर–सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, नागरिक सुरक्षा (सीडी) के स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई दल, जिला आपदा कार्रवाई दल के कार्मिकों एवं समुदाय आदि की भूमिकाओं को भी कार्रवाई ढाँचें में सावधानीपूर्वक एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। अतः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आईसीएस को पूर्णतया स्वदेशी बनाने का निर्णय लिया ताकि यह देश के प्रशासनिक ढाँचे के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके तथा भारत में कार्रवाई प्रणाली दृढ़ तथा मानकीकृत हो।

अंगीकृत/अपनाई गई कार्यप्रणाली

घटना कमांड प्रणाली को अपनाने तथा इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक उचित रणनीति विकसित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने एक कोर समूह की स्थापना की जिसकी प्रथम बैठक 16 अप्रैल, 2008 को आयोजित हुई। इसमें घटना कमांड प्रणाली प्रायोगिक राज्यों के प्रतिनिधि, छह एटीआई, जो देश में घटना

कमांड प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, गृह मंत्रालय (एमएचए), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलएनबीएसएनएए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, (एनआईडीएम), अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी (यूएसएआईडी) तथा विषय से संबंधित अन्य विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया।

घटना कमांड प्रणाली के मूल पाठ की रूपरेखा पर दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया गया। कोर समूह की दूसरी बैठक 17 मई 2008 को प्रारूप दिशानिर्देशों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई तथा सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों (यूटी), महानगरीय शहरों से प्रतिसूचना (फीड बैक) प्राप्त करने के लिए चार प्रादेशिक परामर्श कार्यशाला आयोजित करने तथा उसके द्वारा दिशानिर्देशों को विधिमान्य करने का निर्णय लिया गया। इन प्रादेशिक परामर्श कार्यशालाओं द्वारा विचारों एवं सुझावों को एकत्रित किया गया ताकि इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए उन्हें संकलित किया जा सके। संकलन के पश्चात, कोर समूह तथा विस्तारित कोर समूह की कई सभाएँ बाद में आयोजित की गई तथा घटना कमांड प्रणाली को उचित रूप से भारतीय संदर्भ में अपनाया गया एवं दिशानिर्देशों का एक परिशोधित सेट तैयार किया गया।

प्रकाशन के पूर्व पुनरीक्षित दिशानिर्देशों को पुनः अंतिम रूप से राष्ट्रीय आपदा संस्थान, गृह मंत्रालय, एमओडी, एनआईडीएम, राज्य सरकारों, प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य एटीआई, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, यूएसएआईडी तथा देश के अन्य हितधारकों द्वारा पुनरीक्षित किया गया। पुनः प्राप्त की गई टिप्पणियों एवं सुझावों को एकीकृत किया गया। इसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों जिसे घटना कार्रवाई प्रणाली कहा गया, के रूप में जारी किया गया है।

ये दिशानिर्देश केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारी विभागों, राज्य एवं जिला प्रशासनों को प्रभावी एवं सु–समन्वित कार्रवाई के लिए निदेश तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

घटना कमांड प्रणाली सरकार के सभी स्तरों पर प्रशासनिक तंत्र का मार्गदर्शन करने के लिए सहभागी, सु–संरचित, असफलता से सुरक्षित, बहु–अनुशासनिक, बहु–वैभागिक तथा व्यवस्थित पहुँच प्रदान करता है। यह कार्रवाई गतिविधियों में बिना व्यवधान के कार्य करने के लिए निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, सीबीओ, पीआरआई तथा समुदायों को कार्य–क्षेत्र भी

प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आईसीएस के समान, आईआरएस को भारत में आपदा के आकार, स्थान, प्रकार एवं जटिलता पर विचार किए लागू किया जा सकता है।

घटना कमांड प्रणाली सभी घटनाओं, प्राकृतिक या मानव—जनित पर लागू है। इस प्रकार इसकी कार्यप्रणाली ऐसी दुर्घटनाओं, जिन्हें वर्तमान प्रणाली, जैसे— आतंकवाद (जवाबी विद्रोह), कानून व्यवस्था स्थितियाँ, श्रेणीगत बम ब्लास्ट, अपहरण, वायु दुर्घटनाएँ, रसायन, जैविक, रेडियोधर्मी एवं नाभिकीय आपदाएँ (सीबीआरएन), खान आपदाएँ, बंदरगाह आपातकाल, दावानल, तेल क्षेत्र आग एवं तेल रिसाव, द्वारा प्रबंधित किया जाता है, को भी संभालने में उतनी ही लाभदायक है।

दिशानिर्देशों की संरचना

दिशानिर्देश दुर्घटना कार्रवाई प्रणाली (आईआरएस) का आशय अपने पाठकों को घटना कार्रवाई प्रणाली (आईआरएस) के निम्नलिखित सिद्धांतों से अवगत कराना हैं। ये दिशानिर्देश नौ अध्यायों में हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

संस्थागत एवं कानूनी व्यवस्थाओं पर अध्याय 1 आपदाओं के प्रबंधन के लिए भारत में मौजूद तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में की गई व्यवस्था के अनुसार संस्थागत एवं कानूनी व्यवस्थाओं का एक परिचयात्मक संक्षेप प्रदान करता है।

घटना कार्रवाई व्यवस्था का सिंहावलोकन पर अध्याय 2 में घटना कार्रवाई प्रणाली (आईआरएस) का परिचय, आईआरएस के विभिन्न घटक जैसे 1) कमांड स्टाफः क) घटना कमांडर, ख) सूचना एवं मीडिया अधिकारी, ग) संपर्क अधिकारी, घ) सुरक्षा अधिकारी एवं 2) सामान्य स्टाफ क) प्रचालन अनुभाग; शाखा, प्रभाग, एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम एवं टास्क फोर्स, ख) योजना अनुभागः संसाधन, स्थिति, प्रलेखन एवं अलामबंदी इकाइयाँ एवं ग) संभार—तंत्र अनुभागः सेवा, मदद एवं वित्त शाखा एवं उनकी इकाइयों के बारे में भारतीय संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई है। आईआरएस में निर्धारित विविध फार्मों की महत्ता के बारे में भी इस अध्याय में चर्चा की गई है।

आपदा अनुक्रिया प्रबंधन पर अध्याय 3 राष्ट्र, राज्य, जिला, संघ राज्य—क्षेत्र एवं महानगर स्तर पर आपदा कार्रवाई प्रणाली एवं व्यवस्थाओं का विवरण देता है। राज्य, जिला, उप—मंडल, तहसील/ब्लॉक स्तर पर दुर्घटना अनुक्रिया दलों (आईआरटी) के संघटन की

रूपरेखा भी दी गई है। महानगरों एवं संघ राज्य–क्षेत्रों में भी कार्रवाई प्रबंधन के लिए व्यवस्थाओं का सुझाव दिया गया है।

मुख्य सचिव एंव जिला मजिस्ट्रेट की क्रमशः राज्य एवं जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी के रूप में भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। आईआरएस संरचना में विविध हितधारकों जैसे पड़ोसी समुदाय, पीआरआई, स्थानीय प्राधिकारी, सिविल रक्षा के स्वंयसेवक एवं स्ट्राइक टीम एवं टास्क फोर्स में अन्य स्वैच्छिक संगठनों की विशेष भूमिकाएं सौंपी गई हैं। एनएसी, नगरपालिकाओं, नगर निगमों/यूएलबी की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है तथा उचित रूप से आईआरएस सिद्धांत में एकीकृत किया गया है।

राष्ट्र, राज्य एवं जिला स्तरों पर आकस्मिक प्रचालन केंद्रों (ईओसी) की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है तथा न्यूनतम प्रतिमानकों का सुझाव दिया गया है।

विविध स्तरों (राज्य, जिला, उप–मंडल, तहसील/ब्लॉक) पर आईआरटी के गठन, लिबलिबी प्रणाली एवं तैनाती पर भी विचार किया गया है तथा उचित अनुक्रिया कार्यवाहियों की अनुशंसा की गई है। यह इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण विशेषता है, लोगों में जिसमें सामान्य अनुक्रियक भी शमिल हैं, सही एवं उचित सूचना की सामान्यतया कमी है।

समन्वयनः राष्ट्र, राज्य एवं जिला स्तरों के बीच समन्वयन को भी स्पष्ट रूप से बताया गया है।

घटना कमांडर एवं कमांड स्टाफ पर अध्याय 4 घटना कार्रवाई में घटना कमांडर और उसके स्टाफ की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों से संबंधित है। घटना कमांडर घटना कार्रवाई टीम (आईआरटी) का मुखिया होता है। घटना कमांडर का पद बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वह आईआरटी को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। जिम्मेदारियों को पूरा करने में घटना कमांडर की सहायता करने के लिए, उसके पास अधिकारियों का एक सेट मौजूद होता है, जो कमांड स्टाफ का एक हिस्सा होते हैं। उसकी मदद करने वाले अधिकारी होते हैंः क) सूचना एवं मीडिया अधिकारी, ख) संपर्क अधिकारी एवं ग) सुरक्षा अधिकारी। विभिन्न कमांड स्टाफ द्वारा पूरी की जाने वाली डयूटियों का भी विस्तृत वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

सामान्य स्टाफ पर अध्याय 5 में आईआरएस में सामान्य स्टाफ की संरचना को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। आईआरएस में सामान्य स्टाफ प्रचालन अनुभाग, योजना अनुभाग एवं संभार–तंत्र अनुभाग से मिलकर बना होता है।

प्रचालन अनुभाग पर अध्याय 6 में प्रचालन अनुभाग के अध्यक्ष, शाखा के निदेशकों, प्रभाग/समूह के पर्यवेक्षकों, स्ट्राइक टीम एवं टास्क फोर्स लीडर की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों से संबंधित है। प्रचालन अनुभाग को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है; 1) कार्रवाई एवं 2) परिवहन।

विभिन्न टीमों की एक उदाहरणात्मक सूची जिसको कार्रवाई शाखा में प्रचालन अनुभाग के अधीन गठित करने की आवश्यकता हो सकती है, को सुविधा एवं मार्गदर्शन के लिए अनुलग्नक में दिया गया है। विभिन्न टीमों जैसे खाद्य टीम, स्वास्थ्य टीम, आवश्यक सुविधाओं जैसे सड़क, अस्पताल सेवाओं, जल एवं साफ–सफाई, संचार एवं अन्य संबध सेवाओं जैसे शव प्रबंधन आदि के पुर्नस्थापन के लिए टीम की जिम्मेदारियों का भी वर्णन किया गया है।

परिवहन शाखा प्रचालन अनुभाग के अधीन कार्य करती है। आवश्यकता के अनुसार इसे कार्यात्मक समूहों तक सक्रिय किया जा सकता है जो क) सड़क, ख) रेल, ग) जल, एवं घ) वायु है। प्रतिक्रियादाता के मार्गदर्शन के लिए शाखा एवं इसके कार्यात्मक समूहों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर विचार किया गया है।

योजना अनुभाग पर अध्याय 7 में दुर्घटना कार्रवाई के लिए प्रभावी योजना में शामिल क्रियाविधियों के बारे में चर्चा की गई है। इस अध्याय में योजना अनुभाग के अध्यक्ष एवं उसकी इकाई; क) संसाधन इकाई, ख) स्थिति इकाई, ग) प्रलेखन इकाई एवं घ) अलामबंदी/संग्रहण इकाई की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। कार्रवाई की सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की व्यवस्था के लिए प्रावधान भी बनाया गया है।

संभार–तंत्र पर अध्याय 8 में संसाधन व्यवस्थाओं/प्रावधानों के बारे में बताया गया है। संभार–तंत्र अनुभाग को तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है जैसे 1) सेवा, 2) मदद एवं 3) वित्त। इन शाखाओं की अलग –अलग कार्यात्मक इकाइयाँ हैं जिन पर विस्तार से विचार किया गया है। इस अनुभाग के लिए प्रपत्र / फार्म एवं आरूप/ फार्मेट को अनुलग्नक में संलग्न किया गया है। वित्त शाखा को इस अनुभाग के अंतर्गत उचित क्रियाविधि एवं वित्तीय नियमों का अनुसरण करते हुए त्वरित प्रापण के लिए बनाया गया है।

कार्यवाही बिंदुओं का सार पर अध्याय 9 मे इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए निर्देशन जैसे समय सीमा, घटना कार्रवाई प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं लामबंदी, घटना कार्रवाई टीमों का क्षमता निर्माण एवं कार्रवाई योजना की तैयारी आदि को शामिल किया गया है।

ये दिशानिर्देशों किसी भी आपदा में जान एवं संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए प्रतिक्रियादाता के बीच वृत्तिकता / व्यावसायिकता सुनिश्चित करने तथा देश में कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने एवं मानकीकृत करने के लिए जारी किए गए हैं।

अध्याय–1
संस्थानिक एवं विधिक व्यवस्थाएँ

1.1 भारत मे आपदा जोखिम

भारत कई प्राकृतिक तथा मनुष्य–निर्मित आपदाओं से असुरक्षित है। जैसा कि आपदा प्रबंधन, 2009 पर राष्ट्रीय नीति में व्यक्त किया गया है, भारत का 58.6 प्रतिशत भूभाग सामान्य से लेकर अति उच्च तीव्रता के भूकंपों के लिए संवेदनशील है; 40 लाख हेक्टेयर भूमि (कुल भूमि का 12 प्रतिशत) बाढ़ एवं नदी अपरदन से ग्रस्त है, 7516 किमी. लंबी तटरेखा में से 5700 किमी. तटरेखा तूफान एवं सूनामी से ग्रस्त है, कृषि योग्य क्षेत्र का 68 प्रतिशत भाग सूखे से ग्रसित है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भू–स्खलन एवं हिमस्खलन का जोखिम रहता है। मानव–निर्मित आपदाओं से असुरक्षा तथा सीबीआरएन स्त्रोत की आपात–स्थिति भी ज्यादा है। आपदा जाखिमों से बढ़ती हुई असुरक्षा उच्च–जोखिम वाले क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी, पर्यावरणिक अवक्रमण, अनियोजित शहरीकरण, उद्योगीकरण आदि से संबंधित हो सकती है। आपदा के प्रति मानव–असुरक्षा के संदर्भ में, मानव आबादी का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होता है। असुरक्षित वर्ग में, वृद्ध, औरतें, बच्चे, विकलांग व्यक्ति एवं पुरानी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति आपदाओं के आघात से ज्यादा पीड़ित होते हैं क्योंकि उनके पास सहने की क्षमता कम होती है और अतः आपदा की अनुक्रिया के दौरान उनकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अनुक्रिया अवस्था में आपदा के कारण अनाथ हुए बच्चों तथा बेसहारा हुई औरतों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

1.2 संस्थानिक एवं विधिक व्यवस्थाएँ

1.2.1 डीएम एक्ट 2005

डीएम एक्ट 2005 एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तरों पर संस्थानिक प्रक्रियाओं को स्थापित किया है। यद्यपि ये संस्थाएं विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं, वे ज्यादा ताल–मेल से कार्य करेंगी। नवीन संस्थानिक ढाँचों को डीएम में राहत केंद्रित पहुँच से लेकर अतिसक्रिय शासन व्यवस्था तक रूपावली पारी में पहुँचाने की प्रत्याशा की जाती है जो तैयारी, निवारण एवं प्रशमन को ज्यादा महत्त्व देती है। वे राज्य

जिन्होंने उचित संस्थानिक प्रणाली जैस एसडीएमए एवं डीडीएमए को अभी तक नहीं स्थापित किया है, उन्हें जल्द से जल्द इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.3 डीएम एक्ट के अंतर्गत संस्थानिक ढाँचा

1.3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

डीएम के शीर्ष निकाय के रूप में संचालित, एनडीएमए का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उसकी जिम्मेदारी डीएम की नीतियों, योजनाओं तथा निर्देशतत्वों को स्थापित करना एवं आपदा के लिए समयोचित तथा प्रभावी अनुक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन को समन्वित करना है। निर्देशतत्व केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों एवं राज्यों की अपनी विशेष डीएम योजनाओं को तैयार करने में मदद करेगा। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एवं डीएम योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करेगा। यह इस प्रकार के अन्य उपायों को अपनाएगा जोकि आशंकित आपदा स्थितियों या आपदा से निपटने, आपदाओं के निवारण या प्रशमन या तैयारी एवं क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक समझा जाए। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग एवं राज्य सरकारें एनडीएमए को उसके अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सहयोग तथा मदद प्रदान करेंगी। यह प्रशमन एवं तैयारी के उपायों के लिए फंड के प्रावधान तथा आवेदन का निरीक्षण करेगा। एनडीएमए को आशंकित आपदा स्थितियों या आपदा के समय में बचाव तथा राहत कार्य के लिए जरूरी प्रावधानों एवं सामग्रियों की आकस्मिक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंध विभागों या अधिकारियों को अधिकृत करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण इसमें निहित है तथा एनडीएमए के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) एनडीएमए द्वारा स्थापित बृहद नीतियों तथा निर्देशतत्वों के ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है।

एनडीएमए सभी प्रकार की आपदाओं, प्राकृतिक या मनुष्य–निमिर्त, से निपटने के लिए अधिदेशित है जबकि इस तरह की अन्य आपात स्थितियाँ जिनमें वे आपात स्थितियाँ भी शामिल हैं जिनमें सुरक्षा बलों एवं/या खुफिया एजेंसियों की उपस्थिति अनिवार्य है, उनको विद्यमान प्रक्रिया अर्थात्– राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति (एनसीएमसी) के द्वारा परिचालन जारी रहेगा। जैसे– आतंकवाद (प्रत्याविद्रोह), कानून व्यवस्था स्थितियाँ, श्रृंखलाबद्ध बम धमाके, अपहरण, वायु दुर्घटना, रसायन, जैविक, रेडियोधर्मी एवं नाभिकीय अस्त्र व्यवस्था, खान आपदाएँ, बंदरगाह एवं पोताश्रय आपात स्थितियाँ, दावानल, तेलक्षेत्र आग तथा तेल स्त्राव।

यद्यपि, एनडीएमए, निर्देशतत्वों को तैयार कर सकता है तथा सीबीआरएन आपात स्थितियों के संबंध में प्रशिक्षण एवं तैयारी गतिविधियों को संचालित कर सकता है। वह संबंद्ध हितधारकों की साझेदारी में प्राकृतिक एव ं मनुष्य–निर्मित आपदाओं के लिए निकट–मार्ग विषय जैसे चिकित्सकीय तैयारी, मनो – सामाजिक देखभाल एवं मानसिक आघात, समुदाय आधारित तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, तैयारी, जानकारी सृजन आदि का संचालन करता है। सभी स्तरों पर डीएम अधिकारियों के पास उपलब्ध संसाधन, जो आकस्मिक मदद कार्यों का निर्वहन करने के योग्य हैं, वे इस प्रकार की आपदाओं/आसन्न आपदाओं के समय में संबध नोडल मंत्रालयों एवं एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

1.3.2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी)

एनईसी में संघ गृह सचिव अध्यक्ष के रूप में तथा कृषि, नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण एवं वन, वित्त (व्यय), स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष दूरसंचार, दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली 3 संस्थानिक एवं विधिक व्यवस्थाएँ शहरी विकास, जल संसाधन मंत्रालयों/विभागों में जीओआई के सचिव तथा कर्मचारी समिति के अध्यक्षों के समाकलित रक्षा कर्मचारियों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में समाविष्ट होते हैं। विदेश, भूविज्ञान, मानव संसाधन विकास, खनन, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयों के सचिव तथा एनडीएमए के सचिव एनईसी की सभाओं में विशिष्ट मेहमान होंगे।

1.3.3 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए)

राज्य स्तर पर, दिल्ली संघ राज्य–क्षेत्र के अलावा जहाँ पर एलजी अध्यक्ष होता है तथा मुख्यमंत्री उसका उपाध्यक्ष होता है, वहाँ का मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण (एसडीएमए) के अध्यक्ष के रूप में राज्य में डीएम के लिए नीतियों एवं योजनाओं को निर्धारित करेगा। यह, अन्य बातों के साथ, एनडीएमए द्वारा निर्धारित निर्देशतत्वों के अनुसार राज्य योजना की स्वीकृति प्रदान करेगा, राज्य योजना के कार्यान्वयन को समन्वित करेगा, प्रशमन एवं तैयारी उपायों के लिए फंड के प्रावधान की सिफारिश करेगा तथा निवारण, तैयारी एवं प्रशमन उपायों के समन्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों की विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करेगा।

प्रत्येक राज्य सरकार एसडीएमए की उसके कार्यों के निष्पादन में मदद करने के लिए एक राज्य कार्यकारिणी समिति (एसईसी) का गठन करेगी। राज्य सरकार का मुख्य सचिव (सीएस) इएसईसी का अध्यक्ष होगा और राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना एवं राज्य योजना को समन्वित तथा मॉनीटर करेगा। एसईसी डीएम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना एनडीएमए को उपलब्ध कराएगा।

1.3.4 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)

प्रत्येक डीडीएमए का अध्यक्ष वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलक्टर (डीसी) उपायुक्त में से कोई भी होगा तथा स्थानीय प्राधिकरण का चयनित प्रतिनिधि उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। डीडीएमए जिला स्तर पर योजना, समन्वयन एवं कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और एनडीएमए तथा एसडीएमए द्वारा निर्धारित निदेशतत्वों के अनुसार डीएम के उद्देश्यों के लिए जिला डीएम योजना तैयार करेगा तथा राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति राष्ट्रीय योजना, उनके जिले से संबंधित राज्य योजना तथा जिला योजना के निर्माण के कार्यान्वयन को मॉनीटर करेगा।

1.3.5 स्थानीय प्राधिकरण

स्थानीय प्राधिकरण में पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई), नगर निगम, नगरपालिका, जिला एवं छावनी बोर्ड तथा नगर योजना प्राधिकरण जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित एवं प्रबंधित करता है, शामिल होंगे। ये निकाय एनडीएमए, एसडीएमए तथा डीडीएमए के निर्देशतत्वों के सामंजस्य मे डीएम योजनाओं को तैयार करेगा तथा आपदाओं को प्रबंधित करने, प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुर्नवास तथा निर्माण गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेगा।

1.3.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

अन्य शोध संस्थाअनों की साझेदारी में एनआईडीएम की मुख्य जिम्मेदारी प्रशिक्षण, शोध, प्रलेखन तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश : दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली राष्ट्र स्तरीय सूचना आधार के विकास के साथ–साथ क्षमता विकास की भी है। यह एनडीएमए द्वारा निर्धारित विस्तृत नीतियों एवं निर्देशतत्वों के अंतर्गत अन्य ज्ञान आधरित संस्थाओं से जुड़ेगा।

1.3.7 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ)

प्राकृतिक एवं मनुष्य–निर्मित दोनों प्रकार की आशंकित आपदा स्थितियों या आपदाओं/आपात–स्थितियों उदाहरणार्थ सीबीआरएन मूल की आपदाओं के लिए विशिष्ट अनुक्रिया के उद्देश्य से डीएम एक्ट, 2005 ने एनडीआरएफ के संगठन को अधिदेशित किया है। इस बल का सामान्य अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण इसमें निहित है तथा एनडीएमए द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इस बल की कमान एवं पर्यवेक्षण केंद्र सरकार द्वारा एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारी में निहित होगा। वर्तमान में, एनडीआरएफ आठ बटालियनों से मिलकर बना है। दो अतिरिक्त बटालियनें महत्त्वपूर्ण स्थानों पर तैनात हैं और आवश्यकतानुसार इन्हें शीघ्रताशीघ्र तैनात कर दिया जाएगा। एनडीआरएफ इकाइयाँ अभिहित राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्रों के संपर्क में रहेंगी और किसी भी गंभीर आशंकित आपदा स्थितियों में उनके लिए उपलब्ध रहेंगी। जबकि सभी एनडीआरएफ बटालियनें सभी प्राकृतिक आपदाओं को परिचालित करती हैं, वर्तमान में उनमे से चार बटालियनों को सीबीआरएन आपात–स्थितियों से निपटनें के लिए सुसज्जित एवं प्रशिक्षित किया गया है। भविष्य में बाकी बटालियनों को भी सीबीआरएन अनुक्रिया के लिए प्रशिक्षित करने की योजना है। एनडीआरएफ इकाइयाँ राज्य सरकारों द्वारा पहचाने गये सभी हितधारकों को मूल प्रशिक्षण वादों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी स्थापित की जाएगी।

वर्तमान में विभिन्न एनडीआरएफ बटालियनों को देश के निम्नलिखित स्थानों एवं क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी गई है।

स्थान	प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेदारी का क्षेत्र	सीबीआरएन आपात–स्थितियों के लिए जिम्मेदारी का क्षेत्र
गुवाहाटी	उत्तर–पूर्वी राज्य	कोलकाता बटालियन
कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, झारखंड	
मुंडाली	उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश (श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापटनम)	अराक्कोनम बटालियन
अराक्कोनम	तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप	

पुणे	महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा	पुणे बटालियन
गाँधी नगर	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव	
बठिंडा गाजियाबाद	चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली	गाजियाबाद बटालियन
पटना'		
विजयवाड़ा'		

'पटना (बिहार) एवं विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में भी प्राकृतिक आपदाओं के लिए एनडीआरएफ बटालियनों को तैनात करने के लिए मंजूरी दी गई है, और अतः जब ये दोनों एनडीआरएफ बटालियनें कार्य करना आरंभ कर देंगी तो इनके जिम्मेदारी के क्षेत्र पुनः समायोजित कर दिए जाएँगे।

1.3.8 राज्य आपदा अनुक्रिया बल (एसडीआरएफ)

राज्यों को उनके यहाँ विद्यमान संसाधनों से अनुक्रिया क्षमताओं का सृजन करने के लिए उत्साहित किया जाएगा। शुरुआत में, प्रत्येक राज्य का छोटे राज्यों में कुछ कम्पनियों या बड़े राज्यों में एक बटालियन के बराबर बल को सुसज्जित करने तथा उनको प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हो सकता है। वे महिलाओं तथा बच्चों की आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए महिला सदस्यों को भी शामिल करेंगे। एनडीआरएफ बटालियन तथा उसकी प्रशिक्षण संस्था इस प्रयास के लिए राज्यों/संघ शासित राज्यों का सहयोग करेगी। राज्यों/संघ शासित राज्यों को भी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के लिए उनके पुलिस प्रशिक्षण कालेजों के मूलभूत एवं सेवाकालीन कोर्सों में डीएम प्रशिक्षण को सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

1.3.9 आपदा प्रशमन रिजर्व

पिछले दशकों में भारत में मुख्य आपदाओं के अनुभवों से महत्त्वपूर्ण स्थानों, जिनमें उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र शामिल है, पर कुछ आवश्यक राहत एवं अनुक्रिया रिजर्व को पहले से ही तैनात करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस की गयी है। इन रिजर्व के पास राज्य स्तर

पर संसाधनों को बढ़ाने की योजना होती है। प्रशमन रिजर्व को एनडीआरएफ की आपदा या आपदा–जैसी स्थिति के दौरान राज्य सरकारों की सहायता हेतु उनकी आकस्मिक अनुक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैनात किया जाएगा।

1.4 विद्यमान प्रशमन रिजर्व

1.4.1 प्राकृतिक आपदा प्रबंधन (सीसीएमसी) मंत्रिमंडलीय समिति एवं मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति (सीसीएस)

सीसीएमएनसी को प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं, जिनमें स्थिति का निर्धारण और इसके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले उपायों तथा कार्यक्रमों के तादात्म्यीकरण, इस प्रकार की आपदाओं की मॉनीटरिंग एवं उनके निवारण के लिए दीर्घकालीन उपायों का सुझाव, उनके लिए समाज की समुत्थान–शक्ति के निर्माण के लिए लोक जागरुकता हेतु कार्यक्रमों का प्रतिपादन तथा सिफारिश शामिल हैं, का निरीक्षण करने के लिए गठित किया गया। मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति देश की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों, विदेशी मामलों से संबंधित नीति विषय जो आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा विवक्षाएँ तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले आर्थिक एवं राजनीतिक मामले रखते हैं, की देखरेख करती है।

1.4.2 उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी)

गंभीर प्रकृति की आपदाओं के केस में, अंतमंत्रालयी केंद्रीय दल को प्रभावित राज्यों में आपदा से हुए नुकसान तथा आवश्यक राहत मदद की मात्रा के निर्धारण के लिए नियुक्त किया जाता है। अंतमंत्रालयी दल संघ गृह सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय दल द्वारा किए गए निर्धारण की संवीक्षा करता है तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से राज्यों को प्राप्त होने वाली सहायता की मात्रा की संस्तुति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश : दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली करता है। यद्यपि सूखा, ओला–वृष्टि एवं कीट संक्रमण से संबंधित आईएमजी द्वारा नुकसान का निर्धारण सचिव, कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता द्वारा कार्यान्वयित होना जारी रहेगा। आईएमजी की संस्तुतियों पर संघ कृषि मंत्री की अध्यक्षता में स्थित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा विचार किया जाएगा एवं अनुमोदित किया जाता है। एचएलसी में सदस्य के रूप में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हैं। एचएलसी का गठन एवं समय–समय पर भिन्न हो सकता है। एनडीएमए का उपसभापति एलएलसी का विशिष्ट आमंत्रित –अतिथि होगा।

1.4.3 केंद्रीय सरकार

डीएम एक्ट, 2005 के प्रावधान के अनुसार, केंद्रीय सरकार इस प्रकार की सभी उपायों को करेगी, जैसा कि डीएम के उद्देश्य के लिए आवश्यक या उपयुक्त होगा और सभी एजेंसियों के कार्यों को समन्वित करेगी। केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग राज्य सरकारों की सिफारिशों को विविध पूर्व–आपदा आवश्यकताओं का निर्णय करते समय तथा आपदाओं के निवारण तथा प्रशमन के लिए उपायों का निर्णय करते समय विचार करेगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग अपनी विकासात्मक योजनाओं में आपदाओं के निवारण तथा प्रशमन उपायों को समन्वित करे तथा पूर्व–आपदा आवश्यकताओं के लिए निधि का समुचित विनिधान करें तथा तैयारी के लिए आवश्यक उपाय करे एवं किसी भी आपदा स्थितियों या आपदा के लिए प्रभावी रूप से अनुक्रिया करें। इसके पास डीएम को सुसाध्य बनाने तथा मदद करने के लिए एनईसी, राज्य सरकारों/एसडीएमए, एसईसी या उनके किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को निदेश जारी करने का अधिकार होगा। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करेगी जितना उनको आवश्यकता होगी या इसके द्वारा उचित समझा जाएगा। यह आवश्यकता पड़ने पर डीएम के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती के उपाय करेगा। सशस्त्र बलों की भूमिका नागरिक प्राधिकार, 1970 की मदद पर व्यवस्थित किए गए निदेशों के द्वारा नियंत्रित होगी। विदेश मंत्रालय, एमएचए के साथ मिलकर बाहरी समन्वयन करेगी। विदेश मंत्रालय, एमएचए के साथ मिलकर बाहरी समन्वयन तथा सहयोग करेगा।

1.4.4 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की भूमिका

क्योंकि डीएम एक बहु–अनुशासनिक प्रक्रिया है, सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की डीएम के क्षेत्र में मुख्य भुमिका होगी। भारत सरकार के नोडल मंत्रालयों तथा विभागों के सचिव अर्थात गृहमंत्रालय (एमएचए), कृषि, नागर विमानन, पर्यावरण एवं वन, स्वास्थ्य, नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, भूविज्ञान, जल संसाधन, खनन, रेलवे आदि सभी एनईसी के सदस्य हैं तथा व अपने कोड क्षमताओं या जैसा कि उनको निर्दिष्ट किया जाएगा, पर आधारित विशिष्ट आपदाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

1.4.5 राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी)

एनसीएमसी, भारत सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों से गठित जिसका अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव होता है, मुख्य संकटों के लिए कार्य करेगा जो गंभीर प्रशाखन रखता है। यह

केंद्रीय नोडल मंत्रालयों के संकट प्रबंधन दलों (सीएमजी) से समर्थित होगा एवं आवश्यकतानुसार एनईसी उसको सहयोग करेगा। एनडीएमए का सचिव इस समिति का स्थायी आमंत्रित –अतिथि होगा।

1.4.6 राज्य सरकार

डीएम के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर सन्निविष्ट संस्थानिक प्रक्रियाएँ राज्यों की प्रभावी ढंग से आपदाओं को प्रबंधित करने में मदद करेगा। डीएम एक्ट, 2005 राज्य सरकारों को, अन्य बातों के साथ, राज्य डीएम योजनाओं की तैयारी, राज्य विकास योजनाओं में आपदाओं या प्रशमन के निवारण के लिए उपायों का समन्वयन, निधियों का विनिधान, पूर्व–चेतावनी प्रणालियों की स्थापना तथा डीएम के विविध पहलुओं में केंद्रीय सरकार एवं अन्य एजेंसियों की मदद करने के लिए अधिदेशित करता है।

1.4.7 District Administration

At the District level, DDMAs will act as the planning, coordinating and implementing body for DM and will take all measures for the purposes of DM in the respective Districts in accordance with the Guidelines laid down by NDMA and the concerned SDMA.

1.4.8 एक से ज्यादा राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं को प्रबंधन

एक ही समय में, एक राज्य में आई आपदा का प्रभाव पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों में भी फैल सकता है। इसी प्रकार, कुछ आपदाओं जैसे बाढ़ आदि के संबंध में निवारण के उपायों को एक ही राज्य में लागू करने की आवश्यकता हो सकती है, यद्यपि उनकी मौजूदगी का प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है। देश का प्रशासनिक उत्क्रम राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशासन में संघटित है। एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं के संबंध में कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। इस प्रकार की स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक समन्वित पहुँच की आवश्यकता होती है जो घटना के पहले, दौरान या बाद में सामान्यता अपने आप उपस्थित होने वाली स्थितियों से भिन्न होती हैं। एनडीएमए इस प्रकार की स्थितियों की पहचान को प्रोत्साहित करेगा एवं राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों तथा इससे संबंधित अन्य एजेंसियों के लिए पारस्परिक मदद समझौतों की दिशा में प्रक्रियाओं के स्थापन को प्रोत्साहित करेगा।

1.5 अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थानिक व्यवस्थाएँ

1.5.1 सशस्त्र बल

पारंपरिकतया, सशस्त्र बलों को नागर प्रशासन की मदद करने के लिए तभी बुलाया जाता है जब स्थिति उनकी निबटने की क्षमता से परे हो जाती है। प्रयोग में, यद्यपि, सशस्त्र बल सरकार की अनुक्रिया क्षमता का एक महत्त्वपूर्ण भाग होता है तथा सभी गंभीर आपदा स्थितियों में अविलंब सहायता प्रदान करता है। किसी भी प्रतिकूल चुनौती का सामना करने की उनकी प्रचुर क्षमता, प्रचालन अनुक्रिया की गति, एवं उनके निपटान के संसाधन एवं क्षमताओं, के कारण सशस्त्र बल आकस्मिक समर्थन कार्यों में ऐतिहासिक मुख्य भूमिका निभाता है। इनमें विशेषतया आपदा के तत्काल बाद के असर मे, संचार, खोज एंव बचाव कार्य, स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सुविधाएँ तथा परिवहन के लिए प्रदान की गई सेवाएँ शामिल हैं।

1.5.2 केंद्रीय पैरा सैनिक बल (सीपीएमएफ)

सीमीएमएफ जो संघ के सशस्त्र बल भी हैं, आपदा की त्वरित अनुक्रिया के समय मुख्य भूमिका निभाते हैं। एनडीआरएफ के लिए योगदान देने के अलावा, वे अपने स्वयं के बलों के अंतर्गत पर्याप्त डीएम क्षमताएँ विकसित करेंगे तथा उन आपदाओं के लिए अनुक्रिया करेंगे जो उनके तैनाती वाले स्थान पर घटित होती हैं। सीपीएमएफ के स्थानीय प्रतिनिधि, जहाँ कहीं भी तैनात हों, राज्य और जिला स्तर की कार्यकारिणी समिति की सभाओं में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित होंगे।

1.5.3 राज्य पुलिस बल, अग्निशमन सेवा तथा होमगार्ड

राज्य पुलिस बल, अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवाएँ तथा होमगार्ड आपदा के लिए महत्त्वपूर्ण तथा सबसे त्वरित अनुक्रिया करने वाले हैं। बहु–जोखिम बचाव क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए पुलिस को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं को उन्नत किया जाएगा। होमगार्ड स्वयंसेवकों को आपदा की तैयारी, आकस्मिक अनुक्रिया, सामुदायिक जुटाव आदि मे प्रशिक्षित किए जाएंगे। राज्य सरकारें अपने बलों के क्षमता निर्माण तथा अधिक समझदार होने के लिए एनडीएमए की मदद लेंगी।

1.5.4 नागरिक सुरक्षा (सीडी) एवं होमगार्ड

नागरिक सुरक्षा का अधिदेश तथा होमगार्ड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र मे प्रभावी भूमिका सौंपने के लिए पुनःपरिनिश्चित किया जाएगा। उन्हें सामुदायिक तैयारी एवं लोक जागरुकता के लिए नियुक्त किया जाएगा। किसी भी आपदा की घटना मे ड्यूटी स्टेशनों को स्वैक्षिक रिपोर्ट की संस्कृति को प्रोत्साहन किया जाएगा।

प्रत्येक जिले में समुचित सीडी की स्थापना आपदा अनुक्रिया के लिए एक वरदान साबित होगा क्योंकि किसी भी आपदा में पड़ोसी समुदाय हमेशा प्रथम अनुक्रियक होता है। सीडी जिला केंद्रीय बनाने का प्रस्ताव तथा आपदा अनुक्रिया में शामिल होना पहले से ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। इसके कार्यान्वयन की शुरुआत भी हो चुकी है। जिलों की सूची प्रथम अवस्था में नागरिक सुरक्षा पुनरुद्धार के लिए जारी की गई है जो अनुलग्नक 15 में दी गई है। राज्य सरकारें अपने संबंधित जिलों में अपने प्रचालन को सुनिश्चित करेंगी।

1.5.5 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)

इन युवा आधारित संगठनों की सामर्थ्य को सभी समुदाय आधारित पहलें के सहयोग के लिए अच्छा बनाया जाएगा तथा इनके कार्यक्रमों में डीएम प्रशिक्षण शामिल किया जाएगा।

1.6 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

आपदाएँ भौगोलिक सीमाओं को नहीं पहचानती हैं। बड़ी आपदाएँ प्रायः एक ही समय में कई देशों को प्रभावित करती हैं। डीएम को सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग तथा समन्वयन विकसित करने के लिए राष्ट्रीय प्रयास करने होंगे।

1.7 आईआरएस की आवश्यकता

डीएम एक्ट 2005 पूर्व–घटना निवारण, प्रशमन तथा तैयारी के लिए पश्च–घटना अनुक्रिया से डीएम में एक रूपावली पारी का पूर्वसूचक है। यद्यपि भारत का आपदाओं से जूझने तथा पर्याप्त अनुक्रिया प्रदान करने का लंबा इतिहास है, यह स्पष्टतया महसूस किया गया है कि इसमें कई कमियाँ हैं, जैसे–

(क) तदर्थ एवं आपातिक प्रकृति की व्यवस्थाओं एवं प्रभावी निष्पादन के लिए कोई भी पूर्व–प्रशिक्षण ने होने के कारण जवाबदेही में कमी।

(ख) क्रमिक तथा व्यवस्थित योजना प्रक्रिया की कमी।

(ग) अनुक्रिया गतिविधि के समादेश एवं पर्यवेक्षण की अस्पष्ट श्रृंखला।

(घ) उचित संप्रेषण की कमी, उपलब्ध संसाधनों का अदक्ष प्रयोग, परस्पर विरोधी संकेतों तथा शब्दावली का प्रयोग तथा कोई भी पूर्व संप्रेषण योजना नहीं।

(ड़) आपदा प्रबंधन संरचनाओं एवं योजना प्रक्रियाओं में अंर्त–एजेंसी आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से समन्वित करने के लिए पूर्वानिर्धारित ढंगों/व्यवस्थाओं की कमी।

(च) अनुक्रिया अवस्था के दौरान विशिष्ट दक्षता के साथ प्रथम अनुक्रिया कर्ताओं तथा व्यक्तियों, वृत्तिकों एवं एनजीओ के बीच समन्वयन की कमी।

(छ) विभिन्न संसाधनों के लिए सामूहिक शब्दावली के प्रयोग में कमी जिसका परिणाम अनुचित माँग तथा अनुपयुक्त संसाधन जुटाव आदि है।

उन्नत पूर्व–आपदा तैयारी की तरफ रूपावली पारी की दृष्टि से, एक उचित एवं अच्छे से तैयार अनुक्रिया व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें निम्नलिखित चीजें मौजूद होंगीः

(क) अनुक्रिया दल के प्रत्येक सदस्य के लिए सुविचारित पूर्व–निर्दिष्ट भूमिकाएँ

(ख) व्यवस्थित एवं पूर्ण योजना प्रक्रिया

(ग) आईआरटी सदस्यों के लिए जवाबदेही की व्यवस्था

(घ) समादेश की बिल्कुल स्पष्ट श्रृंखला

(ड) प्रभावी संसाधन प्रबंधन

(च) उचित एवं समन्वित संप्रेषण व्यवस्था

(छ) संबंधित एजेंसियों की स्वतंत्रता का बिना अतिक्रमण किए स्वतंत्र एजेंसियों को योजना तथा समादेश संरचना में प्रभावी रूप से समन्वित करने की व्यवस्था

(ज) अनुक्रिया प्रयासों में सामुदायिक संसाधनों का समन्वीकरण

सन 2003 में भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत में भी दुर्घटना समादेश व्यवस्था को अपनाने का निश्चय किया। आईसीएस ने हमारी आपदा अनुक्रिया प्रक्रिया में अधिकांश समीक्षात्मक अंतरालों को संबोधित किया है फिर भी कुछ भारत विशिष्ट संशोधन हैं जिनको संबोधित करने की आवश्यकता है।

यहाँ पर भारतीय संस्करण को तैयार करने की आवश्यकता है जो भारतीय प्रशासनिक ढाँचे में फिट हो सके। एनडीएमए अतः आईसीएस के रूपांतरण को देखता है जो विद्यमान ढाँचे तथा डीएम एक्ट, 2005 में समावेशित किया जाता है। आईसीएस के सिद्धांतों तथा विशेषताओं का अनुसरण किया गया है तथा व्यापक निर्देशतत्व तैयार किए गए हैं। इस रूपांतरित संस्करण को दुर्घटना अनुक्रिया व्यवस्था के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा और इसका परिवर्णी शब्द आईआरएस होगा।

आईआरएस की प्रस्तुति से यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में आपदाओं के प्रति अनुक्रिया निश्चित रूप से तीव्रगामी, दक्ष तथा प्रभावी होगी चूँकि प्रत्येक हितधारक/अनुक्रिया करने वाला अपनी भूमिका के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित होगा तथा उसके पास समादेश की स्पष्ट श्रृंखला होगी।

अध्याय – 2
दुर्घटना अनुक्रिया व्यवस्था का सिंहावलोकन

2.1 परिभाषा एवं प्रकरण

दुर्घटना अनुक्रिया व्यवस्था (आईआरएस) अनुक्रिया में तदर्थ उपायों के कार्यक्षेत्र को कम करने की एक प्रभावी प्रक्रिया है। यह उन सभी कार्यों को समावेशित करता है जो डीएम के समय उनकी जटिलता के स्तर को ध्यान में रखे बिना निष्पादित किए जा सकते हैं। यह सभी संभव अनुक्रिया आवश्यकताओं की देख–रेख के लिए विविध भागों के साथ एक संयोजित दल पर विचार करते हैं। आईआरएस विविध कार्यों को निष्पादित करने के लिए अधिकारियों की पहचान तथा नियुक्ति करता है और उनको उनकी अपनी भूमिकाओं में प्रशिक्षित करता है। यदि आईआरएस को उचित ढंग से लागू किया जाए तथा हितधारकों को प्रशिक्षित किया जाए और वे अपनी भूमिका के प्रति जागरुक हो जाएँ तो इससे अनुक्रिया अवस्था के दौरान अव्यवस्था तथा भ्रम की स्थिति में कमी होने में मदद मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति जानेगा कि क्या करने की आवश्यकता है, कौन इसे करेगा तथा कौन समादेश देगा आदि। आईआरएस एक लचीली व्यवस्था है और एक ही समय में सभी अनुभागों, शाखाओं तथा इकाइयों को सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं है विविध अनुभागों, शाखाओं तथा इकाइयों को तभी सक्रिय होने की आवश्यकता है जब उनकी जरूरत हो। इन निर्देशतत्वों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अधिकारियों तथा हितधारकों को राज्य तथा जिला स्तर पर भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ प्रदान करता है और यह भी बताता है कि किस प्रकार राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर बहु–श्रेणीगत संस्थानिक प्रक्रियाओं के साथ समन्वयन स्थापित किया जाएगा। यह बेहतर योजना, जवाबदेही तथा विश्लेषण के लिए विविध गतिविधियों के उचित प्रलेखन की आवश्यकता पर भी जोर देता है। यह नये अनुक्रिया करने वालों की, स्थिति का तुरंत व्यापक जायजा लेने तथा तुरंत कार्य करने में मदद करेगा।

2.2 आईआरएस संगठन

आईआरएस संगठन दुर्घटना अनुक्रिया दलों (आईआरटी) के साथ क्षेत्र में कार्य करता है। हमारे प्रशासनिक ढाँचे तथा डीएम एक्ट 2005 के अनुसार, जिम्मेदार अधिकारियों (आरओ) को राज्य तथा जिला स्तर पर दुर्घटना अनुक्रिया प्रबंधन का संपूर्ण कार्यभार सौंपा

गया है। यद्यपि आरओ दुर्घटना कमांडर को जिम्मेदारियाँ प्रत्यायोजित कर सकते हैं, जो क्रमशः आईआरटी के द्वारा दुर्घटना को प्रबंधित करेगा। आईआरटी को राज्य, जिला, उप–मंडल तथा तहसील/ ब्लॉक सभी स्तरों पर पहले से ही नियुक्त किया जाएगा। शुरुआती चेतावनी प्राप्त होने पर आरओ उन्हें सक्रिय कर देगा। यदि बिना किसी चेतावनी के कोई भी आपदा होती है तो स्थानीय आईआरटी अनुक्रिया करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर आरओ से आगे की मदद के लिए संपर्क स्थापित करेगा। एक नोडल अधिकारी (एनओ) को अनुक्रिया के लिए हवाई मदद को सक्रिय करने में जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर उचित समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

आरओ तथा नोडल अधिकारी (एनओ) के अलावा, आईआरएस के पास दो मुख्य घटक हैं क) कमांड कर्मचारीवर्ग तथा ख) सामान्य कर्मचारीवर्ग। इस ढ़ाँचे को नीचे चित्र 1 में दिखाया गया है।

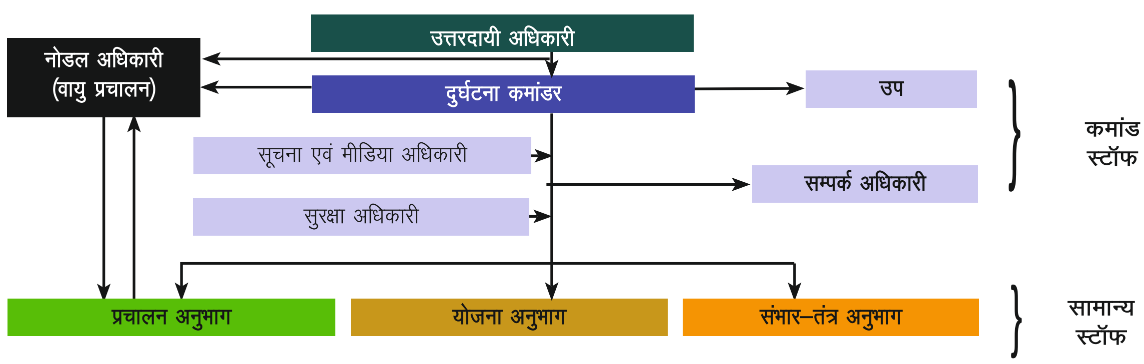

चित्र–1. आईआरएस संगठन

2.2.1 कमांड कर्मचारीवर्ग

कमांड कर्मचारीवर्ग के अंतर्गत दुर्घटना कमांडर (आईसी, सूचना एवं मीडिया अधिकारी) (आईएमओ), सुरक्षा अधिकारी (एसओ), एवं संपर्क अधिकारी (एलओ) आते हैं। वे सीधे आईसी को रिपोर्ट करते हैं तथा वे सहायक रख सकते हैं। कमांड कर्मचारीवर्ग अपने अधीन सहयोगी संगठनों को रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। कमांड कर्मचारीवर्ग का मुख्य कार्य आईसी को उनके कार्यों को संपादित करने में सहायता प्रदान करना है तथा इसे अध्याय–4 में वर्णित किया गया है।

2.2.2 सामान्य कर्मचारीवर्ग

सामान्य कर्मचारीवर्ग के तीन घटक होते हैं जो निम्नलिखित हैं:

2.2.2.1 प्रचालन अनुभाग (ओएस)

ओएस के पास दुर्घटना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक योजनापूर्ण कार्यवाहियों को संचालित करने का उत्तरदायित्व है। आपदा के प्रबंध में तुरंत शाखा, मंडल तथा समूह को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। ओएस का विस्तार स्थिति की विकरालता पर निर्भर करता है तथा विभिन्न प्रकार के कार्य समूहों की अनुक्रिया प्रबंध में जरूरत पड़ती है। ओएस की भूमिका तथा उत्तरदायित्व के बारे में अध्याय–6 में वर्णन किया गया है।

2.2.2.2 योजना अनुभाग (पीएस)

पीएस दुर्घटना सूचना को एकत्रित करने, उसका मूल्यांकन तथा प्रदर्शन करने, संसाधनों के अनुरक्षण तथा संसाधनों की खोज करने, दुर्घटना कार्यवाही योजना (आईएपी) को तैयार करने तथा अन्य आवश्यक संबंधित प्रलेखन के लिए जिम्मेदार है। वे अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निर्धारित करेंगे जहाँ से भी इसे उपलब्ध कराया जा सकता है तथा आईसी को इसके बारे में सूचित करते रहेंगे। यह अनुभाग विघटन योजना की भी तैयारी करता है। पीएस की भूमिकाएँ तथा उत्तरदायित्व के बारे में अध्याय–7 में विस्तार से वर्णन किया गया है।

2.2.2.3 संभार–तंत्र अनुभाग (एलएस)

एलएस दुर्घटना अनुक्रिया की सहायता के लिए सुविधाएँ, सेवाएँ वस्तुएँ, उपकरण तथा अन्य संसाधनों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। अनुभाग अध्यक्ष आईएपी के विकास तथा कार्यान्वयन में भाग लेता है, अपने अनुभाग की शाखाओं तथा इकाइयों को सक्रिय तथा पर्यवेक्षण करता है। वित्तीय नियमों के अनुसार संसाधनों का तत्काल तथा निर्विध्न प्रापण तथा पूर्ति को सुनिश्चित करने के क्रम में वित्त शाखा को एलएस में शामिल किया गया है। एलएस की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्व के बारे में अध्याय–8 में वर्णन किया गया है।

2.3 आईआरएस की विशेषताएँ

2.3.1 उद्देश्यों के लिए प्रबंधन

उद्देश्यों के लिए प्रबंधन (एमबीओ) आईआरएस में चार आवश्यक कार्यवाहियों को कवर करता है। इन कार्यवाहियों को प्रत्येक दुर्घटना की स्थिति में उसके आकार या जटिलता की तरफ ध्यान दिए बिना प्रबंध के लिए करना चाहिए।

(क) सरकारी नीति एवं निदेशों को जिसमें राहत संहिता, निष्क्रमण कार्यविधि आदि शामिल है को समझना।
(ख) दुर्घटना उद्देश्यों की स्थापना
(ग) उचित रणनीतियों का चयन, तथा
(घ) युक्तिक प्रस्ताव (उचित संसाधनों को नियत करना, और निष्पादन को मॉनीटर करना, आदि) का निष्पादन

2.3.2 कमांड की एकता एवं कमांड की श्रृंखला

आईआरएस में, कमांड की एकता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अभिहित पर्यवेक्षक है। कमांड की श्रृंखला का अर्थ यह है कि निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक स्पष्ट रिपोर्ट पैटर्न के साथ संगठन के पदों के अंतर्गत प्राधिकारियों का एक क्रम है। आईआरएस में कमांड की श्रृंखला एक निर्धारित संगठनात्मक ढाँचे के द्वारा स्थापित है जो कई स्तरों जैसे अनुभागो, शाखाओं, मंडलों आदि से मिलकर बना है। यह विशेषता कई पर्यवेक्षकों से विरोधी आदेशों को प्राप्त होने की संभावना को विलुप्त करता है। अतः यह उत्तरदायित्व को बढ़ाता है, स्वच्छंदता को रोकता है, सूचना के बहाव को सुधारता है तथा प्रचालन प्रयासों निर्विध्न समन्वयन में मदद करता है।

2.3.3 कमांड का हस्तांतरण

किसी भी दुर्घटना का कमांड शुरुआत में आपदा वाले क्षेत्र के उच्च पद वाले अधिकारी में निहित होता है। किसी भी दुर्घटना में कमांड का हस्तांतरण निम्नलिखित कारणों से हो सकता है:

(क) जब कोई दुर्घटना आईसी और आईआरटी के लिए दुर्दमनीय हो जाती है।

(ख) वहाँ पर ज्यादा शिक्षित तथा अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी आ जाते हैं।
(ग) एक समय के बाद दुर्घटना स्थिति बदल जाती है जब परिचालनतः कमांड में अधिकारिक या एजेंसी के परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तथा
(घ) दीर्घ या विस्तारित दुर्घटनाओं के केस में कार्मिक का सामान्य परिवर्तन।

आईआरएस के प्रपत्रों एवं आरूपों के द्वारा पत्रसार, अपत्रसार, प्रलेखन में कई प्रक्रियाएँ कमांड के हस्तांतरण के समय बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती हैं। आईएपी, समनुदेशन सूची, पहले से की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा, नियुक्त, उपलब्ध, आदेश आदि किए गए संसाधनों का ब्यौरा नये व्यक्ति के लिए दुर्घटना स्थिति का एक त्वरित तथा व्यापक दृश्य प्रदान करता है।

2.3.4 संगठनात्मक लचीलापन

आईआरएस संगठन आवश्यकता–आधारित, लचीला संगठन है। सभी घटकों को एक साथ सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह दुर्घटना की प्रकृति तथा आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। प्रत्येक सक्रिय अनुभाग, शाखा या इकाई अपनी भूमिका को निष्पादित करने के लिए एक प्रभारी को नियुक्त करती है। कुछ केसों में, कार्मिक की कमी की वजह से एक ही पर्यवेक्षक एक से ज्यादा दलों, इकाइयों या अनुभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार के केसों में दल, इकाइयाँ, अनुभागों का विलय/समामेलन नहीं किया जाता है। इनके कार्य स्वतंत्र रूप से जारी रहेंगे। केवल उसी व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण कार्य/ जिम्मेदारी संपादित तथा निर्वाहित की जाएगी।

उन संगठनात्मक घटकों को जिनकी अब आवश्कता नहीं है, संगठन के आकार को घटाने के लिए तथा संसाधनों के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए निष्क्रिय कर देना चाहिए।

2.3.5 नियंत्रण का विस्तार

नियंत्रण का विस्तार घटकों (अनुभाग, शाखा या इकाई) की संख्या का उल्लेख करता है जो एक पर्यवेक्षक प्रभावी रूप से सीधे व्यवस्थित कर सकता है आदर्श रूप से एक पर्यवेक्षक के नियंत्रण में पांच संगठनात्मक घटक होने चाहिए। यद्यपि, यदि घटकों की संख्या पांच से ज्यादा होती है या तीन से कम होती है, तो आईआरएस संगठनात्मक ढ़ाँचे में आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए।

2.3.6 कमांड क्षेत्र

कमांड क्षेत्र दुर्घटना अनुक्रिया कार्य का एक विस्तार है, जिसको प्राथमिकतया बहुत ज्यादा संख्या वाली दुर्घटनाओं को व्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें कई आईआरटी निर्धारित होते हैं या भौगोलिक कारणों से वह क्षेत्र अलग होता है। निरीक्षण अनुक्रिया के लिए तथा यह सुनिश्चित करने दुर्घटना अनुक्रिया व्यवस्था का सिंहावलोकन दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली 15 के लिए कि संघर्ष, आधिकारिक या अन्यथा, नियुक्त अनुक्रिया करने वाले दलों के बीच उत्पन्न न हो, इसे स्थापित किया गया है।

2.3.7 एकीकृत कमांड

यूसी एक दलीय प्रयास है जो एक कंमांडर के अधीन एक सामूहिक दुर्घटना उद्देश्यों तथा रणनीतियों के सेट के स्थापन के द्वारा किसी भी दुर्घटना को व्यवस्थित करने के लिए या तो भौगोलिक या प्रकार्यात्मक, दुर्घटना के लिए अधिकारिक जिम्मेदारी के साथ सभी एजेंसियों को अनुमति देता है। यह राज्यपाल / उपराज्यपाल (एलजी) / प्रशासक / मुख्यमंत्री (सीएम) के नेतृत्व में यूसी ढाँचे जो मुख्य सचिव के द्वारा सहायता–प्राप्त है, बिना एजेंसी अधिकारियों, जिम्मेदारियों या जवाबदेही को खोए या अधित्याग किए निष्पादित होता है।

2.3.8 सामूहिक शब्दावली

आईआरएस में, सामूहिक शब्दावली को संगठनात्मक घटकों, पदनामों, संसाधनों एवं सुविधाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है–

(क) संगठनात्मक घटक : संगठन के प्रत्येक स्तर (उदाहरणतः अनुभाग, शाखा, मंडल एवं इकाई आदि) को अभिहित करने के लिए एक संगत पैटर्न है।

(ख) पद–नाम : वे लोग जिनको आईआरएस में प्रबंध या नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें विशिष्ट पद–नामों जैसे कमांडर, अधिकारी, अध्यक्ष, निदेशक, पर्यवेक्षक, लीडर, प्रभारी आदि के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यह पदों के विविध स्तरों को भरने के लिए माँग कार्मिक के लिए एक मानकीकृत नामपद्धति प्रदान करता है।

(ग) शाखा : यह दुर्घटना कार्यवाहियों के मुख्य खंडों के लिए प्रकार्यात्मक या भौगोलिक उत्तरदायित्व वाला संगठनात्मक स्तर है। शाखा प्रचालन एवं संभार–तंत्र अनुभागों में पाए जाते हैं। यह अनुभाग के विविध प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

(घ) मंडल : मंडल का प्रयोग प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्र में दुर्घटना को विभक्त करने के लिए किया जाता है। इसे आईआरएस संगठन में शाखा तथा दलों के बीच में अवस्थित किया जाता है। मंडलों को तभी स्थापित किया जाता है जब नियुक्त किए गए संसाधनों की संख्या प्रचालन अनुभाग अध्यक्ष के नियंत्रण के विस्तार से ज्यादा होते जाते हैं। इसे चुस्त पर्यवेक्षण के लिए भी सक्रिय किया जाता है जब क्षेत्र बहुत ज्यादा दूर या पृथक होता है।

(ङ) दल : दल को दुर्घटना प्रचालनों के मुख्य खंडों के लिए केवल प्रकार्यात्मक उत्तरदायित्वों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। दल विभिन्न प्रकार्यात्मक दलों (एकल संसाधन, प्रभावी दल एवं कार्यदल) से बना होता है।

(च) संसाधन : संसाधनों को दो श्रेणियों में बाँटा गया हैः 1) प्राथमिक और 2) समर्थन। प्राथमिक संसाधन अनुक्रिया करने वालों के लिए हैं तथा समर्थन संसाधन प्रभावित लोगों के लिए हैं। सभी संसाधन यद्यपि साधन एवं प्रकार के अनुसार नियुक्त किए गए है। साधन का अर्थ बस, ट्रक, बुलडोजर, चिकित्सा–दल आदि संसाधन का संपूर्ण विवरण होगा। प्रकार का अर्थ उन संसाधनों की निष्पादन क्षमता से होगा जो बड़े, मध्यम या छोटे होंगे। इससे निदेश देने वाली इकाई को संसाधन को ठीक तथा सही तरीके से क्रमबद्ध करने में मदद मिलेगी।

(छ) सुविधाएँ : दुर्घटना की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को स्थापित करना है। आईआरएस सामूहिक शब्दावली जैसे दुर्घटना कमांड पोस्ट, पांइट क्षेत्र, दुर्घटना बेस, कैंप, राहत कैंप, हेलीबेस, हेलीपैड आदि के प्रयोग द्वारा उनको मानकीकृत करने का प्रयास कर रहा है। सुविधाओं तथा इनके चिह्नों को अध्याय–3 के पैरा 3.15.1, 3.15.3, 3.15.4, 3.15.5, 3.15.8 तथा अध्याय–6 के पैरा 6.2.1, 6.4.4.3 में विस्तार से दिया गया है।

2.3.9 जवाबदेही

आईआरएस में, कमांड की स्पष्ट श्रृंखला से यह सुनिश्चित है कि एक व्यक्ति या समूह को एक से ज्यादा पर्यवेक्षकों को सौंपा नहीं जाता है। अन्य कार्यविधियों के द्वारा और विविध रूपों के प्रयोग से, कार्मिक तथा संसाधनों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह अनुक्रिया प्रयास को पुर्णतया फोकस करती है तथा अपर्यवेक्षी गतिविधि के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। यह सभी निष्पादित गतिविधियों तथा नियुक्त संसाधनों का पूर्ण रिकार्ड रखने में मदद करती है। आईआरएस में विविध प्रक्रियाएँ एवं रूप निम्नलिखित हैं।

(क) **दुर्घटना विवरण : फार्म 001** अनुक्रिया गतिविधियों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के विवरण में मदद करता है। यह नये अनुक्रिया करने वालों को अनुक्रिया की स्थिति का पूर्ण विवरण तुरंत प्राप्त करने में मदद करेगा। यह प्रभावित स्थान के नक्शे को दर्शता है, वर्तमान कार्यवाही का सार देता है, सक्रिय आईआरएस संगठन की स्थिति बताता है तथा संसाधन का सार देता है।

(ख) **दुर्घटना स्थिति सार (आईएसएस) : फार्म 002** नियत किए गए कार्य, पूर्ण हो चुके कार्य या अभी बचे हुए कार्यों की स्थिति को बताता है। इसके पास मौसम की स्थितियों तथा अन्य आशंकाओं जो दुर्घटना की भयावहता को बढ़ा सकती हैं, का विवरण होता है।

(ग) **निष्पादित गतिविधियों का रिकार्ड : फार्म 003** में आईआरटी के विभिन्न स्तरों– अनुभागों, शाखाओं, समूहों का पूर्ण निष्पादन रिपोर्ट होती है जिसमें उनकी स्थिति तथा उनको नियत किए गए कार्य साथ ही साथ संसाधन एवं किए गए कार्य की स्थिति का वर्णन होता है।

(घ) **निष्पादित गतिविधियों का रिकार्ड : फार्म 004** विभिन्न अनुभागों के अधीन प्रत्येक अनुक्रियक के साथ उपलब्ध रहेगा और संबंधित प्रचालन अवधि के दौरान निष्पादित गतिविधियों का एक पूर्ण ब्यौरा होगा। इस फार्म के द्वारा एकत्रित की गई सूचना ओएस के द्वारा संकलित की जाएगी और इकाई लॉग–फार्म 003 में उल्लिखित किया जाएगा।

(ङ) **संगठन समनुदेशन सूची : फार्म 005** कार्य को फोकस ढंग से निष्पादित करने में मदद करेगा। पत्रसार सभा में आईएपी की तैयारी के बाद, आईसी तथा विभिन्न

अनुभागों के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि निष्पादन के लिए आवश्यक गतिविधियों को फार्म 005 में सूचीबद्ध किया गया है तथा विभिन्न अनुभागों के संबंधित अनुक्रियकों तथा पर्यवेक्षण कर्मचारियों के बीच वितरित किया गया है। यह उस विशेष प्रचालन अवधि के लिए मिलान–सूची की तरह होगा जो अनुक्रियकों की व्यापक एवं फोकस ढंग से अनुक्रिया करने में मदद करेगा।

(च) **दुर्घटना पहुँच का समय तथा तैनाती सूची : फार्म 006** विभिन्न सुविधाओं पर संसाधनों की प्राप्ति तथा विभिन्न दुर्घटना स्थलों पर अनुक्रिया के लिए भेजने पर दृष्टि रखेगा। इस सूची को अनुक्रिया के लिए स्थापित सभी सुविधाओं के प्रबंधकों/प्रभारियों के द्वारा तैयारा किया जाएगा।

(छ) **ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची : फार्म 007** उन अधिकारियों की सूची रखता है जिनको तैनात किया गया है। इसे अनुभाग स्तर पर तैयार किया जाएगा तथा आईसी के द्वारा आरओ को भेजा जाएगा। यह सूची आरओ तथा आईसी की अधिकारियों को आसानी से ढूंढने तथा उन्हें निर्देश जारी करने में मदद करेगा।

(ज) **चिकित्सा योजना : फार्म 008** आईएपी के अनुसार एलएस की चिकित्सा इकाई के द्वारा तैयार किया जाएगा। यह प्रभावित क्षेत्रों के विविध स्थानों पर सक्रिय चिकित्सा सहायता कैंपों की संख्या तथा उपलब्ध संसाधनों के बारे में बताएगा। जैसे– 1) चिकित्सा अधिकारी, 2) चिकित्सक–सहायक, 3) अन्य स्वयंसेवी, 4) जीवन रक्षक दवाएँ, 5) दवाएँ/उपकरण, 6) रिफेरल सेवाओं तथा ब्लड बैंकों की सूची, 7) एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता तथा संग्रह एवं 8) आगे सहायता के लिए सरकारी तथा निजी स्थापनाओं की सूची आदि।

(झ) **दुर्घटना संचार योजना : फार्म 009** आपदा अनुक्रिया के लिए पहले से विद्यमान, उपलब्ध सुविधाओं तथा नई सुविधाओं को कहां पर स्थापित करना है, की पूर्ण तस्वीर प्रदान करने में मदद करता है। यह उपलब्ध संचार के प्रकार, उनके विद्युत आपूर्ति का स्त्रोत तथा वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है या नहीं, का ब्यौरा देता है। विवादित संहिताओं जो प्रयोग में लाए जा सकते हैं, का ध्यान रखते हुए पुलिस, एनडीआरएफ, सशस्त्र बल, सिंचाई विभाग आदि की अंर्तसगठन संचार सुविधाओं के नेटवर्क के लिए डिजाइन तैयार करने की योजना है। स्थापनों की बड़ी संख्या और विविधता तथा भारी संचार यातायात के कारण कई नेटों जैसे कमांड नेट, प्रचालन नेट, संभार–तंत्र नेट

तथा जमीन से वायु तक के नेट की स्थापना होनी है। इससे संचार सुविधाओं के अनुरक्षण के लिए पर्यवेक्षण, अनुरक्षण, प्रतिस्थापन, मरम्मत एवं परिवहन में भी मदद मिलेगी।

(ञ) **विघटन योजना : फार्म 010** को पीएस के द्वारा आईसी एवं अन्य अनुभाग अध्यक्षों के परामर्श से तैयार किया जाएगा। इसे आरओ के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा व्यापक रूप से पहले ही वितरित किया जाएगा। यह प्रायः अनुभव किया गया है कि उचित विघटन योजना की कमी तथा इसके उचित किवीर्णन की कमी के कारण आपदा अनुक्रिया के लिए जुटाए गए संसाधनों (आदमी एवं मशीनें) को लौटते समय परिवहन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः विघटन योजना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक अनुक्रियक को वहाँ से लौटने का दिन एवं समय तथा उनके लौटने के लिए क्या रीति होगी, की जानकारी रखना जरूरी है।

2.3.10 एकीकृत संचार

आईआरएस ढाँचे के अंतर्गत संचार की योग्यता बहुत महत्त्वपूर्ण है। एलएस में पूर्ण संचार इकाई का प्रावधान किया जा चुका है। दुर्घटना के आकार, जटिलता, विविध प्रकार के उपकरणों की उपलब्धता तथा अनुक्रियकों एवं एजेंसियों से संचार की समकालिक आवश्यकता के अनुसार कई संचार नेटवर्कों को स्थापित किया जा सकता है। इनमें कमांड नेट, प्रचालन नेट, संभार–तंत्र तेट तथा जमीन से वायु तक नेट शामिल हो सकते हैं। विविध एजेंसियों के बीच एक उपयुक्त अंतप्रचालनीय एवं संगत नेटवर्क की स्थापना को डिजाइन करना है। यह नेटवर्किंग एजेंसी जैसे एनडीआरएफ, सशस्त्र बल आदि की क्षमताओं के समन्वीकरण के लिए भी जरूरी है जब वे सहायता के लिए तैनात की जाती हैं। भारत सरकार भी साथ–साथ राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एनडीसीएन) पर कार्य कर रही है जो प्रचंड आपदा में लाभप्रद होगा जब सभी विद्यमान संचार व्यवस्थाएँ असफल हो जाती हैं।

2.3.11 संसाधन प्रबंधन

संसाधनों को उनकी नियोजनयिता को सूचित करने के लिए विशिष्ट शब्दावली के अंतर्गत प्रबंधित तथा नियत किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता हैः

क) **संसाधन स्थिति :** किसी भी दुर्घटना के लिए नियत युक्तिक संसाधन निम्नलिखित पाँच दशाओं में से कोई भी होंगे।

- **आवश्यक :** वे संसाधन जिनकी आपदाओं से प्रभावी ढंग से अनुक्रिया करने के लिए आवश्यकता है तथा जिनको प्राप्त करना आवश्यक है।
- **उपलब्ध :** वे संसाधन जो पांइट क्षेत्र में नियुक्ति के लिए तैयार हैं।
- **नियत :** वे संसाधन जो सक्रिय समनुदेशन पर हैं, और
- **सेवा से बाहर :** वे संसाधन जो मरम्मत या अनुरक्षण न हो पाने के कारण नियत या उपलब्ध नहीं हैं।

ख) **एकल संसाधन :** एकल संसाधन में कार्मिक एवं उनके उपकरण दोनों शामिल हैं।

ग) **स्ट्राइक दल :** स्ट्राइक दल एक ही प्रकार एवं किस्म के संसाधनों जिनका संचार सामूहिक है तथा एक लीडर है, की एक नियत संख्या का विशेष संगठन है। स्ट्राइक दल को दुर्घटना स्थल पर स्थिति की मांग के अनुसार उपलब्ध एकल संसाधनों से पहले से ही निर्दिष्ट या एकत्रित किया जा सकता है।

घ) **कार्यदल :** कार्यदल विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक साथ संपादित करने के लिए नियंत्रण के विशिष्ट विस्तार के घेरे में विभिन्न प्रकार एवं किस्म के एकल संसाधनों का संगठन है। उन्हें सामूहिक संचार एवं एक लीडर के साथ एक विशिष्ट स्थान में बहु–युक्तिक कार्य के लिए एकत्रित किया जाता है। कार्यदल को आवश्यकतानुसार उपलब्ध एकल संसाधनों से दुर्घटना स्थल में अनुक्रिया के लिए पूर्व–निर्धारित या एकत्रित किया जा सकता है।

2.3.12 दुर्घटना कार्यवाही योजना (आईएपी), तथ्य–प्रस्तुति और अभियान–बोध सभा

प्रत्येक दुर्घटना के प्रबंधन के लिए कार्यवाही योजना तथा सभी कार्मिकों के समक्ष उचित तथ्य–प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। कार्यवाही योजना एवं तथ्य–प्रस्तुति का उद्देश्य सभी संबंधित कार्मिकों को विविध कार्यों के लिए उचित निर्देशन प्रदान करना है। अनुक्रिया गतिविधि शुरु करने से पहले आरओ/आईसी को स्थिति का जायजा, विविध कार्यों को करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता तथा जुटाव का जायजा लेने दुर्घटना की आवश्यकता है तथा अनुक्रियक को उचित तथ्य–प्रस्तुति देने की आवश्यकता है। इसके लिए, उसे प्रत्येक

प्रचालन अवधि की शुरुआत में एक उचित तथ्य–प्रस्तुति सभा का आयोजन करना जरूरी होगा। प्रचालन अवधि के अंत में अभियान–बोध सभा का आयोजन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है ताकि वे फिर से पुर्नविचार कर सकें कि उद्देश्यों को प्राप्त किया गया या नहीं और तब यह निश्चित कर सकें कि दूसरे प्रचालन अवधि में अग्र कदम क्या उठाये जाने की आवश्यकता है ताकि वे उद्देश्यों को पूरा कर सकें। तथ्य प्रस्तुति तथा अभियान–बोध दोनों प्रकार की सभाओं के आधार पर आईएपी तैयार किया जाएगा तथा कार्य नियत किए जाएंगें। आईसी की सुविधा के लिए एक तथ्य–प्रस्तुति फार्म 001 भी तैयार किया गया है और अनुलग्नक–1 में दिया गया है। तथ्य–प्रस्तुति फार्म 001 वरिष्ठ अधिकारियों जो उस समय वहाँ पहुंचेगे के समक्ष तथ्य–प्रस्तुति के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा।

कुछ स्थितियों में जब महत्त्वपूर्ण विकास होते हैं और आगे ब्रीफिंग एवं डीब्रीफिंग सभाओं के बीच तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, आईसी एक प्रचालन अवधि के पूर्ण होने से पहले भी निर्देशन जारी कर सकता है।

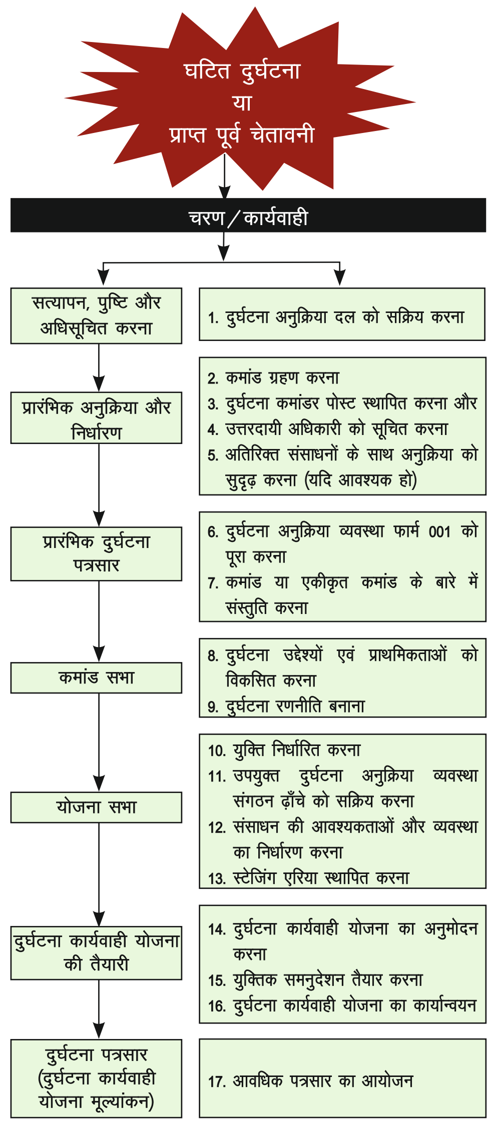

चित्र–2. अनुक्रिया के लिए कदम एवं कार्यवाहियाँ

दुर्घटना की कालावधि तथा विस्तार के आधार पर आईएपी लिखित या मौखिक हो सकता है। दुर्घटना निम्न, मध्यम या बृहद स्तर की हो सकती है। निम्न स्तर की दुर्घटना 24 घंटे से कम की होगी, मध्यम 24 घंटे से ज्यादा तथा 36 घंटे से कम की होगी तथा बृहद दुर्घटना 36 घंटे से भी ज्यादा के आकस्मिक प्रचालन की होगी। निम्न या मध्यम स्तर की दुर्घटनाओं में, मौखिक कार्यवाही योजना पर्याप्त होती है। मौखिक रूप से दिए गए निर्देश को कमांड कर्मचारीवर्ग द्वारा संक्षिप्त में लिखा जा सकता है तथा आईएपी में एकीकृत करने के लिए पीएस को सौंप दिया जाएगा।

बिना चेतावनी के अचानक आई आपदा के केस में आईसी को तुरंत अनुक्रिया करनी पड़ सकती है। इस प्रकार के केस में, कमांड कर्मचारीवर्ग भी अनुक्रिया के लिए किए गए निर्णयों को संक्षिप्त में लिख लेगा तथा इसे पीएस को सौंप देगा जब यह सक्रिय होगा और इसे आईएपी में समावेशित कर लेना चाहिए।

ऐसी बृहद् दुर्घटना के केस में, जब पर्याप्त रूप से पहले ही चेतावनी दी गई हो, लिखित आईएपी की आवश्यकता होगी। आईएपी में दुर्घटना के उद्देश्य, संगठन समनुदेशन तथा मंडल समनुदेशन सूची, दुर्घटना संचार योजना, यातायात योजना, सुरक्षा योजना एवं दुर्घटना मानचित्र आदि होंगे। आईएपी का विस्तारपूर्वक वर्णन योजना अनुभाग, 7.1 (5) में दिया गया है।

2.4 राज्य और जिला स्तर पर दुर्घटना अनुक्रिया दल (आईआरटी)

आईआरटी चित्र–3 में दर्शाये गये आईआरएस संगठन के सभी पदों से मिलकर बना हुआ दल है जिसका मुखिया आईसी होता है। ओएस विभिन्न युक्ति प्रचालनों जैसा कि आवश्यक है, को तैयार करने में मदद करता है। एलएस संसाधनों की उपलब्धता तथा आवश्यकता को निर्धारित करता है तथा उनको प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करता है।

आईआरटी राज्य, जिला, उप–मंडल तथा तहसील/ब्लॉक स्तर पर कार्य करेगा। ये दल सभी प्राकृतिक एवं मनुष्य–निर्मित आपदाओं के लिए अनुक्रिया करेंगे।

सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई (उप–मंडल, तहसील या ब्लॉक) केस के अनुसार प्रथम अनुक्रियक होंगे। यदि दुर्घटना जटिल हो जाती है तथा स्थानीय आईआरटी के नियंत्रण से परे हो जाती है, तो उच्च स्तरीय आईआरटी को सूचित किया जाएगा और वे अनुक्रिया व्यवस्था को संभाल लेंगे। इस प्रकार के केस में, निम्न स्तरीय आईआरटी का उच्च स्तरीय आईआरटी में विलय हो जाएगा।

जब निम्न स्तरीय आईआरटी (उदाहरणतः ब्लॉक/तहसील) का उच्चस्तरीय आईआरटी (उदाहरणतः उप–मंडल जिला या राज्य) में विलय हो जाता है तो निम्नस्तरीय आईआरटी के एलसी की भूमिका भी परिवर्तित हो जाएगी। जब ब्लॉक स्तरीय आईआरटी का उप–मंडल स्तरीय आईआरटी के साथ विलय होता है तो ब्लॉक स्तरीय आईसी उप–आईसी

या ओएससी की भूमिका निभाएगा या अन्य कोई भी कर्त्तव्य–भार जो आईसी के उच्चाधिकारियों के द्वारा नियत किया जाएगा। यह प्रक्रिया सभी स्तरों पर लागू होगी।

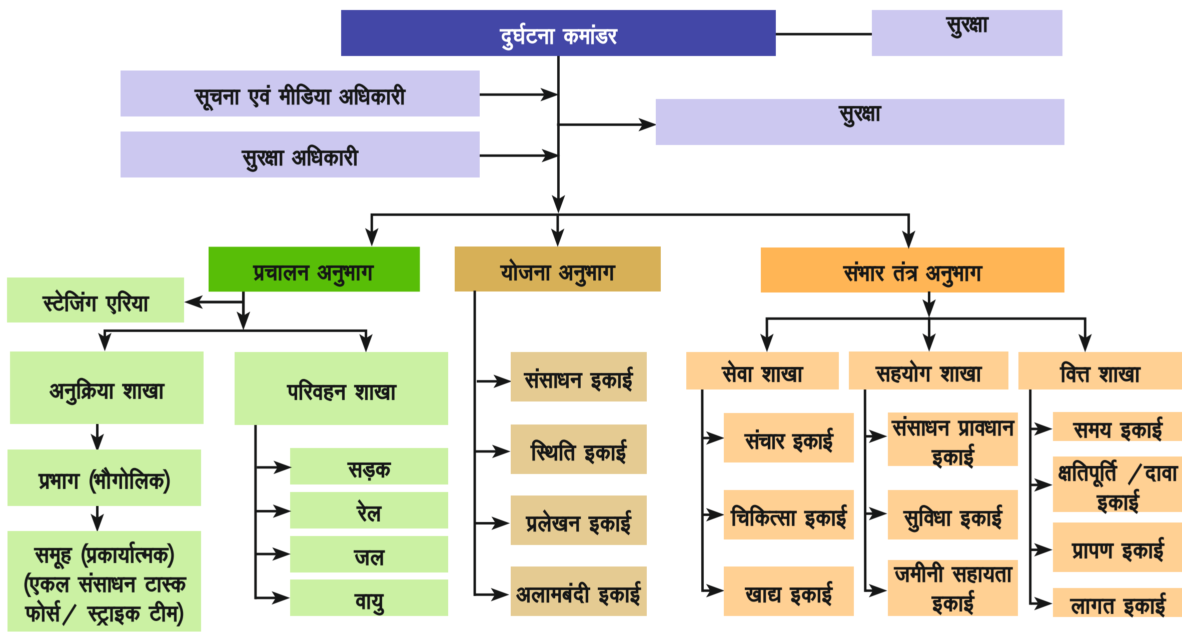

चित्र–3. आईआरटी ढाँचा

संक्षेप में, आईआरएस, आईएपी के उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन का एक उदाहरण है। यह कमांड कर्मचारीवर्ग, अनुभागों, शाखाओं, मंडलों, समूहों, इकाइयों, संसाधनों और नियंत्रण के विस्तार के एक संगठनात्मक तंत्र के द्वारा किसी भी विस्तृत दुर्घटना की देखभाल करता है। एकीकृत कमांड (यूसी) के द्वारा यह अधिकारिक या प्रकार्यात्मक जिम्मेदारियों वाली सभी एजेंसियों को संयुक्त रूप से दुर्घटना उद्देश्यों तथा रणनीतियों को विकसित करने की अनुमति देता है। यह कार्मिक जवाबदेही, संसाधन प्रबंधन, एकीकृत संचार एवं कमांड के हस्तांतरण की स्पष्ट प्रक्रिया रखता है।

देश के संघीय ढाँचे के अनुसार यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी आपदा के लिए अनुक्रिया संबंधित राज्यों तथा जिलों के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। भारत सरकार संसाधनों, जनशक्ति (एनडीआरएफ, सशस्त्र एवं पैरा सैन्य बलों), उपकरण एवं निधियों के रूप में सहायता प्रदान करने की भूमिका निभाएगी। भारत सरकार के स्तर पर, एनसीएमसी या एनईसी आवश्यक संसाधनों को समन्वीकृत करेगा तथा प्रदान करेगा। एनडीएमए अनुक्रिया के समन्वयन को मॉनीटर करने में मदद करेगा।

आईआरटी सभी स्तरों पर पूर्व–निर्दिष्ट होगा। पहले ही चेतावनी प्राप्त होने पर आरओ उन्हें सक्रिय कर सकता है। बिना किसी चेतावनी के आपदा घटित होने की दशा में, स्थानीय आईआरटी अनुक्रिया करेगा तथा आरओ को रिपोर्ट करेगा तथा आगे की मदद के लिए सिफारिश करेगा यदि उसकी आवश्यकता है।

डीएम एक्ट 2005 के प्रावधानों तथा जिला एवं राज्य स्तर पर देश में विद्यमान प्रशासनिक ढाँचे को देखते हुए।

अध्याय – 3
आपदा अनुक्रिया प्रबंधन

3.1 अनुक्रिया तंत्र

भारत में सुनिश्चित, संतुलित एवं दीर्घकालीन प्रशासनिक ढाँचा मौजूद है। डीएम एक्ट 2005 की धारा 22(2), 24, 30 एवं 34 ने स्पष्ट रूप से विविध एजेंसियों द्वारा निष्पादित होने वाले डीएम से संबंधित कई कर्त्तव्य–भारों को निर्धारित किया है। कोई भी एजेंसी या विभाग अकेले किसी भी प्रकार की आपदा स्थितियों से नहीं निपट सकता है। आपदा को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न विभागों को मिलकर काम करना होता है। सभी उपलब्ध संसाधनों के उचित समन्वयन तथा प्रभावी प्रयोग के लिए विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों को ऐसे औपचारिक अनुक्रिया प्रबंधन ढाँचे की आवश्यकता है जो सामंजस्य प्रदान करता है, दक्षता को विकसित करता है तथा अनुक्रिया के दौरान उचित निर्देशन प्रदान करता है। अनुक्रिया प्रबंधन योजना, कार्यान्वयन और समन्वयन के कार्यों को संस्थापित करता है। जबकि उत्तरदायित्व है, योजना का कार्यान्वयन सरकार के ढाँचे के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। समन्वयन एवं योजनाओं के निर्विघ्न कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, निकाय जैसे एनडीएमए, एनईसी, एसडीएमए तथा एसईसी को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर गठित किया गया है। जिला स्तर पर, सभी गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन तथा समन्वयन डीडीएमए में स्वयं निहित है।

आईआरएस विविध कार्यों जिनकी विविध स्तरों पर विद्यमान प्रशासनिक तंत्र द्वारा निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है, का ध्यान रखता है तथा उन्हें निर्धारित करता है। यह विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकारियों के पूर्ववर्ती एकीकरण तथा उन्हें उनकी भूमिकाओं में प्रशिक्षित करने की भी अनुशंसा करता है और उन्हें एक ढाँचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत सभी संबंधित विभाग जिला और राज्य प्रशासन के आगे–पीछे कार्य करेंगे।

आईआरटी सभी स्तरों पर पूर्व–निर्धारित होगा। पूर्व चेतावनी प्राप्त करने पर आरओ उन्हें सक्रिय कर सकता है। बिना चेतावनी के घटित होने वाली आपदा के केस में, स्थानीय आरटी अनुक्रिया करेगा तथा आरओ को रिपोर्ट करेगा तथा आगे की सहायता के लिए सिफारिश करेगा यदि उसकी आवश्यकता है।

डीएम एक्ट 2005 के प्रावधानों तथा जिला एवं राज्य स्तर पर देश में विद्यमान प्रशासनिक ढाँचे की दृष्टि से, मुख्य सचिव (सीएस) एवं जिला मजिस्ट्रेट/डीसी की भूमिका अनुक्रिया के संदर्भ में सम्मिलित रहती है। आईआरएस में, एक ऐसे नामोद्दिष्ट अधिकारी की आवश्यकता महसूस हुई जिसको स्पष्ट रूप से आपदा के लिए अनुक्रिया करने के लिए कानूनन जिम्मेदार तथा जवाबदेह बनाया जाए और अतः अनुक्रिया अधिकारी (आरओ) के पद को सृजित किया गया। यद्यपि दुर्घटना अनुक्रिया प्रबंधन को आरओ के सीधे हस्तक्षेप की हमेशा आवश्यकता नहीं हो सकती है। इस आधार पर, प्रबंधन आईसी के द्वारा किया जाएगा जिसका अधिकार आरओ के द्वारा प्रदान किया जाएगा। सीएस और जिला मजिस्ट्रेट/डीसी अपने संबंधित प्रशासनिक अधिकार–क्षेत्र में आरओ की भूमिका निभाएँगे और वे किसी भी दुर्घटना या संकट के दौरान सभी अनुक्रिया गतिविधियों के लिए हर तरफ से जिम्मेदार होंगे।

सीएस एवं जिला मजिस्ट्रेट/डीसी की भूमिकाओं को इस अध्याय में प्रतिष्ठित किया जा चुका है ताकि दुर्घटना अनुक्रिया के लिए आईआरएस के कार्यान्वयन में कोई भी संदिग्धता न रहे। डीएम एक्ट के अनुसार, ऐसा देखा जाएगा कि सीएस एसडीएमए का मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) साथ ही साथ एसईसी का अध्यक्ष होगा। वह1 राज्य में प्रशासनिक ढाँचे का मुखिया भी है। जिला मजिस्ट्रेट/डीसी डीडीएमए का अध्यक्ष है और उसे सभी विभागों और स्थानीय निकायों के द्वारा सहायता–प्राप्त उसके 2 अधिकार–क्षेत्र में योजना, समन्वयन तथा डीएम के कार्यान्वयन की सभी सम्मिलित भूमिकाओं को नियत किया गया है। यद्यपि जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष को भी डीएम में सामुदायिक भागीदारी को प्राप्त करने के लिए डीडीएमए के सह–अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया गया है, फिर भी आपदा अनुक्रिया की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन का मुखिया होने के नाते जिला मजिस्ट्रेट/डीसी की है। यह केवल प्रशासनिक तंत्र– सीएस, जिला मजिस्ट्रेट/डीसी एवं उनके अधिकारियों का दल ही होगा जो उनके अधिकार–क्षेत्र में प्रभावी अनुक्रिया करने के लिए जिम्मेदार तथा जवाबदेह होगा। जिला स्तर पर सहयोग के लिए एनजीओ, पीआरआई तथा समुदाय एवं अन्य हितधारकों को प्राप्त करने या जुटाने के लिए डीडीएमए का सह–अध्यक्ष मददगार साबित हो सकता है।

3.2 राष्ट्रीय स्तर पर समन्वीकरण व्यवस्थाएँ

यद्यपि किसी भी आपदा की अनुक्रिया डीएम एक्ट 2005 के अधिनियम से पहले भी मुख्य रूप से राज्य के द्वारा की जाती रही है, भारत सरकार ने पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर संकट अनुक्रिया के समन्वयन के लिए एक शीर्ष निकाय का गठन किया है जिसका मुखिया मंत्रिमडल सचिव है जिसे एनसीएमसी कहा जाता है। डीएम एक्ट 2005 ने भी गृह सचिव के अधीन अनुक्रिया के समन्वयन के लिए एक निकाय की स्थापना की है जिसे एनईसी कहते हैं।

परिपाटी के अनुसार, एनसीएमसी बहुत ही गंभीर संकट एवं आपदाओं में शामिल होता है। एनईसी को सभी आपदाओं में कानूनी रूप से शामिल होना है। एनसीएमसी/एनईसी का अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं के प्रबंधन के लिए मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष इस उद्देश्य के लिए एक नोडल अधिकारी (एनओ) को नामोद्दिष्ट कर सकता है। सरकार के विविध मंत्रालय/विभाग भी ईएसएफ के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एनओ को नामित कर सकते हैं जिनकी किसी विशेष दुर्घटना में आवश्यकता हो सकती है। एनसीएमसी/एनईसी के संघटन को सभी अग्रणी एवं समर्थन कार्यों को कवर करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

3.3 अग्र एजेंसी/नोडल विभाग

डीएम 2009 पर राष्ट्रीय नीति ने अभिव्यक्त किया है कि ऐसे आपातकाल जिनमें सुरक्षा बलों और/या सूचना एजेंसियों के शालिम होने की आवश्यकता होती है, उदाहरणार्थ– आतंकवाद (प्रतिकूल विद्रोह), कानून व्यवस्था स्थिति, श्रेणीगत बम धमाके, अपहरण, वायु दुर्घटना, सीबीआरएन, खान आपदा, बंदरगाह एवं जलपोताश्रय आपात स्थिति, दावानल, तेलक्षेत्र आग एवं तेल फैलाव, को वर्तमान तंत्र अर्थात एनसीएमसी के द्वारा सभी स्तरों पर डीएम अधिकारियों के साथ उपलब्ध संसाधनों के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा तथा निकट मार्ग विषयवस्तु जैसे चिकित्सा, बचाव एवं राहत आदि को इस प्रकार की आपदाओं/आसनन आपदाओं के समय में नोडल मंत्रालयों/एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा, अन्य बड़े प्राकृतिक एवं मनुष्य–निर्मित आपदाओं के प्रबंधन में अग्र एवं समर्थनीय एजेंसियों की आवश्यकता होगी। विभिन्न आपदाओं में अनुक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अतः, प्राकृतिक आपदा में बचाव एवं राहत के केस में, यह सामान्यतया स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ होंगे,

आग के केस में अग्नि विभाग होगा, सूखे के केस में कृषि विभाग होगा, महामारी तथा अन्य जैविक आपदाओं के केस में स्वास्थ्य विभाग होगा जिसे अग्रणी की भूमिका निभानी होगी और शेष विभाग आवश्यकतानुसार तथा उनकी क्रोड क्षमताएँ सहयोगी की भूमिका निभाएँगी। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समन्वयक तथा राज्य एवं जिला स्तर पर आरओ अग्रणी एवं सहयोगी एजेंसियों के रूप में संबंधित विभागों को उनकी भूमिका को पहले से ही सुनिश्चित करेंगे।

3.4 राज्य स्तर पर अनुक्रिया का समन्वयन

किसी भी आपदा अनुक्रिया में, शुरूआती प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा हमेशा किया जाता है। यद्यपि यदि जिला किसी भी स्थिति में पराभूत हो जाता है तो राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर से आवश्यक रूप से मदद भेजी जाती है। जबकि आईआरएस मुख्यतया मूलभूत प्रकार्यात्मक स्तर पर संगत है, यह निश्चित रूप से आवश्यक है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर से भी समर्थन पदाधिकारी आकस्मिक सहयोग ड्यूटी में आईआरएस के सिद्धांतों के अनुसार चलें। यह राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के विविध अनुक्रिया प्रयासों का जिले के साथ उचित समन्वयन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। अतः राज्य अनुक्रिया के संबंध में आईआरएस के ढाँचे को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। आरओ का राज्य ईओसी, मुख्यालय आईआरटी एवं इसके जिला स्तर पर निम्नस्तरीय आईआरटी के साथ श्रेणीबद्ध प्रदर्शन चित्र–4 में दर्शाया गया है।

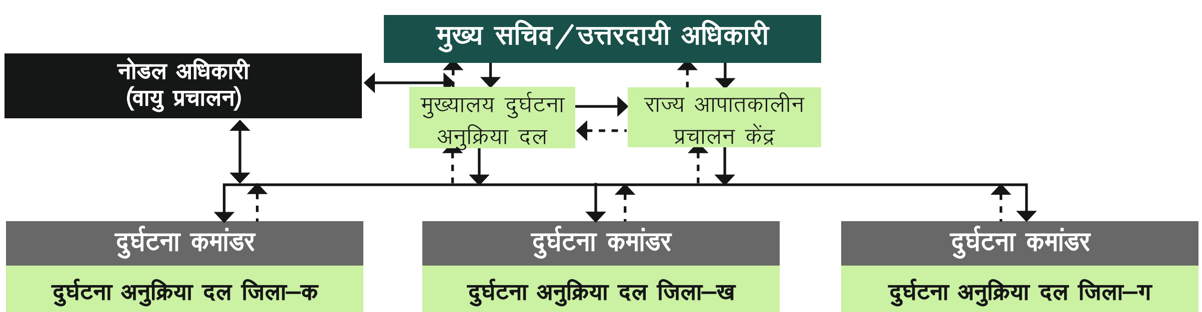

चित्र–4. राज्य स्तर पर आईआरटी

चित्र–3 में दर्शाया गया राज्य स्तरीय आईआरएस संगठनात्मक ढाँचा का सभी प्रकार एवं आकार के आपदाओं के प्रबंधन में सक्रिय होना आवश्यक नहीं है। दुर्घटना अनुक्रिया को मॉनीटर करने तथा सहयोग करने के लिए आरओ सभी आवश्यक आकस्मिक समर्थन अधिकारियों (ईएसएफ) तथा मुख्यालय आईआरटी को मौके पर मौजूद आईसी को सहयोग देने के लिए शामिल करेगा। आईसी ईओसी के समन्वयन में कार्य करेगा तथा आरओ को रिपोर्ट करेगा।

राज्य सरकार/सीएस संबंधित विभागों के विविध अधिकारियों को इन निर्देशतत्वों के अनुवर्ती अध्याय में उल्लिखित के अनुसार कर्त्तव्य–भार निष्पादित करने के लिए संबंधित आईआरएस पदों के लिए अभिहित करेगा। राज्य का प्रशासनिक मुखिया साथ ही साथ एसडीएमए का सीईओ होने के नाते, सीएस को राज्य के आरओ के रूप में अभिहित किया गया है। वह अपने कार्यों में से कुछ कार्यों को सचिव, राज्य के डीएम, को दुर्घटना के प्रतिदिन पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन के लिए सौंप सकता है। यद्यपि वह ईओसी एवं आईसी को पूर्णतया तथ्य प्रस्तुत करता रहता है एवं हर समय अनुक्रिया गतिविधियों के सभी विकासों तथा उन्नति के बारे में जानकारी रखेगा। किसी दुर्घटना के जिला प्रशासन के नियंत्रण से बाहर होने के केस में, या कई जिलों के प्रभावित होने की दशा में, राज्य का आरओ एक एरिया कमांड को स्थापित करेगा और एक एरिया कमांडर (एसी) को अभिहित करेगा। वह मंडलायुक्त को एसी के रूप में कार्य करने के लिए विचार कर सकता है या वरिष्ठता के बावजूद उचित/उपयुक्त अधिकारी को तैनात कर सकता है। आरओ कुछ सहयोगी कर्मचारियों को उसे सहयोग प्रदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

केन्द्रीय दलों (एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों) की तैनाती के केस में, आरओ को सभी संघर्षों के समाधान सुनिश्चित करने होंगे। इस उद्देश्य के लिए वह ईओसी में इस प्रकार की एजेंसी के एक प्रतिनिधि को संलग्न कर सकता है। यद्यपि तैनात की गई टीमें ओएस में ओएससी के पर्यवेक्षण के अधीन स्ट्राइक टीम, टास्क फोर्स या एकल संसाधन के रूप में कार्य करेंगी, सभी संघर्षों को आरओ के द्वारा उच्च स्तर पर ही आसानी से सुलझाया जा सकता है। आईसी भी पर्यवेक्षण करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने स्तर पर सभी संघर्षों को सुलझाएगा।

3.4.1 सीएस की राज्य के आरओ के रूप में भूमिका तथा जिम्मेदारी

(1) सीएस जो राज्य प्रशासन का मुख्यिा है तथा एसईसी का अध्यक्ष एवं एसडीएमए का सीईओ भी है, डीएम एक्ट 2005 की धारा 22(2) एवं 24 के अधीन निर्धारित जिम्मेदारियों को निष्पादित करेगा।

(2) एक्ट की धारा 22(एच) प्रदत्त करती है कि एसईसी का अध्यक्ष राज्य सरकार के किसी भी विभाग या राज्य में किसी अन्य प्राधिकार या निकाय को किसी भी संतर्जक आपदा स्थितियों या आपदा के लिए अनुक्रिया में की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में निर्देशन देगा। अतः वह राज्य स्तर पर सभी विभागों के सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त के अलावा, सीएसः

(3) सुनिश्चित करता है कि राज्य, जिला, उप–मंडल, तहसील/ब्लॉक पर आईआरटी बने हैं और राज्य एवं जिला डीएम योजना में आईआरएस को समन्वित किया गया है। इसे अनुलग्नक–11 में दिए गए आईआरटी में विभिन्न पदों के लिए उचित अधिकारियों की पहचान के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट/डीसी, संबंधित विभागों को एक स्थायी आदेश जारी करके प्राप्त किया जा सकता है।

(4) पहले से ही विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों को एक स्थायी आदेश जारी करता है ताकि किसी भी आपातकाल में उपकरण एवं कार्मिकों दोनों का जुटाव आसानी से हो सके।

(5) यह सुनिश्चित करता है कि आकस्मिक प्रापण के लिए स्पष्ट रूप से प्रक्रिया का वर्णन करते हुए अग्रदाय निधि की उचित राशि संस्वीकृत की गई है।

(6) सुनिश्चित करता है कि डीएम में प्रशासनिक तंत्र के क्षमता निर्माण के लिए 13वें वित्त आयोग (एफसी) की निधि का उचित ढंग से व्यय किया गया है।

(7) सुनिश्चित करता है कि आईआरएस को एटीआई तथा राज्य के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण पाठ्य विवरण में समाविष्ट किया गया है। एटीआई में इस उद्देश्य के लिए उचित संकाय होना चाहिए। आवश्यकता के केस में, 13वीं एफसी के अनुशंसित निधि के अलावा, अनलु ग्नक–14 में अनलुग्न सीआरएफ प्रतिमानक पत्र सं. 32–34/2005 एनडीएम–1/एमएचए जीओआई के क्रमांक 25 में उल्लिखित निधि का भी प्रयोग किया जा सकता है।

(8) सुनिश्चित करता है कि ईओसी में प्रभावी संचार एवं वेब आधारित/ऑनलाइन निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) संगत है और समर्थन के लिए जिला, उप–मंडल तहसील/ब्लॉक स्तर आईआरटी से जुड़ी है।

(9) सुनिश्चित करता है कि पुलिस, अग्नि एवं चिकित्सा सहयोग आदि के लिए राज्य में विद्यमान टॉल फ्री नंबर अनुक्रिया, कमांड एवं नियंत्रण के लिए ईओसी से जुड़ेंगे। उदाहरणतः यदि कहीं पर अग्नि–दुर्घटना होती है तो सूचना केवल फायर स्टेशन तक ही नहीं पहुँचे बल्कि ईओसी एवं नजदीक के अस्पताल तक भी पहुँचे ताकि किसी भी आहत को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जा सके तथा दुर्घटनास्थल पर तुरंत एम्बुलेंस सेवा एवं आकस्मिक चिकित्सकीय सेवा पहुँचाई जा सके।

(10) जरूरत पड़ने पर राज्य मुख्यालय पर आईआरटी को सक्रिय करता है तथा अनुक्रिया के पूरा होने पर उनके विघटन के लिए आदेश भी जारी करता है।

(11) समस्त उद्देश्यों एवं दुर्घटना से संबंधित प्राथमिकताओं को सेट करता है।

(12) स्थापित प्राथमिकताओं के अनुसार अतिआवश्यक संसाधनों को पहचानने, जुटाने तथा नियत करने का कार्य करता है।

(13) सुनिश्चित करता है कि स्थानीय सशस्त्र बलों के कमांडर योजना प्रक्रिया में शामिल हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके संसाधनों को उचित ढंग से समन्वित किया गया है।

(14) सुनिश्चित करता है कि जब एनडीआरएफ, सशस्त्र बल आपदा अनुक्रिया के समर्थन में पहुँचते हैं तो उनकी संभार–तंत्र से संबंधित आवश्यकताएँ जैसे, कैंप लगाने के लिए जमीन, पेयजल, विद्युत एवं गाड़ियों की आवश्यकता आदि को पूरा किया गया है।

(15) आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र बल, वायु समर्थन आदि के जुटाव के लिए केन्द्र सरकार के साथ समन्वयन करता है।

(16) वायु प्रचालनों को समन्वित करने के लिए उचित एनओ की पहचान करता है तथा सुनिश्चित करता है कि सभी जिला आरओ को इस बात की जानकारी है।

(17) सुनिश्चित करता है कि दुर्घटना प्रबंधन उद्देश्य एक दूसरे से न टकराएँ।

(18) आवश्यकता पड़ने पर एसी के स्थापन की आवश्यकता को सुनिश्चित करता है।

(19) जरूरत पड़ने पर एकीकृत कमांड (यूसी) की स्थापना करता है तथा मुख्यमंत्री (सीएम) से अनुमोदन लेता है।

(20) सुनिश्चित करता है कि सभी ईएसएफ की टेलीफोन डायरेक्टरी तैयार की गयी है और वह ईओसी और आईआरटी के पास उपलब्ध है।

(21) वाहनों (पुलिस, अग्नि, एम्बुलेंस आदि) में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) टेक्नोलॉजी के प्रयोग को सुनिश्चित करता है ताकि उनके प्रभावी प्रयोग के लिए कनेक्टीविटी स्थापित की जा सके।

(22) दुर्घटना अनुक्रिया की प्रगति के बारे में एसडीएमए के अध्यक्ष को सूचित करता रहता है।

(23) अनुक्रिया, राहत एवं अन्य गतिविधियों के समस्त समन्वयन को सुनिश्चित करता है।

(24) सुनिश्चित करता है कि गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अपनी गतिविधियों को साम्ययुक्त ढंग से तथा बिना विभेद के कार्यान्वित कर रहे हैं।

(25) आईआरटी के निष्पादन पर पश्च अनुक्रिया समीक्षा आयोजित करता है तथा निष्पादन को समुन्नत करने के लिए उचित कदम उठाता है।

(26) स्थिति की माँग के अनुसार इस प्रकार की अन्य आवश्यक कार्यवाहियों को करता है।

3.5 जिला स्तर पर अनुक्रिया का समन्वयन

जिला मजिस्ट्रेट / डीसी जिला प्रशासन का मुखिया होता है तथा डीएम एक्ट 2005 के अनुसार डीडीएमए का अध्यक्ष होता है। उसे जिले में आरओ के रूप में अभिहित किया गया है।

जिले में विभिन्न विभागों के मुखिया आपदा की प्रकृति एवं प्रकार के अनुसार अलग भूमिकाएँ निभाते हैं। डीडीएमए के सदस्यों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को संबंधित सदस्यों के परामर्श से पहले ही सुनिश्चित किया जाएगा। अन्य संबंधित विभागों की भूमिकाओं को भी जिला डीएम योजना में विविध आपदा स्थितियों में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना है जो राज्य सरकार से अनुमोदित होगा ताकि अनुक्रिया के दौरान उनके कार्यों के बारे में कोई भी संदिग्धता न हो।

जिला मजिस्टट्रे /डीसी/आरओ जिला मख्ु यालय/उप–मडंल एवं तहसील/ब्लॉक स्तर पर आईआरटी के गठन के लिए एक स्थायी आदेश जारी करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि आईआरटी के लिए उचित तथा अनुभवी अधिकारी चयनित हुए हैं।

यद्यपि ओएससी का चयन आपदा की प्रकृति पर निर्भर करेगा। बाढ़ एवं भूकंप के केस में, अनुक्रियकों का मुख्य कार्य प्रभावित क्षेत्र में पहुँचकर पीड़ित व्यक्तियों को बचाना तथा उन्हें राहत प्रदान करना है। लोग जल्दबाजी में अपना घर छोड़ देते हैं तथा वे अपने साथ अपनी मूल्यवान वस्तुओं को नहीं ले जा पाते हैं। ये परित्यक्त घर सुभेद्य हो जाते हैं। रास्ते में राहत सामग्रियों को भी लुटने का डर होता है। इन केसों में, पुलिस एवं सशस्त्र बल इन प्रचालनों को संभालने तथा संपादित करने के लिए बेहतर है। जिला स्तर पर आग लगने के केस में, फॉयर ऑफिसर इस स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त अधिकारी है। स्वास्थ्य से संबंधित आपदा के केस में, इससे निपटने की जिम्मेदारी जिला मुख्य चिकित्साधिकारी की है। ऐसी भी स्थितियाँ आ सकती हैं जब जिला स्तर के अधिकारियों को इस प्रकार की आपदा जैसे सीबीआरएन आपदाओं में अनुक्रिया को प्रचालित करने का अनुभव नहीं है। इस प्रकार की आपदा स्थितियों के लिए पहले से ही ओएससी को निर्धारित करना चाहिए, ताकि वह अनुभाग अध्यक्ष के रूप में ओएस का नेतृत्व करने के लिए आसानी से लामबंद हो सके। एनडीएमए ने नाभिकीय एवं रेडियोधर्मी आपातकालों के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निर्देशतत्व में पहले से ही इस प्रकार की अनुक्रिया के प्रबंधन पर विस्तृत निर्देशतत्व जारी किया है जिसका पालन करना चाहिए। अन्य अनुभागाध्यक्षों को उपयुक्तता एवं क्षमता के अनुसार चयनित किया जाएगा। उप–मंडल, तहसील या ब्लॉक के केस में, संबंधित मुखिया अर्थात् एसडीओ, तहसीलदार, बीडीओ अपने आईएससी को चयनित किया जाएगा। उप–मंडल, तहसील या ब्लॉक के केस में, संबंधित मुखिया अर्थात् एसडीओ, तहसीलदार बीडीओ अपने आईआरटी में आईसी के रूप में कार्य करेंगे तथा आपदा की प्रकृति के अनुसार ओएससी को चयनित किया जाएगा। अनुलग्नक–11 में संदर्भ के लिए विभिन्न स्तरों पर

उपयुक्त अधिकारियों की सूची दी गयी है। पूर्व–आपदा अवधि के दौरान, आरओ सभी आईआरटी सदस्यों के क्षमता निर्माण को उनकी संबंधित भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों के लिए सुनिश्चित करेगा जैसा कि अनुवर्ती अध्यायों में वर्णित किया गया है।

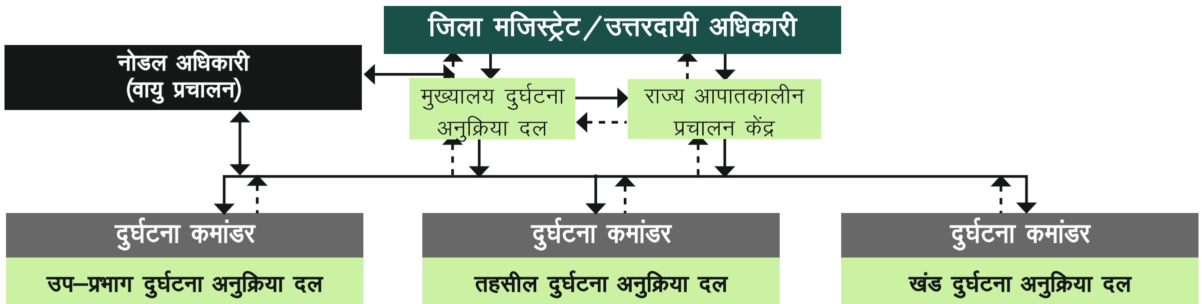

चित्र–5. जिला स्तर पर आईआरटी

जिला स्तर पर पूर्ण आईआरएस संगठनात्मक ढाँचे को चित्र–5 में चित्रित किया गया है। ऊपर चित्रित ढाँचे को आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय किया जा सकता है। दुर्घटना अनुक्रिया को मॉनीटर करने तथा सहयोग देने के लिए आरओ सभी आवश्यक ईएसएफ और मुख्यालय आईआरटी को मौके पर मौजूद आईसी को सहयोग प्रदान करने के लिए शामिल करेगा। केन्द्रीय टीम (एनडीआरएफ, सशस्त्र बल) की तैनाती के केस में आरओ और सभी संघर्षों के समाधान के लिए वह ईओसी में इस प्रकार की एजेंसियों के प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है जिससे सभी संघर्ष उच्च स्तर पर आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। तैनात टीमें ओएससी के पर्यवेक्षण में एकल स्त्रोत, स्ट्राइक टीम या टास्क फोर्स के रूप में ओएस में कार्य करेंगी। आईसीओ आवश्यकता पड़ने पर सभी संघर्षों के समाधान के लिए पर्यवेक्षण करेगा।

आईसी, ईओसी के समन्वयन में कार्य करेगा तथा आरओ को रिपोर्ट करेगा। आरओ सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र में कार्यरत आईआरटी के द्वारा आईएपी के कार्यान्वयन से रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

3.5.1 जिला मजिस्ट्रेट का आरओ के रूप में भूमिका एवं जिम्मेदारी

जिला मजिस्ट्रेट/आरओः

(1) सुनिश्चित करता है कि आईआरटी जिला, उप–मंडल, तहसील/ब्लॉक स्तर पर गठित किए गए हैं तथा डीएम एक्ट, 2005 की धारा 31 के अनुसार जिला डीएम योजना में एकीकृत किया गया है। इसे आरओ के द्वारा सभी एसडीओ, एसडीएम एवं तहसीलदार/बीडीओ को स्थायी आदेश जारी करके प्राप्त किया जा सकता है।

(2) सुनिश्चित करता है कि ईओसी में प्रभावी संचार एवं वेब आधारित/ऑनलाइन निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) संगत है और समर्थन के लिए जिला, उप–मंडल, तहसील/ब्लॉक स्तर आईआरटी से जुड़ी है।

(3) सुनिश्चित करता है कि पुलिस, अग्नि एवं चिकित्सा सहयोग आदि के लिए राज्य में विद्यमान टॉल फ्री नंबर अनुक्रिया, कमांड एवं नियंत्रण के लिए ईओसी से जुडेंगे। उदाहरणतः यदि कहीं पर अग्नि–दुर्घटना होती है तो सूचना केवल फायर स्टेशन तक ही नहीं पहुँचे बल्कि ईओसी एवं नजदीक के अस्पताल तक भी पहुँचे ताकि किसी भी आहत को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जा सके तथा दुर्घटनास्थल पर तुरंत एम्बुलेंस सेवा एवं आकस्मिक चिकित्सकीय सेवा पहुँचाई जा सके।

(4) राज्य सरकार के 13वीं एफसी (अनुलग्नक–16) द्वारा अनुशंसित के रूप में निधि प्राप्त करता है और सुनिश्चित करता है कि जिले के आईआरटी के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है तथा आईआरटी के सदस्य/एटीआई तथा जिले के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा प्रशिक्षित हैं।

(5) आईसी को प्राधिकार सौंपता है।

(6) आवश्यकता पड़ने पर जिला मुख्यालय, उप–मंडल, तहसील/ब्लॉक स्तर पर आईआरटी को सक्रिय करता है।

(7) आवश्यकतानुसार आईसी और आईआरटी को नियुक्त/तैनात, बर्खास्त तथा विघटित करता है।

(8) समस्त दुर्घटना उद्देश्यों, प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करता है तथा सुनिश्चित करता है कि कई उद्देश्य एक–दूसरे से संघर्ष न करें।

(9) सुनिश्चित करता है कि आईएपी, आईसी द्वारा तैयार किया गया है और कार्यान्वित किया गया है।

(10) आईएपी और इसके कार्यान्वयन के बारे में पूरी जानकारी रखता है।

(11) सभी अनुक्रिया गतिविधियों को समन्वित करता है।

(12) जिले में किसी भी सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकार, निजी क्षेत्र आदि के साथ उपलब्ध संसाधनों को निर्मुक्त करने तथा प्रयोग करने के लिए निर्देश देता है।

(13) सुनिश्चित करता है कि स्थानीय सशस्त्र बल कमांडर योजना प्रक्रिया में शामिल है और उनके संसाधनों को आवश्यकता पड़ने पर उचित रूप से समन्वित किया गया है।

(14) सुनिश्चित करता है कि जब सशस्त्र बल आपदा अनुक्रिया के लिए मदद करने पहुँचे तो उनकी संभार–तंत्र आवश्यकताओं जैसे– कैंप लगाने के लिए जमीन, पेयजल, विद्युत तथा गाड़ियों की जरूरतों आदि को पूरा किया जाए।

(15) राज्य और केन्द्र सरकार एनओ के साथ समन्वयन में वायु प्रचालनों को गठित करने के लिए जिला स्तर पर एक एनओ नियुक्त करता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि जिलों में आईआरटी के सभी आईसी इस बात से अवगत हों।
(16) सुनिश्चित करता है कि एनजीओ अपनी गतिविधियों को संगत तरीके से तथा बिना भेदभाव के कार्यान्वित करें।
(17) जरूरत पड़ने पर दुर्घटना स्थल पर जिला मुख्यालय आईआरटी को तैनात करता है।
(18) प्रभावी संचार को सुनिश्चित करता है।
(19) सुनिश्चित करता है कि सभी ईएसएफ की टेलीफोन डायरेक्टरी तैयार है तथा ईओसी एवं आईआरटी के सदस्यों के पास उपलब्ध है।
(20) कार्मिकों की जवाबदेही के प्रावधान को सुनिश्चित करता है तथा सुरक्षित प्रचालन माहौल को सुनिश्चित करता है।
(21) स्थिति के बिगड़ने के केस में, आरओ, आईसीओ की भूमिका को ग्रहण कर सकता है तथा राज्य स्तरीय आरओ से मदद की माँग कर सकता है।
(22) विशेषज्ञों और परामर्शकों को संबंधित क्षेत्रों में मशविरा देने तथा मदद करने के लिए लामबंद कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।
(23) किसी भी प्राधिकार या व्यक्ति से सुख–सुविधा का अनन्य या अधिमानी प्रापण करता है।
(24) आईआरटी के निष्पादन पर पश्च अनुक्रिया समीक्षा आयोजित करता है तथा निष्पादन को उन्नत करने के लिए उचित कदम उठाता है।
(25) स्थिति की माँग के अनुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही करता है।

3.6 एरिया कमांड

एरिया कमांड को तब सक्रिय किया जाता है जब नियंत्रण का विस्तार भौगोलिक कारणों या एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर कई दुर्घटनाओं के होने के कारण बहुत बड़ा हो जाता है। एरिया कमांड को तब भी सक्रिय किया जा सकता है जब कई प्रशासनिक अधिकार–क्षेत्र प्रभावित होते हैं। यह आईआरटी को नजदीकी पर्यवेक्षण, सहयोग प्रदान करता है और स्थानीय रूप से संघर्षों का समाधान करता है। जब कई जिले प्रभावित होते हैं जिसमें एक से ज्यादा राजस्व मंडल शामिल होते हैं तो राज्य आरओ के द्वारा राजस्व मंडल स्तर पर एरिया कमांड की धारणा को प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के केस में, जिले का जिला मजिस्ट्रेट (आरओ) आईसी के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार जिला आरओ इसे उप–मंडल स्तर पर प्रस्तुत कर सकता है जब कई तहसील/ब्लॉक प्रभावित होते हैं। आरओ, एसी के लिए पर्याप्त सहयोगी कर्मचारियों को सुनिश्चित करेगा।

एसीः

(1) सुनिश्चित करेगा कि दुर्घटना प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा किया गया है तथा आपस में कोई भी संघर्ष नहीं है।
(2) चिह्नित प्राथमिकताओं के अनुसार आवश्यक संसाधनों को निर्धारित करता है।
(3) दुर्घटनाओं के प्रबंधन में उचित समन्वयन को सुनिश्चित करता है।
(4) अपने अधिकार क्षेत्र में सभी विवादों को सुलझाता है।
(5) प्रभावी संप्रेषण को सुनिश्चित करता है।
(6) संकटपूर्ण संसाधन आवश्यकताओं की पहचान करता है तथा उनकी आपूर्ति के लिए ईओसी से संपर्क करता है।
(7) कार्मिक की जवाबदेही प्रदान करता है तथा सुरक्षित प्रचालन माहौल को सुनिश्चित करता है।
(8) आरओ द्वारा निर्धारित किए गए किसी कार्यों को निष्पादित करता है।

3.7 एकीकृत कमांड (यूसी)

ऐसी दुर्घटना के केस में, जिसमें कई एजेंसियाँ शामिल है, संसाधनों (आदमी, सामग्री एवं मशीन) को एकल प्रचालन संगठनों में एकीकृत करने की सख्त आवश्यकता हो जाती है जो एक ही कमांड ढाँचे के द्वारा प्रबंधित एवं समर्थित होता हो। यह एकीकृत, बहु–अनुशासनिक संगठन के द्वारा श्रेष्ठतम स्थापित होता है। आईआरएस में संकटपूर्ण आवश्यकता यूसी के द्वारा पूर्ण की जाती है।

यूसी एक ऐसा ढाँचा है जिसका मुखिया राज्यपाल/एलजी/प्रशासक/सीएम होता है एवं इसे सीएस सहयोग करता है। यह दुर्घटना के प्रबंधन में भाग लेने के लिए सभी एजेंसियों को किसी भी दुर्धटना के केस में भौगोलिक या प्रकार्यात्मक आधिकारिक जिम्मेदारियाँ सौंपता है। यह भागीदारी दुर्घटना उद्देश्यों एवं रणनीतियों के एक सामूहिक सेट को विकसित एवं कार्यान्वित करते हुए प्रदर्शित की जाती है जो सभी बिना विशिष्ट प्राधिकार, जिम्मेदारियों एवं जवाबदेही को खोए या अधित्याग किए अनुमोदित कर सकें। वे संगठन जो यूसी का गठन करते हैं, दुर्घटना आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए विशिष्ट कार्य एवं प्रकार्यात्मक जिम्मेदारियों के लिए अधिदेश रखते हैं।

यूसी निम्नलिखित घटकों को समाविष्ट करता है:

(क) संपूर्ण दुर्घटना के लिए उद्देश्यों का एक सेट;
(ख) दुर्घटना लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी विकासात्मक रणनीतियों के लिए सामूहिक पहुँच;
(ग) उन्नत सूचना प्रसारण एवं अंर्तएजेंसी समन्वयन;
(घ) जिम्मेदारियों की अच्छी जानकारी एवं अन्य एजेंसियों की बाध्यताएँ;
(ङ) प्राधिकारियों के लिए सम्मान या सभी एजेंसियों की विधिक जिम्मेदारियाँ;
(च) आईएपी के निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए सभी एजेंसियों की इष्टतम सहक्रिया; और
(छ) प्रयासों की द्विरावृत्ति का विलोपन।

3.8 महानगरों में अनुक्रिया का समन्वयन

महानगर जटिल प्रशासनिक ढाँचे के साथ बृहद् तथा घनी आबादी वाले होते हैं। शहरों में कार्यरत विभिन्न विभाग तथा एजेंसियाँ संसाधनों में बड़ी होती है तथा स्वायत्त होते हुए वे स्वतंत्र श्रेणीबद्ध ढाँचा रखती है तथा स्वयं के कमांड की संपूर्ण शृंखला रखती हैं। देश के अन्य जिलों के पैटर्न पर आईआरटी को दृष्टिगत करने के लिए इस प्रकार के महानगर उचित नहीं होंगे। यूसी की धारणा को प्रभावी आपदा अनुक्रिया के लिए इस प्रकार के केस में समाविष्ट करना है।

सभी महानगरों में, सीएम/उप–राज्यपाल (एलजी)/सीएस सभी विद्यमान विभागों एवं एजेंसियों जैसे विद्यमान जिला प्रशासन, सशस्त्र बल, नगर निगम एवं स्थानीय निकाय आदि को शामिल करके यूसी को स्थापित करेगा। सीएस आरओ की तरह कार्य करेगा एवं आपदाओं के लिए अनुक्रिया करने एवं प्रबंधित करने के लिए आईआरएस के सिद्धांत पर आईआरटी को पहले से ही गठित करेगा।

आईआरटी सदस्यों की पहचान पहले से ही की जाती है। तद्नुसार उनकी भूमिका निर्धारित की जाती है तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। महानगरों का विद्यमान जिला प्राधिकार यूसी के निर्देशन के अनुसार कार्य करेगा। यूसी का विस्तृत वर्णन पैरा 3.7 में दिया गया है।

3.9 संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) में अनुक्रिया का समन्वयन

संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं तथा उनका मुखिया एलजी होता है। कुछ यूटी में, एलजी के अलावा, एक सीएम भी होता है। कुछ यूटी में

प्रशासनिक ढाँचे का मुखिया यूओ का भी प्रशासक होता है। यूटी के अंतर्गत कार्य करने वाले विभिन्न एवं एजेंसियों के पास अपना संसाधन होता है तथा वे स्वयं के कमांड की एक संपूर्ण श्रृंखला रखते हुए अपना स्वतंत्र श्रेणीबद्ध ढाँचा रखती हैं। अतः यह उचित होगा कि यूसी की धारणा को प्रभावी आपदा अनुक्रिया के लिए देश के सभी संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किया जाए। एलजी/सीएम/प्रशासक/भारत सरकार को आवश्यक रूप से पहले से ही यूसी को स्थापित करने की जरूरत होती है। इसमें विद्यमान विभागों एवं एजेंसियों के सभी मुखिया तथा यूटी में स्थापित सशस्त्र बल शामिल होंगे। यूटी का मुखिया/प्रशासक आरओ के रूप में कार्य करेगा तथा विविध स्तरों पर आईआरटी का गठन करेगा। आईआरटी सदस्यों को आईआरएस के सिद्धांतों के अनुसार उनकी भूमिकाओं को निर्धारित करना चाहिए। यूटी का विद्यमान जिला प्रशासन यूसी के निर्देशन के अनुसार कार्य करेगा। यूसी का वर्णन पैरा 3.7 में दिया गया है।

3.10 अंडमान एवं निकोबार द्वीप, उत्तरी पूर्वी तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के दूरवर्ती क्षेत्रों में किंचित पृथक प्रशासनिक ढाँचे एवं सेटअप के साथ अनुक्रिया का समन्वयन

अंडमान एवं निकोबार द्वीप के कुछ दूरवर्ती क्षेत्रों, उत्तरी–पूर्वी तथा राज्यों जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक ढाँचा देश के बाकी भागों के प्रशासनिक ढाँचों से थोड़ा अलग है। कुछ विभाग एवं एजेंसियों अपना प्रभुत्व रखी हो सकती हैं जबकि अन्य की वहाँ पर कोई भी उपस्थिति नहीं हो सकती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में गाँव के मुखिया तथा सामुदायिक स्तर के लीडर भी महत्त्वपूर्ण कार्यकर्त्ता हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के यूटी, राज्यों एवं जिलों के आरओ को अपने प्रशासनिक ढाँचे तथा कार्यकत्ताओं के अनुसार अपने आईआरटी का डिजाइन करना चाहिए। उन्हें अपने गाँव स्तर तथा वार्ड स्तर आईआरटी का चयन करना चाहिए तथा उन्हें अनुक्रिया के लिए आईआरएस के सिद्धांतों के अनुसार सुग्राहीकृत तथा प्रशिक्षित करना चाहिए। एक उचित संचार ढाँचा भी स्थापित करना चाहिए।

3.11 स्थानीय प्राधिकारों की भूमिकाएँ

डीएम एक्ट, 2005 ने एनएसी, नगरपालिका, नगर निगम, नगर कौंसिल एवं पीआरआई की भूमिकाओं को धारा 41(1)(2) के अंतर्गत निश्चित किया है। ये निकास सुनिश्चित करेंगे कि

डीएम में उनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो तथा किसी भी आशंकित आपदा स्थितियों या आपदा में प्रयोग के लिए उपलब्ध रहने के क्रम में डीएम से संबंधित संसाधनों का रख–रखाव किया जाता है। इन निकायों की राज्य तथा जिला डीएम योजनाओं के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में राहत गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकता होती है। एसडीएमए/डीडीएम इन स्थानीय निकायों की विशिष्ट भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को डीएम योजना में स्थापित करेंगे तथा उन्हें संबंधित आईआरटी के साथ एकीकृत करेंगे।

3.12 आपदा अनुक्रिया में सामुदायिक भागीदारी

कई समुदाय आधारित संगठनों जैसे एनजीओ, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), युवा संगठन, एनवाईके के वालंटियर, नागरिक सुरक्षा (सीडी) एवं होमगार्ड आदि तथा भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध विभिन्न योजनाओं के कार्यकर्ता जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), आदि सामान्यतया अपनी सेवाओं को किसी भी आपदा के बाद में अर्पित करते हैं।

आईआरएस ढाँचे में, इन संगठनों को ओएस में रखा जाता है जहाँ पर समुदाय की दक्षताओं तथा सेवाओं का उपयोग एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम एवं टास्क फोर्स के रूप में व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। राज्य एवं जिले के आरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि गाँव, वार्ड या ग्राम पंचायत स्तरों पर इस प्रकार के संसाधनों की पीआई एवं अन्य सामुदायिक लीडर के नेतृत्व में संगठित किया जाए। उनके संसाधनों की आपदा के अनुसार पहचान की जानी चाहिए और उन्हें आईआरटी के भाग के रूप में प्रोत्साहित तथा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम एवं टास्क फोर्स का विस्तृत वर्णन अध्याय–2 एवं 6 में किया गया है। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन दलों को राज्य एवं जिला स्तर आईआरटी में उचित ढंग से एकीकृत किया जाना चाहिए।

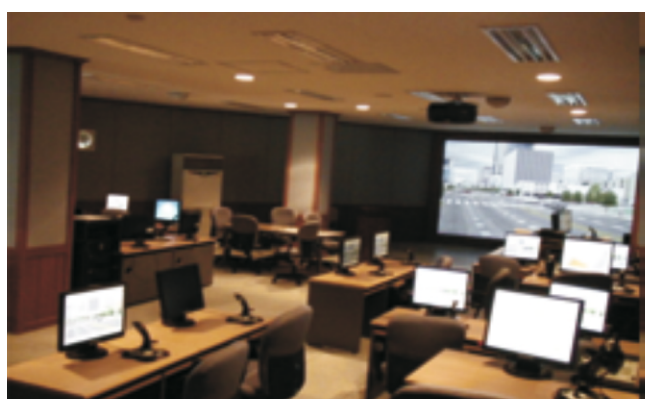
चित्र–1. आकस्मिक प्रचालन केन्द्र

3.13 आकस्मिक प्रचालन केन्द्र (ईओसी)

ईओसी एक ऑफसाइट सुविधा है जो राज्य/ जिला मुख्यालयों से कार्य करेगी

और जो विविध ईएसएफ को समायोजित करने के लिए संचार सुविधाओं तथा जगह से लैस वास्तव में एक आवर्धित नियंत्रण कक्ष है। यह सरकारी विभागों एवं अन्य एजेंसियों, जिनकी सेवाओं की दुर्घटना अनुक्रिया के दौरान सामान्य रूप से जरूरत होती है, का एक संगठन है। ये अधिकारी आरओ के निर्देशन के अधीन तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होंगे एवं दुर्घटना उद्देश्यों को प्राप्त करने में आरओ की मदद करने में सक्षम होंगे। आरओ भी सुनिश्चित करेगा कि संबंधित विभाग अपने क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों को समानांतर तथा विरोधात्मक अनुदेश ना जारी करे।

ईओसी आपातिक स्थिति का जायजा लेगा तथा मौके पर मौजदू आईआरटी के लिए उचित प्रत्यायोजित प्राधिकारों के साथ–साथ सबंधित विभागों के संसाधनों जनशक्ति एव ं विशेषज्ञा ें को लामबदं करने में आरओ की मदद करेगा। ईओसी परिवर्तित स्थितियों तथा बढ़ी मदद के बारे में आरओ को सूचित करेगा।

इस जिम्मेदारी का अधिकतम प्रभावी रूप से निर्वहन तभी किया जा सकता जब सुरक्षित संचार सुविधा के द्वारा आवश्यक सूचना प्राप्त हो तथा डीएसएस के पास आदर्श सूचना प्रौद्योगिकी हल हो। उपरोक्त के अतिरिक्त, वेब आधारित कनेक्टिविटी पारिस्थितिक जानकारी, निर्णय सहयोग एवं बहु–एजेंसी समन्वयन तक पहुँचने में आगे मदद करेगी। यह ईओसी वातावरण के अंदर एवं बाहर सभी सहयोगी एजेंसियों एवं विभागों को सूचना साझा करने, निर्णय करने, योजनाओं को शुरू करने, आईआरटी को तैनात करने, सभी आवश्यक अनुक्रिया एवं राहत गतिविधियों को संपादित एवं लॉग करने तथा ईओसी को प्रभावी बनाने की अनुमति प्रदान करता है। उपरोक्त क्षमताओं का सही प्रयोग करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

ईओसी प्रतिमानक

यह रखेगाः

(क) ईओसी इंजार्ज के रूप में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो डीएम में अनुभव रखता है तथा आवश्यक सहायता प्रदान करें;

(ख) सभी संबंधित विभागों का उनके संसाधनों को तुरंत लामबंद करने के लिए प्राधिकार के साथ प्रतिनिधित्व;

(ग) भागीदार एजेंसियों एवं विभागों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह तथा उचित ढाँचा;

(घ) दूरस्थ कनेक्टिविटी के साथ संचार सुविधाएँ;

(ड) मुख्यालयों एवं आईसीपी से तुरंत कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में तैनाती के लिए एक एचएफ, वीएचएफ एवं सैटेलाइट टेलीफोन से लैस गाड़ी;

(च) केंद्रीय दलों (एनडीआरएफ, सशस्त्र बल) का एक प्रतिनिधि जिसे उनके संसाधनों, विशेषज्ञों को एकीकृत करने के लिए तथा अनुक्रिया प्रयास के दौरान उठे किसी भी विवाद को हल करने के लिए जब भी तैनात किया जाए;

(छ) एनडीआरएफ, सशस्त्र बल संचार क्षमताओं को स्थानीय संचार ढाँचे के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रावधान एवं योजना। यह योजना उचित ढंग से बनाई जाएगी ताकि बड़ी आपदाओं के केस में या स्थानीय संचार व्यवस्था के असफल होने पर वे सभी एक दूसरे से जुड़ने में समर्थ हो सकें;

(ज) प्रभावित क्षेत्र, तैनात संसाधनों, सुविधाओं जैसे दुर्घटना कमांड पोस्ट, स्टेजिंग एरिया, दुर्घटना बेस, कैंप, राहत कैंप, हेलीबेस, हेलीपैड, आदि को दर्शाता हुआ मानचित्र। इस प्रकार की सुविधाओं का विस्तृत वर्णन पैरा 3.15.1, 3.15.2, 3.15.3, 3.15.4, 3.15.5, 3.15.6, एवं अध्याय 6 के पैरा 6.2.2, 6.4.4.3 में किया गया है।?

(झ) सभी संबंधित विभागों की डीएम योजनाएँ

(ञ) राज्य एवं जिला की डीएम योजनाएँ

- सभी आकस्मिक सेवाओं एवं नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण की निर्देशिका;
- सभी जिला मुख्यालयों एवं पुलिस स्टेशनों के साथ कनेक्टिविटी;
- विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत एनजीओ का डाटाबेस;
- राज्य एवं जिलों का जनसांख्यिकीय विवरण;

(ट) कम से कम निम्नलिखित घटकों की प्राप्यता के साथ ऑनलाइन/वेब आधारित डीएसएसः

- आईआरएस में उद्दिष्ट एवं प्रशिक्षित कार्मिक के विवरण के साथ कमांड ढाँचे का मानकीकरण;
- पूर्व–सक्रिय योजना सुविधाएँ;
- व्यापक संसाधन प्रबंधन व्यवस्था;
- निर्णय सहायता के लिए भौगोलिक संचार व्यवस्था (जीआईएस); एवं
- बृहद् दुर्घटनाओं जिसमें सीबीआरएन आपात स्थितियाँ भी शामिल हैं के लिए हताहतों एवं संसाधनों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए प्रतिरूपण क्षमता।

(ठ) सामाजिक–आर्थिक, जनसांख्यिक एवं भू–प्रयोग योजना;

(ड) डाटाबेस ऑफ इंडिया डिसास्टर रिसोर्स नेटवर्क (आईडीआरएन), इंडिया डिसास्टर नॉलेज नेटवर्क (आईडीकेएन) एवं कारपोरेट डिसास्टर रिसोर्स नेटवर्क (सीडीआरएन) के साथ सभी संबंधित विभागों एवं कनेक्टिविटी का संसाधन वस्तुसूची।

3.14 दुर्घटना अनुक्रिया दल (आईआरटी)

राज्य एवं जिलों के आरओ राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों के बीच में से आईआरटी का गठन करेंगे। आईआरटी के सदस्य पूर्व–आपदा अवस्था के दौरान उनकी भूमिकाओं के संदर्भ में उचित तरीके से प्रशिक्षित एवं सुग्राहीकृत किए जाएँगे। विभिन्न अनुभाग अध्यक्षों का चयन आपदा की प्रकृति एवं प्रकार के द्वारा निर्देशित होगा। मुख्यालय आईआरटी मौके पर मौजूद आईआरटी को लगातार सहायता प्रदान करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उनसे जाकर मिल जाएँगे या आरओ के निर्देशन पर अनुक्रिया कार्य को सँभाल लेंगे।

3.15 दुर्घटना अनुक्रिया व्यवस्था (आईआरएस) सुविधाएँ

प्रभावी अनुक्रिया के लिए दुर्घटनाओं की आवश्यकताओं, सुविधाओं के प्रयोग का विस्तार एवं समय, इसे स्थापित करने के लिए लागत एवं प्रबल मौसम दशाओं आदि पर निर्भर होते हुए निम्नलिखित सुविधाओं को स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है।

3.15.1 दुर्घटना कमांड पोस्ट (आईसीपी)

चित्र–2. दुर्घटना कमांड पोस्ट

आईसीपी वह स्थान है जहाँ पर प्राथमिक कमांड कार्य संपादित किए जाते हैं। आईसी को आईसीपी पर स्थापित किया जाता है। प्रत्येक दुर्घटना के लिए केवल एक आईसीपी होगा। यह एकल या समन्वित कमांड के अधीन सचांलित बहु– ऐजसिंयों या बहु– आधिकारिक दुर्घटनाओं की स्थितियों के लिए लागू होता है। आईसीपी को अन्य दुर्घटना सुविधाओं जैसे दुर्घटना बेस के साथ स्थापित किया जा सकता है। आईसीपी के शुरूआती अवस्थापना के लिए, दुर्घटना की प्रकृति, चाहे वह बढ़ रही हो या

कार्रवाई कर रही हो और आईसीपी स्थापन दुर्घटना की आकलित अवधि के लिए आकार एवं सुरक्षा में उपयुक्त होगी इस बात पर विचार करना चाहिए। बृहद् एवं ज्यादा जटिल दुर्घटनाओं को बृहद् आईसीपी की आवश्यकता होगी।

आईसीपी राज्य (राज्य, जिला, उप–मंडल, तहसील/ब्लॉक) के प्रशासन के विविध स्तरों के मुख्यालयों पर स्थापित हो सकता है। संपूर्ण ध्वंस या किसी अन्य जगह के उपलब्ध न होने के केस में, आईसीपी को वाहन, ट्रेलर या टेंट में स्थापित किया जा सकता है। यद्यपि इसके लिए पर्याप्त प्रकाश, प्रभावी संचार व्यवस्था एवं अन्य इस प्रकार की सुविधाएँ होनी चाहिए ताकि वह प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। इस प्रकार की स्थिति में आईआरटी के अन्य घटक सुविधाजनक स्थान से कार्य कर सकते हैं और आईसीपी को लगातार तथा नियमित रूप से उनके संपर्क में रहना चाहिए।

आईसीपी को स्थापित करने के लिए सामान्य निर्देशतत्वः

(क) दुर्घटना के साथ जुड़े सामान्य शोर एवं भ्रम की स्थिति से दूर स्थापना करना;
(ख) वर्तमान एवं संभाव्य आपदा क्षेत्र के बाहर स्थापन;
(ग) जब उपयुक्त हो, दुर्घटना के दृष्टिक्षेत्र में स्थापन;
(घ) दुर्घटना की वृद्धि होने पर विस्तृत होने की क्षमता होना;
(ङ) आवश्यकता पड़ने पर आईसीपी को सुरक्षा प्रदान करने तथा पहुँच को नियंत्रित करने की क्षमता होना;
(च) स्थान की पहचान करने के लिए विशिष्ट बैनर या साइनबोर्ड होना चाहिए; और
(छ) आईसीपी के सक्रिय होने तथा उसके स्थान के बारे में रेडियो या अन्य संचार माध्यमों से घोषणा करनी चाहिए ताकि सभी संबंधित कार्मिक वर्गों को सूचना मिल जाए।

3.15.2 स्टेजिंग एरिया (एसए)

स्टेजिंग एरिया का विस्तृत वर्णन अध्याय 6 के पैरा 6.2.1 में किया गया है।

3.15.3 दुर्घटना बेस

दुर्घटना के लिए सभी प्राथमिक सेवाएँ तथा समर्थन गतिविधियाँ प्रायः दुर्घटना बेस पर स्थित तथा संपादित होती हैं। अधिमानतः एलएस भी यहाँ पर स्थित होता है। सामान्यतया बेस वह स्थान है जहाँ पर प्रचालनों को सहायता प्रदान करने के लिए सभी अकृत/सेवा से बाहर वाले उपकरण एवं कार्मिक स्थित होते हैं।

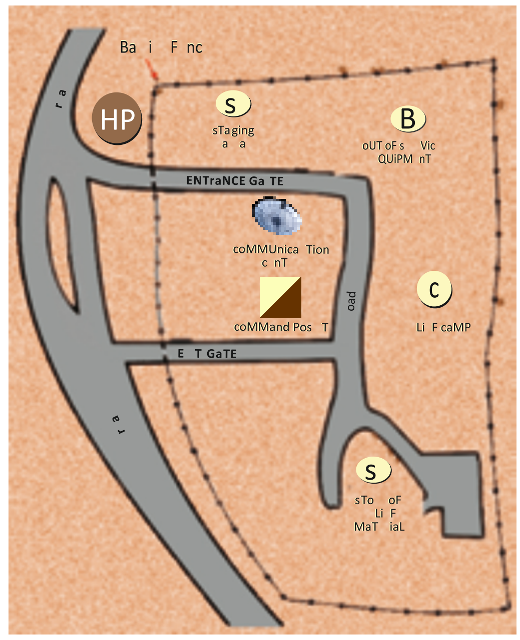

चित्र–3. दुर्घटना बेस

प्रत्येक दुर्घटना के लिए केवल एक बेस स्थापित किया जाएगा एवं सामान्यतया इसे पुर्नस्थापित नहीं किया जाएगा। इसे दुर्घटना के नाम द्वारा नामोद्दिष्ट किया जाएगा। उन स्थानों पर जहाँ पर बार–बार बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं, संभव बेस स्थानों को पूर्व–नामोद्दिष्ट करने तथा उनके लेआउट की योजना पहले से ही तैयार करने की राय दी जाती है।

दुर्घटना बेस का प्रबंधन एलएस के अंतर्गत आता है। यदि कोई दुर्घटना बेस स्थापित होता है, तो वहाँ पर एक बेस प्रबंधक नामोद्दिष्ट होगा। पूर्णतया सक्रिय आईआरएस संगठन में बेस प्रबंधक एलएस की सुविधा इकाई में होगा।

3.15.4 कैंप

कैंप सामान्य दुर्घटना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अस्थायी अवस्थापना होते हैं जिनको अनुक्रियकों के लिए आराम, भोजन, पेयजल एवं सफाई से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के लिए सुसज्जित तथा कर्मचारियों से लैस किया जाता है। ये अलग सुविधाएँ होती हैं जिनको दुर्घटना बेस पर नहीं स्थित किया जा सकता है। कैंप कई दिनों तक लगे रहते हैं तथा उनकों दुर्घटना की आवश्यकतानुसार हटाया जा सकता है जबकि दुर्घटना बेस उसी स्थान पर स्थित रहते हैं।

बहुत बड़ी दुर्घटनाओं के केस में, निर्णायक क्षेत्र में एक या एक से अधिक कैंप स्थापित किए जा सकते हैं। दुर्घटना बेस पर संपादित सभी आईआरएस प्रकार्यात्मक इकाई गतिविधियाँ कैंप पर भी संपादित की जा सकती हैं। प्रत्येक कैंप में एक कैंप प्रबंधक नामोद्दिष्ट होगा। कैंप प्रबंधक कैंप को प्रबंधित करने तथा कैंप के अंतर्गत संचालित सभी संगठनात्मक इकाइयों को समन्वयन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है।

कैंप प्रबंधक एलएस में स्थित सुविधा इकाई को रिपोर्ट करेगा। यदि एफयूएल सक्रिय नहीं किया गया है, तो वह एलएससी को रिपोर्ट करेगा। कैंप के स्थापित होने के बाद कैंप प्रबंधक के द्वारा सामान्यतया अतिरिक्त कार्मिक एवं समर्थन आवश्यकताओं को निर्धारित एवं व्यवस्थित किया जाएगा। यदि संभार–तंत्र इकाइयों को कैंप पर स्थापित किया गया है तो वे सहायकों के द्वारा प्रबंधित होंगे। कैंप को भौगोलिक नाम या संख्या के द्वारा नामोद्दिष्ट किया जाएगा।

चित्र–4. कैंप

3.15.5 राहत कैंप

प्रभावित समुदायों को सभी समर्थन सुविधाएँ प्रायः राहत कैंप (आरसी) में प्रदान की जाती है। उन्हें स्थिति की माँग के अनुसार स्थापित किया जाएगा। आरसी की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधनों को एलएस के द्वारा प्रदान किया जाएगा और इसे इस उद्देश्य के लिए तैनात ओएस की शाखा या प्रभाग के द्वारा अनुरक्षित एवं प्रबंधित किया जाएगा। यह विद्यमान इमारतों जैसे विद्यालयों, सामुदायिक हॉल, चक्रवात आश्रयों आदि में स्थापित किया जा सकता है या इस उद्देश्य के लिए तंबुओं का भी प्रयोग किया जा सकता है।

आरसी को स्थापित करते समय आरसी की साफ–सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक आरसी में एक कैंप प्रबंधक नामोद्दिष्ट होगा। आरसी की स्थापना के बाद, अतिरिक्त कार्मिकों एवं समर्थन आवश्यकताओं को सामान्यतया आरसी प्रबंधक के द्वारा निर्धारित

चित्र–5. राहत कैंप

तथा प्रार्थित किया जाएगा। आरसी को भौगोलिक नाम या संख्या द्वारा नामोद्दिष्ट किया जाएगा।

3.15.6 हेलीबेस/हेलीपैड

हेलीबेस/हेलीपैड का विस्तृत वर्णन अध्याय 6 के पैरा 6.4.4.3 में दिया गया है।

3.15.7 विभिन्न आईआरएस सुविधाओं के लिए चिह्न

आईआरएस में, अनुक्रिया प्रबंधन के लिए स्थापित विभिन्न सुविधाओं की पहचान के लिए विभिन्न चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। वे निम्नलिखित हैं:

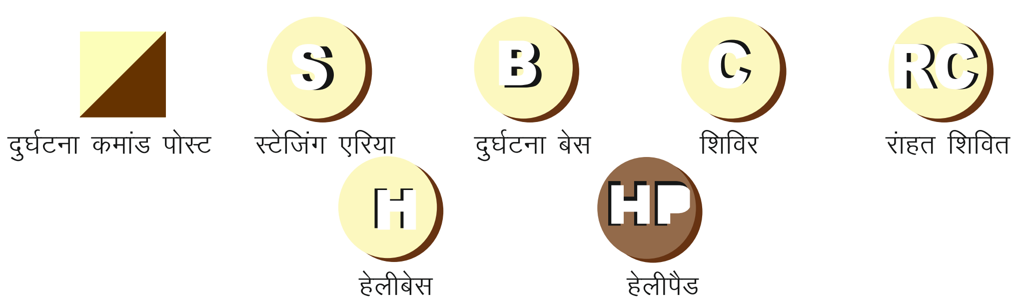

चित्र–6. सुविधाओं की पहचान के लिए विभिन्न चिह्न

3.16 आईआरटी की तैनाती के लिए प्रवर्तित तंत्र

कुछ प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुस्थापित पूर्वचेतावनी व्यवस्था होती है। राज्य एवं जिला प्रकार्यात्मक 24x7 ईओसी/नियंत्रण कक्ष भी रखते हैं। आसनन आपदा के संबंध में सूचना मिलने पर ईओसी आरओ को सूचित करेगा, जो क्रमशः आवश्यक आईआरटी को सक्रिय कर देगा तथा संसाधनों को जुटाना शुरू कर देगा। उनकी तैनाती का पैमाना दुर्घटना के विस्तार पर निर्भर करेगा।

ऐसे केस में जब दुर्घटना के बारे में सूचना बिना किसी चेतावनी के उसके होने के बाद मिल सकती है। इस प्रकार के केस में, केस की स्थिति के अनुसार, स्थानीय आईआरटी (जिला, उप–मंडल, तहसील/ब्लॉक) अनुक्रिया करेगा तथा यदि पुनर्बलन और निर्देशन की आवश्यकता होगी तो उच्च अधिकारियों को सूचित करेगा।

अनुक्रिया के लिए निश्चित किए गए उपायों को कमांड कर्मचारियों के द्वारा संक्षेप में लिख लिया जाएगा और बाद में पीएस को सौंप दिया जाएगा। यह अतः प्रारंभिक आईएपी का गठन करेगा।

3.17 रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी एवं नाभिकीय (सीबीआरएन) आपातकाल अनुक्रिया

सभी नाभिकीय सुविधाओं के पास नाभिकीय ऊर्जा विभाग (डीएई) के संरक्षण में घटना–स्थल अनुक्रिया के लिए विशिष्ट संकट प्रबंधन दल (सीएमजी) होता है। उन स्थानों पर ऑफसाइट अनुक्रिया के लिए आरओ/जिला मजिस्ट्रेट /डीसी के रूप में कार्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि नियमित मॉक अभ्यासों के द्वारा पहले से ही हितधारकों एवं समुदायों को उचित रूप से सुग्राहीकृत करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इस उद्देश्य के लिए स्थायी विशेषज्ञों से मदद ली जा सकती है। राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए अपने एसडीआरएफ को प्रशिक्षित तथा सुसज्जित करना चाहिए। त्वरित अनुक्रिया एवं एसडीआरएफ को प्रशिक्षित करने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जा सकती है। सीबीआरएन आपात–स्थितियों को संचालित करने के लिए सुसज्जित एवं प्रशिक्षित एनडीआरएफ के स्थान के बारे में पैरा 1.3.7 में दिया गया है।

अन्य उच्च जोखिम वाले कस्बों में, जहाँ पर नाभिकीय सुविधाएँ विद्यमान नहीं हैं, स्थान के लिए आईआरटी को इस प्रकार की आपात–स्थितियों को पहचानने तथा प्रबंधित करने के लिए पहले से ही तथा उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। सीबीआरएन आपात–स्थितियों के लिए विशिष्ट अनुक्रिया की आवश्यकता होती है। आवश्यकता का एक संक्षिप्त विवरण सामूहिक जागरूकता के लिए अनुवर्ती पैराग्राफ में दिया जा रहा है।

महानगरों एवं बड़े शहरों, जिनकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है तथा वे उच्च संवेदनशील हैं, में रेडियोधर्मी आपात–स्थितियों के लिए राज्य आरओ आईसी के रूप में कार्य करने के लिए रेडियोधर्मी आपात–स्थितियों के लिए एक नोडल अधिकारी की पहचान करेगा। उसे उसकी ड्यूटी को संपादित करने में मदद करने के लिए विशेषज्ञों को अभिहित करना चाहिए। विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं सुसज्जित टास्क फोर्स को उद्दिष्ट किया जाएगा जो विसंदूषण सुविधाओं के साथ सहज ही उपलब्ध होंगे। इस उद्देश्य के लिए यूसी की धारणा इस प्रकार की संभाव्य स्थिति से निपटने के लिए श्रेष्ठ रूप में उपयुक्त है। नियमित टेबल–टॉप,

मॉक अभ्यास एवं अनुरूपण प्रयोग की योजना बनानी चाहिए तथा उन्हें आयोजित करना चाहिए। इस प्रकार की आपात–स्थितियों में आईसी द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया कार्यवाहियों का विस्तृत वर्णन एनडीएमए नाभिकीय एवं रेडियोधर्मी आपात–स्थिति निर्देशतत्व में किया गया है। सुविधा के लिए कुछ कार्यवाहियों को जो शुरू की जानी चाहिए, अनुलग्नक–12 में अनुलग्न किया गया है। आरओ यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के दलों को उच्च जोखिम वाले कस्बों में रखा गया है।

अध्याय – 4

दुर्घटना कमांडर एवं कमांड स्टॉफ

4.1 दुर्घटना कमांडर (आईसी) एवं कमांड स्टॉफ

आईसी किसी भी दुर्घटना की ऑनसाइट अनुक्रिया के प्रबंधन के लिए पूर्ण रूप से इंचार्ज होता है। वह आरओ के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दुर्घटना के विस्तार एवं प्रकृति के अनुसार वह एक प्रतिनिधि रख सकता है। उसकी सहायता तथा दुर्घटना के प्रबंधन के लिए कर्मचारियों के दो सेट मौजूद होते हैं: (क) कमांड स्टॉफ और (ख) सामान्य स्टॉफ। कमांड स्टॉफ में आईसी, सूचना एवं मीडिया अधिकारी (आईएमओ), सुरक्षा अधिकारी (एसओ) एवं संपर्क अधिकारी (एलओ) होते हैं। चित्र–7 में आईआरएस संगठन में कमांड स्टॉफ की रचना दी गई है। सामान्य स्टॉफ का विवरण अध्याय–5 के पैरा 5.1, 5.1.1, 5.1.2 एवं 5.1.3 में दिया गया है।

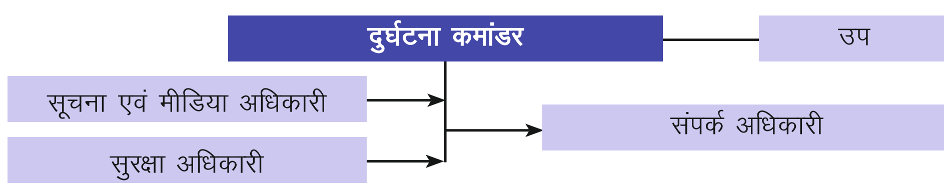

चित्र–7. कमांड स्टॉफ की रचना

4.2 आईसी की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

आईसी:

(1) निम्नलिखित पर सूचना प्राप्त करेगा:

(क) स्थिति की जानकारी जैसे लोगों की संख्या तथा प्रभावित क्षेत्र आदि;

(ख) संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रापण;

(ग) सुविधाओं जैसे आईसीपी, स्टेजिंग एरिया, दुर्घटना बेस, कैंप, राहत कैंप आदि की आवश्यकता;

(घ) संचार व्यवस्था की उपलब्धता एवं आवश्यकता;

(ड) आईएमडी से भावी मौसम बरताव;

(च) सभी उपलब्ध स्रोतों से अनुक्रिया करने के लिए एवं स्थिति का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक कोई अन्य सूचना

(2) उपलब्ध सूचना एवं संसाधनों पर आधारित दुर्घटना उद्देश्यों एवं रणनीतियों को निर्धारित करेगा;

(3) तुरंत प्राथमिकताओं को स्थापित करेगा जिसमें खोज एवं बचाव तथा राहत वितरण रणनीतियाँ शामिल हैं।

(4) कानून व्यवस्था, यातायात आदि के अनुरक्षण के लिए आवश्यकताओं का आकलन, यदि दुर्घटनास्थल पर कोई हो और स्थानीय पुलिस की मदद से व्यवस्था करेगा;

(5) अनुलग्नक–1 में अनुलग्न दुर्घटना तथ्य–सार फार्म 001 के अनुसार स्थिति के बारे में उच्च अधिकारियों को संक्षिप्त सूचना देना तथा यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त संसाधनों के लिए अनुरोध करेगा;

(6) एसी एवं यूसी के कार्यान्वयन के लिए मदद देगा यदि आरओ के द्वारा आवश्यक समझा जाएगा;

(7) दुर्घटना के नियंत्रण की अवधि तथा श्रेणी पर आधारित अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों एवं/या इकाइयों के साथ उचित आईआरएस संगठन स्थापित करेगा।

(8) आईसीपी को उपयुक्त स्थान पर स्थापित करेगा। दुर्घटना के बहु–अधिकार क्षेत्र में होने पर भी केवल एक आईसीपी होगा। पूर्ण संचार उपकरण एवं उचित कार्मिकों से लैस मोबाइल वैन को भी आईसीपी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इमारतों, टेंटों के पूरी तरह से ध्वंस होने के केस में अस्थायी आश्रयों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि उपयुक्त या पर्याप्त जगह मौजूद नहीं है तो विभिन्न सुविधायुक्त स्थान से अन्य अनुभाग कार्य कर सकते हैं। किंतु त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए आईसीपी के साथ उचित एवं सुरक्षित संपर्क होना जरूरी है।

(9) यह सुनिश्चित करेगा कि आईएपी तैयार है;

(10) यह सुनिश्चित करेगा कि टीम के सदस्यों को आईएपी के अनुसार विविध गतिविधियों के संपादन के बारे में जानकारी दी गई है;

(11) आईएपी के कार्यान्वयन को अनुमोदित एवं प्राधिकृत करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि आईआरटी सदस्यों के डिब्रिफिंग के अनुसार आईएपी नियमित रूप से विकसित तथा अद्यतन हो रहा है। इसकी प्रत्येक 24 घंटे पर समीक्षा होगी तथा सभी संबंधित लोगों को वितरित किया जाएगा;

(12) यह सुनिश्चित करेगा कि योजना मीटिंग नियमित रूप से हो रही है। मीटिंग में प्रभावी दुर्घटना अनुक्रिया के लिए कार्यान्वयन रणनीति तथा आईएपी को तैयार किया जाएगा। इस मीटिंग को बुलाने का निर्णय लेने की पूरी जिम्मेदारी आईसी के है। अन्य सदस्यों के अलावा यह सुनिश्चित करेगा कि पीएससी ने सभी ब्रीफिंग एवं डीब्रीफिंग मीटिंग में उपस्थित रहा है;

(13) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अनुभाग या इकाइयाँ आईएपी के अनुसार कार्य कर रही हैं;

(14) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुक्रियकों तथा प्रभावित समुदायों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं;

(15) अनुक्रिया गतिविधियों में कार्यरत आईआरटी के सभी अनुभागों, एजेंसियों के बीच उचित समन्वयन है और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी विवादों को सुलझा लिया गया है;

(16) यह सुनिश्चित करेगा कि योजना, संसाधन लामबंदी तथा प्रशिक्षित आईआरटी सदस्यों की तैनाती के लिए कम्प्यूटराइज्ड एवं वेब आधारित आईटी सल्यूशंस का प्रयोग किया गया है।

(17) उन संसाधनों, उपकरण की आवश्यकता पर विचार करेगा जो प्रकार्यात्मक अधिकार–क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं, एवं एलएससी से विचार–विमर्श करेगा तथा आरओ को उनके प्रापण के संदर्भ में सूचित करेगा;

(18) यह अनुमोदित तथा सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों का प्रापण किया गया है तथा उन्हें संबंधित अनुभागों, शाखाओं एवं इकाइयों आदि को जारी कर दिया गया है तथा उनका उचित ढंग से प्रयोग हो रहा है। निर्धारित कार्य के पूरा होने पर संसाधनों को अन्य स्थानों पर प्रयोग के लिए या संबंधित विभागों को तुरंत वापस कर दिया जाएगा;

(19) यदि आवश्यक हो, पीआरआई, यूएलबी, सीबीओ, एनजीओ आदि से संपर्क स्थापित करेगा तथा आईएपी के उद्देश्यों को पूरा करने में उनके सहयोग की माँग करेगा तथा बाहय बचाव एवं राहत दलों को मदद करने में स्थानीय गाइड के रूप में कार्य करने में उनका सहयोग प्राप्त करेगा;

(20) स्वयंसेवकों तथा इस प्रकार के अन्य कार्मिकों की तैनाती को अनुमोदित करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वे कमांड की श्रेणी का अनुसरण कर रहे हैं;

(21) मीडिया द्वारा सूचना प्रकाशन को अधिकृत करेगा;

(22) यह सुनिश्चित करेगा कि बाहर से जुटाए गए संसाधनों के रिकार्ड को अनुरक्षित किया गया है ताकि किराए पर लिए गए संसाधनों का तुरंत भुगतान किया जा सके;

(23) यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्घटना स्थिति सार (आईएसएस) पूर्ण है तथा आरओ को अग्रसारित कर दिया गया है (आईआरएस फार्म–002 अनुलग्नक 2 में अनुलग्न है);

(24) आईआरटी के अलामबंदी की जरूरत पड़ने पर संस्तुति करेगा;

(25) लोक शिकायतों का अवलोकन करेगा तथा आरओ को उपयुक्त शिकायत निवारण उपायों की संस्तुति करेगा;

(26) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित स्थानों पर तैनात एनजीओ एवं अन्य सामाजिक संगठन उचित ढंग से तथा साम्ययुक्त प्रकार से कार्य कर रहे हैं;

(27) दुर्घटना अनुक्रिया के पूर्ण होने पर आईआरटी के अलामबंदी से पहले पश्च कार्यवाही रिपोर्ट (एएआर) की तैयारी को सुनिश्चित करेगा;

(28) अन्य कोई भी कार्यभार जिसकी दुर्घटना के प्रबंधन के लिए जरूरत है, को संपादित करेगा;

(29) यह सुनिश्चित करेगा कि शाखाओं, प्रभागों, इकाइयों/समूहों के सदस्यों द्वारा संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न आईआरएस फार्म–004) को एकत्रित किया गया है तथा अनुलग्नक 3 में अनुलग्न यूनिट लॉग में अनुरक्षित किया गया है; और

(30) आरओ द्वारा निर्धारित इस प्रकार की अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

4.3 सूचना एवं मीडिया अधिकारी (आईएमओ) की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व आईएमओः

आईएमओः

(1) आईसी के अनुमोदन के साथ मीडिया एजेंसी तथा अन्य को दुर्घटना के बारे में सूचना तैयार करेगा तथा प्रकाशित करेगा;

(2) आकस्मिक आपदाओं के केस में, जब आईआरटी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, के लिए गए निर्णयों एवं निर्देशनों को संक्षेप में लिखेगा तथा आईएपी में समावेशन के लिए पीएस के सक्रिय होने पर उसे सौंप देगा;

(3) दुर्घटना एवं कार्यभार की मात्रा के अनुसार अतिरिक्त कार्मिक समर्थन की माँग करेगा;

(4) दुर्घटना से संबंधित विविध मीडिया रिपोर्टों को मॉनीटर तथा समीक्षा करेगा जो कि दुर्घटना योजना के लिए लाभप्रद हो सकती है;

(5) आईसी द्वारा निर्देशित या जब आवश्यकता हो, आईएपी मीटिंग आयोजित करेगा;

(6) मौसम संबंधी सूचना एकत्रित करने के लिए आईएमडी के साथ समन्वयन करेगा तथा इसे सभी संबंधित लोगों में प्रसारित करेगा;

(7) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक–4 में अनुलग्न) के अनुसार विविध गतिविधियों के रिकार्ड का अनुरक्षण करेगा; एवं

(8) आईसी द्वारा निर्धारित इस प्रकार की अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

4.4 संपर्क अधिकारी (एलओ) की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

एलओ विविध संबंधित विभागों, एनजीओ के प्रतिनिधियों, पीआरआई एवं यूएलबी आदि जो अनुक्रिया में शामिल हैं, के लिए संपर्क का केंद्र बिंदु होता है। एलओ प्रथम अनुक्रियकों, सहयोगी एजेंसियों एवं संबंधित विभागों को सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क–बिंदु होता है। एलओ शामिल एजेंसियों की संख्या तथा प्रभावित क्षेत्र के विस्तार के अनुसार अभिहित हो सकता है।

एलओ:

(1) विविध स्थानों पर संबंधित विभागों, एजेंसियों (सीबीओ, एनजीओ, आदि) तथा उनके प्रतिनिधियों की एक सूची बनाएगा।
(2) सभी संबंधित एजेंसियों जिसमें एनडीआरएफ एवं सशस्त्र बल एवं सरकार के संबंधित विभाग शामिल हैं, के साथ संपर्क स्थापित करना;
(3) वर्तमान या संभाव्य अंर्तएजेंसी समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रचालनों को मॉनीटर करेगा;
(4) योजना सभाओं में भाग लेगा एवं भाग लेने वाली एजेंसियों द्वारा अनुक्रिया पर सूचना प्रदान करेगा;
(5) आवश्यकता पड़ने पर कार्मिक सहयोग की माँग करेगा;
(6) सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी एजेंसियों एवं उनके संसाधनों के पहुँचने के बारे में आईसी को सूचित करता रहेगा।
(7) आईसी के साथ सभी सरकारी एवं गैरसरकारी एजेंसियों के ब्रीफिंग सत्रों को आयोजित करेगा;
(8) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक–4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों का रिकार्ड रखेगा; एवं
(9) आईसी द्वारा निर्धारित इस प्रकार के अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

4.5 सुरक्षा अधिकारी (एसओ) की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

एसओ का कार्य कार्मिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपायों को विकसित तथा अनुशंसित करना तथा आपदाओं एवं असुरक्षित स्थितियों का निर्धारण एवं/या पूर्वानुमान करना है। एसओ असुरक्षित कार्यों को रोकने तथा निवारण करने के लिए अधिकृत है। एसओ प्रभावित समुदायों की सुरक्षा पर सामान्य परामर्श भी दे सकता है।

एसओः

(1) अनुक्रियकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपायों को अनुशंसित करेगा तथा आपदाओं एवं असुरक्षित स्थितियों को निर्धारित या पूर्वानुमान करेगा तथा इसकी नियमित रूप से समीक्षा करेगा;

(2) सहायता की माँग करेगा तथा जिम्मेदारियों को निर्धारित करेगा जैसा कि आवश्यक हो;

(3) आईएपी की तैयारी के लिए योजना सभाओं में भाग लेगा;

(4) सुरक्षा विवक्षाओं के लिए आईएपी की समीक्षा करेगा;

(5) उन दुर्घटनाओं का ब्यौरा प्राप्त करेगा जो दुर्घटना क्षेत्र में हुई हैं यदि आवश्यक होगा या आईसी के द्वारा जैसा भी निर्देशित होगा तथा उचित अधिकारियों को सूचित करेगा;

(6) स्थल सुरक्षा योजना की जरूरत पड़ने पर समीक्षा करेगा तथा उसे अनुमोदित करेगा;

(7) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक–4 में अनुलग्न) के अनुसार विविध गतिविधियों का रिकार्ड रखेगा; और

(8) आईसी द्वारा निर्धारित इस प्रकार की अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

अध्याय – 5

सामान्य स्टॉफ

5.1 सामान्य स्टॉफ

सामान्य स्टॉफ में ओएस, पीएस एवं एलएस होते हैं जिसका सकल अनुक्रिया में विशिष्ट कार्य होता है।

5.1.1 प्रचालन अनुभाग (ओएस)

ओएस दुर्घटना के प्रबंधन के लिए प्रत्यक्षतः लागू सभी प्रकार के क्षेत्र स्तरीय युक्तिक प्रचालनों को देखता है। इस अनुभाग का मुखिया प्रचालन अनुभाग अध्यक्ष (ओएससी) होता है। इसके अतिरिक्त, कार्यभार के विस्तार के अनुसार उनके कार्यों के निर्वहन के लिए ओएससी की सहायता करने के लिए एक सहायक की नियुक्ति की जा सकती है। ओएस को आगे शाखाओं, प्रभागों एवं समूहों में उप–विभाजित किया जाता है जो क्षेत्र प्रचालनों के कार्यान्वयन में ओएससी/आईसी की मदद करते हैं। ओएससी का विस्तृत वर्णन अध्याय 6 में दिया गया है।

5.1.2 योजना अनुभाग (पीएस)

पीएस दुर्घटना अनुक्रिया की योजना से संबंधित सभी मामलों को देखती है। इसका मुखिया योजना अनुभाग अध्यक्ष (पीएससी) होता है। यह अनुभाग आईसी का अनुक्रिया के लिए उद्देश्यों तथा रणनीतियों को निर्धारित करने में मदद करता है। यह संसाधनों की आवश्यकताओं, उनके नियतन एवं अनुवर्ती उपयोग को कार्यान्वित करता है। यह जारी अनुक्रिया के बारे में अद्यतन सूचना रखता है तथा आईएपी तैयार करता है। प्रचालनों के बंद होने की अवस्था के लिए यह अनुभाग दुर्घटना अलामबंदी योजना (आईडीपी) तैयार करता है। पीएस का वर्णन अध्याय 7 में किया गया है।

5.1.3 संभार–तंत्र (एलएस)

एलएस दुर्घटना अनुक्रिया के लिए संसाधनों के प्रापण तथा सुविधाओं की स्थापना से संबंधित मामलों को देखता है। यह दुर्घटना से संबंधित सभी वित्तीय मामलों को भी देखता है।

इस अनुभाग का मुखिया संभार–तंत्र अध्यक्ष (एलएससी) होता है तथा यह प्रभावित समुदायों एवं साथ ही साथ अनुक्रियकों को बैक एंड सेवाएँ तथा अन्य महत्त्वपूर्ण संभार–तंत्र सहायता जैसे संचार, भोजन, चिकित्सा आपूर्ति, आश्रय एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए आईआरएस संगठन का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इस अनुभाग से वित्तीय शाखा जुड़ी हुई है जो यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई भी प्रापण होना हो तो वह जल्दी हो तथा वित्तीय नियमों के अनुसार हो। एलएस का वर्णन अध्याय 8 में किया गया है।

सभी अनुभागों की स्थापना एवं कार्य प्रभावी अनुक्रिया प्रबंधन के लिए आवश्यक है। यद्यपि छोटी दुर्घटनाओं के प्रबंधन के लिए सभी अनुभागों को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है।

चित्र–8 सामान्य स्टॉफ के संगठन को दर्शाता है। सामान्य स्टॉफ के प्रत्येक अनुभाग का वर्णन अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

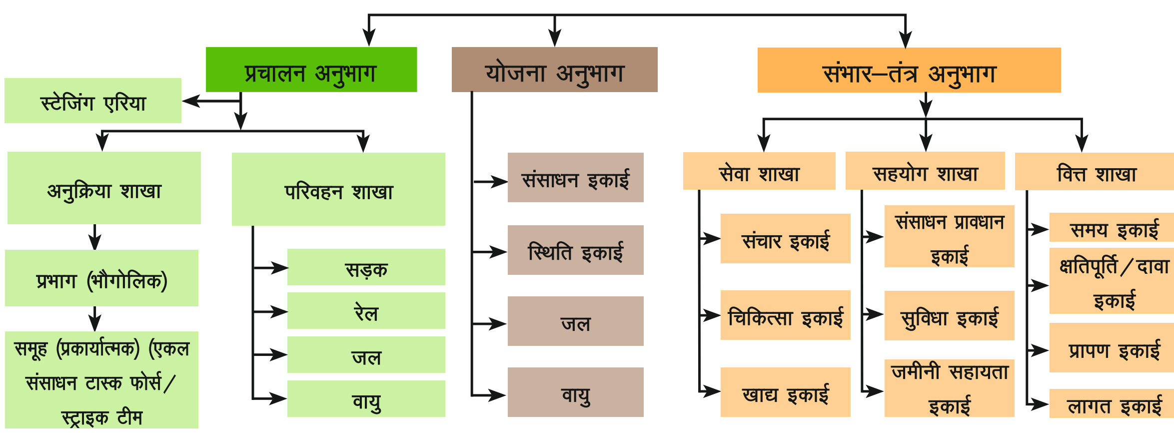

चित्र–8. सामान्य स्टॉफ का संगठन

अध्याय – 6

प्रचालन अनुभाग

6.1 प्रचालन अनुभाग

ओएस में अनुक्रिया शाखा (आरबी), परिवहन शाखा एवं स्टेजिंग एरिया (एसए) से समाविष्ट होते हैं तथा इसका मुखिया ओएससी होता है। आरबी एवं परिवहन शाखा का सक्रिय होना स्थिति के अनुसार होता है।

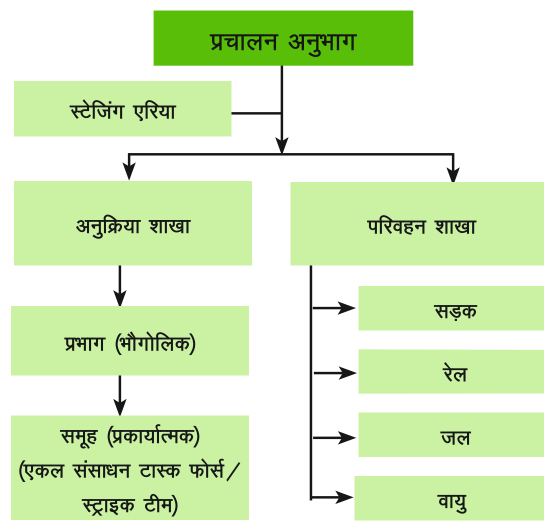

चित्र–9. प्रचालन अनुभाग

आरबी दुर्घटना अनुक्रिया की प्रकार्यात्मक एवं भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुसार विविध प्रभागों एवं समूहों से मिलकर बना होता समहू अपने प्रकार्यात्मक विशेषताओं अथार्त् एकल ससांधन, स्ट्राइक टीम एव/ या टास्क फोर्स के द्वारा वर्गीकृत होते हैं।

परिवहन शाखा सड़क प्रकार्यात्मक समूह, रेल प्रकार्यात्मक समूह, जल प्रकार्यात्मक समूह एवं वायु प्रकार्यातमक समूह से मिलकर बना होता है। ये समूह भी दुर्घटना अनुक्रिया में आवश्यक परिवहन विधि के अनुसार सक्रिय होते हैं।

एसए वह क्षेत्र होता है जहाँ पर लामबंद किए गए संसाधनों को एकत्रित किया जाता है तथा स्पष्टीकृत होता है। यह वह स्थान है जहाँ से संसाधनों को विशिष्ट कार्यभारों या कार्यों के लिए तैनात किया जाता है। ओएस के संघटन को चित्र–9 में दर्शाया गया है।

आरबी को आवश्यक अनुक्रिया की प्रकृति के अनुसार सक्रिय किया जाता है। उदाहरणतः भूकंप एवं बाढ़ के केस में, जिसमें कई घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाते हैं और लोगों को बचाने तथा उन्हें राहत एवंअस्थायी आश्रय प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अनुक्रिया शाखा के बचाव एवं राहत समूह इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सक्रिय किए जाएँगे।

परिवहन शाखा प्रभावित लोगों तथा राहत सामग्री के परिवहन को प्रबंधित करेगा। परिवहन शाखा के अंतर्गत समूह जैसे सड़क समूह या जल समूह सड़क या जल परिवहन को प्रबंधित करने तथा प्रदान करने के लिए सक्रिय किए जाएँगे। चूँकि आपदा अनुक्रिया में वायु प्रचालनों में केंद्र सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, वायु सेना, संबंधित राज्य एवं जिलों के बीच समन्वयन शामिल होता है और इसमें तकनीकी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके सक्रिय होने की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तारपूर्वक अलग से इस अध्याय के पैरा 6.4.4 में दिया गया है।

ओएससी का चयन आवश्यक प्रचालनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। भूकंप या बाढ़ के केस में लोगों को बचाने तथा उन्हें आश्रय तक ले जाने के कार्य को पुलिस/सशस्त्र बलों द्वारा बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है और अतः इस प्रकार के केसों में, वे इसके आदर्शतया मुखिया होते हैं। यद्यपि कुछ आपदाओं जैसे बर्ड फ्लू महामारी, के केस में मुख्य आवश्यकता पीड़ितों को चिकित्सकीय इलाज, टीकाकरण तथा पक्षियों को चुनने की होगी। इस प्रकार के केसों में पीड़ितों का इलाज करने के लिए ओएस के मुखिया डाक्टर होंगे तथा टीकाकरण एवं पक्षियों के चयन के पशु–पालन विभाग एवं नगरपालिका संस्थान के द्वारा मदद प्रदान की जाएगी।

आपदा अनुक्रिया में, कई प्रकार के कार्यभार एवं गतिविधियों को संपादित करने की आवश्यकता होती है। विविध कार्यभार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल संसाधन, टास्क फोर्स एवं स्ट्राइक टीम को आईआरएस प्रदान किया जाता है। एकल संसाधन, टास्क फोर्स एवं स्ट्राइक टीम का वर्णन पैरा 6.3.4 तथा अनुलग्नक–12 में किया गया है।

जैसे ही आपदा की बृहदता एवं विस्तार के कारण प्रकार्यात्मक गतिविधि बढ़ती है, ओएससी जो दुर्घटना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए युक्तिक कार्यवाहियों को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह ज्यादा से ज्यादा प्रकार्यात्मक दलों को तैनात करेगा। यह सामान्यतया स्वीकृत है कि नियंत्रण की आदर्श परिमाप 1:5 है, अर्थात् एक लीडर या पर्यवेक्षक प्रभावी रूप से पाँच समूहों को प्रबंधित कर सकता है। ज्यादा पर्यवेक्षण करने के लिए, आईआरएस शाखाओं, प्रभागों एवं समूहों के गठन को संपादित करता है। शाखाओं तथा प्रभागों का विवरण पैरा 6.3.1 एवं 6.3.2 में दिया गया है।

6.2 प्रचालन अनुभाग अध्यक्ष (ओएससी)

ओएस के सक्रिय होने पर, ओएससी सभी क्षेत्र प्रचालनों के कमांड को ग्रहण करेगा तथा दुर्घटना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी युक्तिक कार्यवाहियों के निर्देशन के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

ओएससी आईसी को रिपोर्ट करेगा। वह आईएपी के अनुसार सक्रियता, तैनाती एवं अपने अनुभाग के विस्तार के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे ही प्रचालन गतिविधियाँ बढ़ेंगी और भौगोलिक कारणों से, ओएससी नियंत्रण के उचित विस्तार एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए शाखाओं को प्रभागों में प्रस्तुत या सक्रिय और विस्तृत करेगा।

ओएससी की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

ओएससी

(1) सक्रिय अनुभाग अध्यक्ष के साथ समन्वयन करेगा;

(2) दुर्घटना उद्देश्यों के संपादन के लिए सभी क्षेत्र प्रचालनों को प्रबंधित करेगा;

(3) ओएस में शामिल कार्मिकों तथा प्रभावित समुदायों की संपूर्ण सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा;

(4) आईसी के परामर्शानुसार तथा आईएपी के अनुसार अपने अनुभाग में संगठनात्मक घटकों (शाखा, प्रभाग, समूह, आदि) को तैनात, सक्रिय, विस्तार एवं पर्यवेक्षित करेगा;

(5) उचित कार्मिकों को, कार्य के प्रति उनकी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए समनुदेशित करेगा और अनुलग्नक–7 में अनुलग्न के अनुसार ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची (आईआरएस फार्म–007) को पूरे दिन के लिए तैयार रखेगा;

(6) आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिए एक उप–ओएससी प्रदान करने के लिए आईसी से अनुरोध करेगा;

(7) प्रत्येक प्रचालन अवधि की शुरूआत में ओएस में कार्मिकों के समक्ष तथ्य–सार प्रस्तुत करेगा;

(8) अपने अनुभाग की विविध शाखाओं के बीच सभी विवादों, सूचना वितरण, समन्वयन एवं सहयोग के संकल्प को सुनिश्चित करेगा;

(9) आवश्यकता पड़ने पर आईएपी के अनुसार अनुभाग प्रचालन योजना तैयार करेगा;

(10) आईसी के लिए आईएपी में समीचीन परिवर्तनों का सुझाव देगा;

(11) आईसी से समय–समय पर परामर्श करेगा तथा उसे स्थिति से पूर्णतया अवगत रखेगा;

(12) अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निर्धारित करेगा और तदनुसार माँग प्रस्तुत करेगा एवं उनकी पहुँच सुनिश्चित करेगा;

(13) यूनिट लॉग आईआरएस फार्म–003 (अनुलग्नक–3 अनुलग्न) में शाखाओं, प्रभागों इकाइयों/समूहों के सदस्यों द्वारा एकत्रित तथा अनुरक्षण द्वारा संपादित (अनुलग्नक–4 में अनुलग्न आईआरएस फार्म–004) विविध गतिविधियों के रिकार्ड को सुनिश्चित करेगा; और

(14) आरओ/आईसी द्वारा समनुदेशित इस प्रकार के अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

6.2.1 स्टेजिंग एरिया मैनेजर (एसएएम)

एसए वह क्षेत्र है जहाँ पर संसाधनों को क्षेत्र प्रचालनों के लिए तैनाती के लिए तैयार रखा जाता है। इनमें वस्तुएँ जैसे खाद्य, वाहन एवं अन्य सामग्रियाँ तथा उपकरण शामिल हो सकते हैं। एसए को प्रभावित स्थान के नजदीक किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा ताकि संसाधनों की तुरंत, प्रभावी एवं त्वरित तैनाती की जा सके।

चित्र–6. स्टेजिंग एरिया

आवश्यकता पड़ने पर एक से ज्यादा एसए स्थापित किया जा सकता है। यदि संसाधनों को प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत भेजने के लिए अन्य स्थानों पर लामबंद किया जाता है तो उन स्थानों को भी एसए कहा जाता है एसए का पूरा इंजार्ज स्टेजिंग एरिया मैनेजर (एसएएम) कहलाता है और उसे ओएससी के द्वारा एलएस एवं पीएस दोनों के साथ समन्वयन में कार्य करने की आवश्यकता होती है।

स्कूल एवं कॉलेजों के खेल के मैदान, कम्यूनिटी हॉल, चक्रवात आश्रय एवं पंचायत कार्यालयों स्टेडियम आदि का एसए के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किसी दुर्घटना में इमारतों के पूरे ध्वंस होने के केस में, इस प्रकार के कार्यों के लिए टेंट या अस्थायी आश्रयों का प्रयोग किया जा सकता है।

वायु प्रचालनों के लिए भारतीय विमान–पत्तन प्राधिकरण (एएआई) की खुली जगह का प्रयोग राहत सामग्रियों को लादने तथा उतारने के लिए किया जा सकता है। यदि एएआई का क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, तो हेलीपैड, हेलीबेस के नजदीक के उपयुक्त स्थानों का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

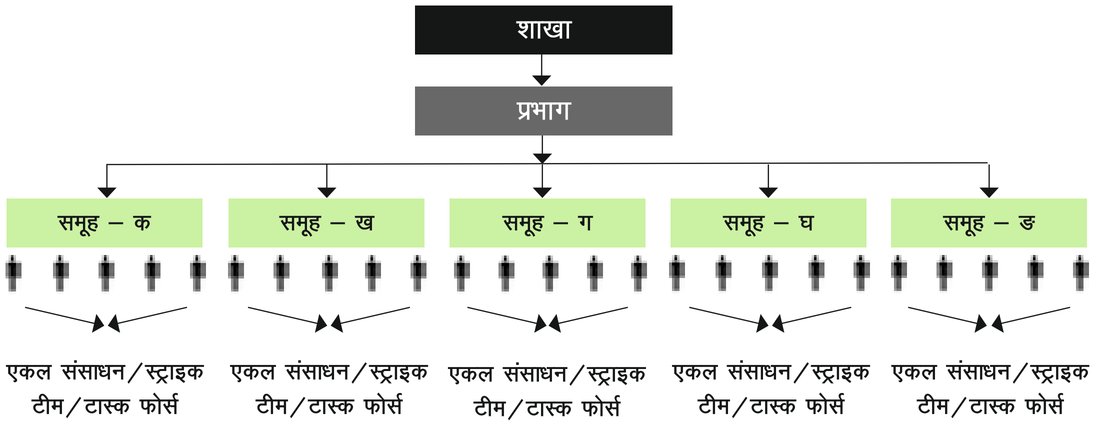

चित्र – 10. शाखा का विस्तार

वाहनों की पार्किंग क्षेत्र में अधिमानतः अलग–अलग प्रवेश एवं निकास द्वार होंगे। आपातकाल में यातायात अवरोध से बचने तथा कम करने के लिए अलग प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था एसएएम करेगा।

एसएएमः

(1) एसए को उचित तैयारी के साथ स्थापित करेगा, इसे सुव्यवस्थित बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले तथा जाने वाले वाहनों, संसाधनों आदि के लिए कोई अवरोध नहीं है।

(2) आईएपी के अनुसार संसाधनों के भंडारण एवं प्रेषण को व्यवस्थित करेगा;

(3) ओएससी को सभी प्राप्तियों एवं प्रेषण की रिपोर्ट देगा तथा उनके रिकार्ड को रखेगा;

(4) एसए की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित करेगा;

(5) सभी विकारी पूर्तियों का अविलंब प्रयोग करेगा;

(6) जैसा उचित हो, चेक–इन कार्य को स्थापित करेगा;

(7) एसए पर, आवश्यकता पड़ने पर उपकरण के रख–रखाव तथा मरम्मत की अनुमति लेगा;

(8) यह सुनिश्चित करेगा कि आईसीपी तथा अन्य आवश्यक स्थानों, उदाहरणतः– विभिन्न एसए, दुर्घटना बेस, कैंप, राहत कैंप आदि के साथ संचार स्थापित है;

(9) पीएस एवं एलएस को संसाधन स्थिति के बारे में जानकारी देगा;

(10) अनुलग्नक 10 में अनुलग्न अलामबंदी योजना फार्म–010 के अनुसार एसए को अलामबंद करेगा;

(11) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों का रिकार्ड रखेगा; और

(12) ओएससी के द्वारा नियत अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

6.3 अनुक्रिया शाखा

6.3.1 अनुक्रिया शाखा निदेशक (आरबीओ) की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

अनुक्रिया शाखा क्षेत्र में मुख्य अनुक्रियक है जो स्थिति से निपटती है तथा विविध कार्यों को संपादित करती है। आपदा के विस्तार के आधार पर, आरबीडी समूहों की बढ़ा सकती है। जिसको क्रमशः प्रभाग बनाने की आवश्यकता हो सकती है। एक बड़ी दुर्घटना को व्यवस्थित करने में ओएससी द्वारा अच्छे पर्यवेक्षण के लिए इस ढाँचे की आवश्यकता होती है।

पर्यवेक्षण का आदर्श विस्तार 1:5 का है अर्थात् एक शाखा निदेशक पाँच प्रभागों का पर्यवेक्षण कर सकता है, एक प्रभाग पर्यवेक्षक पाँच समूहों को पर्यवेक्षित कर सकता है तथा एक समूह इंचार्ज पाँच दलों को पर्यवेक्षित कर सकता है, जैसा कि चित्र–10 में दर्शाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर और ज्यादा शाखाएँ, प्रभाग, समूह बनाए जा सकते हैं।

आरबीडी:

(1) ओएससी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा तथा नियत भूमिका के अनुसार आईएपी के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा;
(2) ओएससी द्वारा आवश्यक योजना सभाओं में उपस्थित रहेगा;
(3) अपनी शाखा के अधीन प्रभागों या समूहों के लिए समनुदेशन सूची आईआरएस फार्म–005 का पुनर्विलोकन करेगा;
(4) प्रभाग एवं समूह इंचार्ज के लिए विशिष्ट कार्य नियत करेगा;
(5) शाखा के कार्यों की देख–रेख करेगा;
(6) निचले कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए विवादों को सुलझाएगा;
(7) आईएपी में आवश्यक किसी भी आशोधन, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता, अधिशेष संसाधनों की उपलब्धता तथा जब जोखिमी स्थितियाँ या महत्त्वपूर्ण घटना घटती है तो इसके संबंध में ओएससी को रिपोर्ट करेगा;
(8) विविध प्रचालन क्षेत्रों के लिए एकल संसाधन, स्ट्राइक दल एवं टास्क फोर्स मदद प्रदान करेगा;
(9) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी दलों के लीडर आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक–4 में अनुलग्न) के अनुसार अपने क्षेत्र प्रचालन से संबंधित संपादित विविध गतिविधियों का रिकार्ड रखेंगे और ओएससी को भेजेगा; और
(10) ओएससी द्वारा नियत किसी भी अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

6.3.2 प्रभाग पर्यवेक्षक एवं समूह इंचार्ज की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

जैसे ही आपदा की वृहदता एवं विस्तार के कारण प्रचालन गतिविधि बढ़ती है, ओएससी, जो दुर्घटना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी युक्तिक कार्यवाहियों को निदेशित करने के लिए जिम्मेदार है, ज्यादा से ज्यादा प्रचालन दलों को तैनात करेगा। ऐसे भी स्थान होंगे जो बहुत दूर, निर्जन हैं तथा वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि एक साथ विभिन्न प्रकार की दुर्घटना हो जाएँ जिसमें विभिन्न विशिष्ट संचालन की आवश्यकता हो। उदाहरणतः भूकंप के केस में जबकि कई इमारतें ढह गई हो सकती हैं, उसी समय कई स्थानों पर गैस लीक करने के कारण आग लगने की संभावना हो सकती है।

जब नियंत्रण का विस्तार हो जाता है या जब कुछ स्थान बहुत ही दूर होते हैं तथा वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन होता है, तो ओएससी उचित पर्यवेक्षण के लिए प्रभाग बनाती है।

श्रेणीबद्ध विभिन्नता के सिवाय, प्रभाग पर्यवेक्षकों तथा समूह इंचार्ज की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ एक ही होती हैं। जब निर्जन एवं दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्र में पर्यवेक्षणीय आवश्यकता होती है या जब प्रचालन समूहों की संख्या बढ़ती है तो नियंत्रण के उचित विस्तार के लिए, या विविध विशिष्ट अनुक्रिया के लिए प्रभागों को सक्रिय किया जाता है। जब समूह इंचार्ज को शाखा के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए नियत किया जाता है तो समूहों की बड़ी संख्या के प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण के लिए प्रभागों को बनाया जाता है।

प्रभाग पर्यवेक्षक तथा समूह इंचार्जः

(1) प्रभाग या समूह समनुदेशन सूची को कार्यान्वित करेगा;
(2) उनके अंतर्गत प्रभाग या समूह के अधीन संसाधनों को नियत करेगा;
(3) प्रभाग या समूह के अंतर्गत प्रचालनों की प्रगति तथा संसाधनों की स्थिति पर रिपोर्ट करेगा;
(4) अनुलग्नक 5 में अनुलग्न संगठनात्मक समनुदेशन सूची (प्रभाग / समूह) आईआरएस फार्म–005 को समूह के लीडरों, स्ट्राइक टीम एवं टास्क फोर्स को वितरित करेगा;
(5) निचले वर्ग के कर्मचारियों के साथ समनुदेशन और दुर्घटना गतिविधियों की समीक्षा करेगा तथा स्थिति के अनुसार कार्यों को नियत करेगा;
(6) आवश्यकता पड़ने पर निकटस्थ प्रभागों या समूहों के साथ गतिविधियों को समन्वित करेगा;

(7) आरबीडी एवं ओएससी को स्थिति एवं संसाधन स्थिति को प्रस्तुत करेगा;
(8) आरबीडी एवं ओएससी को सभी आपदा स्थितियों, विशेष घटनाओं या महत्त्वपूर्ण घटनाओं (उदाहरणतः, दुर्घटना, बीमारी, खराब मौसम स्थितियों आदि) के बारे में रिपोर्ट करेगा;
(9) प्रभाग या समूह के अंतर्गत समस्याओं को हल करेगा;
(10) आवश्यकता पड़ने पर अगली प्रचालन अवधि के लिए आईएपी के विकास में भाग लेगा;?
(11) यह सुनिश्चित करेगा कि विविध संपादित गतिविधियों का रिकार्ड (अनुलग्नक 4 में अनुलग्नक आईआरएस फार्म–004) एकत्रित किया गया है तथा आरबीडी एवं ओएससी को भेजा गया है; एवं
(12) आरबीडी/ओएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

6.3.3 एकल संसाधन

एकल संसाधन में किसी भी दुर्घटना में तैनात कार्मिकों तथा उनके लिए आवश्यक उपकरण दोनों शामिल होते हैं, उदाहरणतः, आवश्यक कार्मिक के साथ अग्नि गाड़ी, आवश्यक चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक–सहायक एवं ड्राइवर के साथ एंबुलेंस। ठीक एवं उचित माँग एवं तैनाती के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि संसाधनों को वर्ग एवं प्रकार में श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए। राज्यों एवं जिलों के आरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि ससांधनों को वर्ग एवं प्रकार में श्रेणीबद्ध किया गया है।

आईआरएस में, संसाधनों को वर्ग एवं प्रकार में श्रेणीबद्ध किया गया है। वर्ग को उपकरण, वाहन या कार्मिक के लिए संदर्भित किया जाता है उदाहरणतः, ट्रक, चिकित्सा दल, बुलडोजर आदि। प्रकार को उस वर्ग के संसाधन की क्षमता के लिए संदर्भित किया जाता है, उदाहरणतः, 1 टन क्षमता या 2 टन क्षमता वाला ट्रक, 1 डाक्टर तथा 3 चिकित्सक– सहायकों वाला चिकित्सा दल आदि।

चित्र – 7. एकल संसाधन के प्रकार

एकल संसाधन लीडर की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

एकल संसाधन लीडरः

(1) आवश्यक उपकरण पूर्तियों का चार्ज ग्रहण करेगा;

(2) नियत क्षेत्र में स्थानीय मौसम एवं पर्यावरणिक दशाओं, कानून व्यवस्था आदि का निर्धारण करेगा तथा इंचार्ज को रिपोर्ट करेगा;

(3) नियत कार्यभार को संपादित करेगा;

(4) अपने पर्यवेक्षक के साथ संपर्क बनाए रखेगा; और

(5) उसके पर्यवेक्षक द्वारा नियत किसी भी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

6.3.4 स्ट्राइक टीम या टास्क फोर्स

स्ट्राइक टीम एक ही वर्ग तथा प्रकार के सामूहिक संचार सुविधा वाले तथा एक लीडर वाले एकल संसाधन का संगठन है। टास्क फोर्स विभिन्न वर्गों एवं प्रकारों के एकल संसाधनों का संगठन है। इन्हें एक सामान्य संचार सुविधा एवं एक लीडर के साथ एक विशेष युक्तिक आवश्यकता के लिए एकत्रित किया जाता है। स्ट्राइक टीम की आवश्यकता तब होती है जब एक लीडर के अधीन विशिष्ट विशेषज्ञों एवं संसाधनों को एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए एकत्रित करने की जरूरत पड़ती है।

चित्र – 8. स्ट्राइक टीम के प्रकार

टास्क फोर्स को विभिन्न वर्गों एवं प्रकारों के एकलसंसाधनों के साथ समूहित किया जा सकता है और जब विभिन्न प्रकार के कार्यों जिनमें विभिन्न विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, को संपादित करने की आवश्यकता होती है तो इसे एक लीडर के अधीन भेजा जाता है। उदाहरणतः, किसी स्थान पर चिकित्सा दल, बचाव कार्मिकों, अग्नि कार्मिकों, साफ–सफाई श्रमिकों एवं मृतकों तथा जानवरों के शवों के निपटान के लिए श्रमिकों के एक संगठन को भेजने की आवश्यकता होती है, तो इस संगठित दल को टास्क फोर्स कहा जाएगा। टास्क फोर्स को संगठित करते समय नियत्रं ण की उचित अवधि की धारणा का` दिमाग में रखना चाहिए।

स्ट्राइक टीम या टास्क फोर्स लीडर प्रभाग पर्यवेक्षक या समूह पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करता है तथा स्ट्राइक टीम या टास्क फोर्स को निर्धारित युक्तिक समनुदेशन को संपादित करने के लिए जिम्मेदार होत है। स्ट्राइक टीम और टास्क फोर्स का लीडर कार्यों की उन्नति एवं संसाधनों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट करता है, नियत कार्मिकों के कार्य रिकार्डों को रखता है तथा उनके पर्यवेक्षकों को महत्त्वपूर्ण सूचना भेजता है। शाखा, प्रभाग या समूह के सक्रिय न होने के केस में, टीम लीडर सीधे ओएससी को रिपोर्ट करेगा।

चित्र – 9. टास्क फोर्स

स्ट्राइक टीम या टास्क फोर्स लीडर की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

स्ट्राइक टीम या टास्क फोर्स लीडर

(1) अपनी टीम के सदस्यों के साथ समनुदेशनों की समीक्षा करेगा;
(2) कार्यों की उन्नति के बारे में रिपोर्ट करेगा;
(3) यदि उसे नियत किया गया है तो सन्निकट एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम एवं टास्क फोर्स के साथ गतिविधियाँ समन्वित करेगा;
(4) संचार को स्थापित तथा सुनिश्चित करेगा;
(5) कोई अन्य नियत कार्यभारों को संपादित करेगा; और
(6) विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा।

6.4 परिवहन शाखा (टीबी)

ओएस में परिवहन शाखा प्रभावित स्थल पर विभिन्न संसाधनों, राहत सामग्री, कार्मिकों को पहुँचाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर पीड़ितों के भी परिवहन की व्यवस्था करता है। यद्यपि एलएस में भू–सहायता इकाई (जीएसयू) है जो सभी परिवहनों तथा अन्य संबंधित संसाधनों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, ओएस में परिवहन शाखा आईआरटी एवं आईएपी की आवश्यकतानुसार परिवहन की वास्तविक तैनाती और प्रयोग को व्यवस्थित करता है। परिवहन शाखा चार प्रचालन समूहों अर्थात् सड़क, रेल, जल एवं वायु से बने होते हैं। इन समूहों को आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय किया जा सकता है।

वायु प्रचालन आपदाओं के दौरान एक महत्त्वपूर्ण परिवहन गतिविधि है जिसके लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वयन की आवश्यकता होती है। वायु प्रचालनों के समन्वयन के लिए राज्य एवं जिले का आरओ एक एनओ की पहचान तथा नामोद्दिष्ट करेगा।

6.4.1 परिवहन शाखा निदेशक (टीबीडी) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

परिवहन शाखा के सभी प्रचालन समूह (सड़क, रेल, जल एवं वायु) टीबीडी द्वारा व्यवस्थित हैं। चूँकि वायु परिवहन राज्य तथा जिला स्तर पर समन्वित होना है, टीबीडी को भी वायु प्रचालनों के लिए आरओ, आईसी एवं एनओ के साथ समन्वयन में कार्य करने की जरूरत है। वह संबंधित एनओ से सभी संबंधित उड़ानों का व्यौरा एकत्रित करेगा तथा समर्थन आवश्यकता को सुव्यवस्थित करेगा। टीबीडी भी आईएपी के अनुसार विविध प्रकार्यात्मक समूहों की सक्रियता तथा विस्तार के लिए जिम्मेदार होगा। वायु प्रचालनों के बारे में ज्यादा ब्यौरा पैरा 6.4.4 में दिया गया है।

टीबीडी:

(1) विभिन्न प्रचालन समूहों जैसे सड़क, रेल, जल एवं वायु को सक्रिय तथा प्रबंधित करेगा;

(2) आवश्यक संसाधनों के लिए एलएस के साथ समन्वय करेगा तथा उसकी शाखा के समूहों को सक्रिय करेगा;

(3) आवश्यकतानुसार सहायता के लिए रेलवे, सड़क परिवहन, जलमार्ग तथा विमान–पतन अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा;

(4) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुलग्नक–5 में अनुलग्न संगठनात्मक समनुदेशन सूची (प्रभाग / समूह) आईआरएस फार्म–005 को उसकी शाखा के समूह इंचार्ज तथा अन्य अनुक्रियकों के बीच वितरित हुआ है;

(5) वायु प्रचालनों को जमीनी सहायता पद्रान करेगा तथा उचित सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगा;

(6) आवश्यकतानुसार रेल एवं जल प्रचालन समूह को सड़क परिवहन सहायता प्रदान करेगा;

(7) दुर्घटना अनिुक्रिया गतिविधियों में शामिल अपनी शाखा के सभी कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा;

(8) यह सुनिश्चित करेगा कि उस क्षेत्र में जाने वाली सभी इकाइयाँ सड़क मानचित्र तथा स्थानीय गाइडों की सहायता से मार्गों से सुपरिचित हो गई हैं

(9) परिवहन शाखा की उन्नति के बारे में ओएससी तथा आईसी को रिपोर्ट करेगा;

(10) आवश्यकता पड़ने पर आईएपी के अनुसार परिवहन योजना तैयार करेगा;
(11) अतिरिक्त संसाधनों उनका उचित तथा पूर्ण प्रयोग निर्धारित करेगा तथा पहले से ही उसके अनुसार माँग करेगा;
(12) किसी भी समस्या और विवाद को सुलझाएगा;
(13) किराए के संसाधनों की स्थिति के रख–रखाव, उसके पूर्ण प्रयोग तथा समय पर उसे मुक्त करने को सुनिश्चित करेगा;
(14) यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न प्रचालन समूहों (सड़क, रेल, जल एवं वायु) द्वारा संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड को एकत्रित किया गया है तथा संबंधित अनुभाग को भेज दिया गया है; और
(15) आईसी या ओएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

6.4.1.1 समूह इंचार्ज की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ (सड़क प्रचालन)

समूह इंचार्ज टीबीडी के अधीन कार्य करता है तथा सभी सड़क परिवहन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। वह सहायता के लिए अपने अधीन एक समन्वयक (सड़क प्रचालन) रखता है। यदि प्रचालनों की मात्रा बढ़ती है, तो टीबीडी एक सहायक समन्वयक के पद को सृजित कर सकता है। जैसा कि चित्र–11 में दर्शाया गया है, भारण तथा अभारण इंचार्ज समन्वयक के अधीन कार्य करेगा।

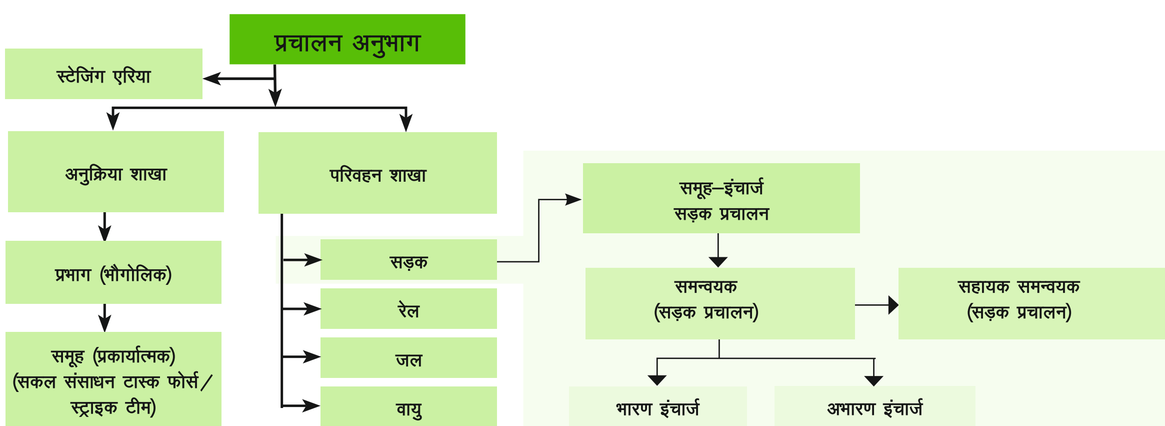

चित्र – 11. सड़क प्रचालन समूह का संघटन

समूह इंचार्ज (सड़क प्रचालन):

(1) सड़क से प्रभावित स्थल तक संसाधनों के परिवहन को सुनिश्चित करेगा;
(2) आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सहायता की माँग करेगा;
(3) ओएससी के निर्देश पर योजना सभाओं में उपस्थित रहेगा;

(4) आईएपी के अनुसार विविध लक्ष्यों के साथ समन्वयन प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा;
(5) उचित पार्किंग स्थानों को सुनिश्चित करेगा;
(6) समुह के विवादों को सुलझाएगा;
(7) आवश्यकतानुसार सड़क प्रचालन योजना को अपडेट करेगा तथा उन्हें उच्च अधिकारियों के साथ साझा करेगा;
(8) दुर्घटनाओं के केस में, टीबीडी, स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा, तथा आवश्यकता पड़ने पर जाँच में सहायता करेगा;
(9) यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों की मरम्मत के लिए मशीनें उपलब्ध हैं और पेट्रोल, तेल तथा लुब्रिकेंट्स (पीओएल) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा;
(10) तैनात वाहनों की संख्या, वाहनों के स्रोत (अर्थात् सरकारी या निजी), वाहनों के तैनाती स्थल तथा संसाधनों का ब्यौरा जो उन वाहनों पर ले जाए जा रहे हैं, आदि से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा;
(11) आवश्यकता पड़ने पर रेल, जल और वायु प्रचालन के सड़क प्रचालन के भाग के लिए सहायता तथा समन्वयन करेगा;

(12) समन्वयक तथा अन्य सदस्यों से विविध संपादित गतिविधियों (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न आईआरएस फार्म–004) के रिकार्ड को एकत्रित करेगा तथा टीबीडी या ओएससी को भेजेगा; और
(13) टीबीडी या ओएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

6.4.1.2 समन्वयक (सड़क परिचालन) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

समन्वयक (सड़क परिचालन) प्राथमिकता सड़क परिवहन आवश्यकताओं को समन्वित करने के लिए जिम्मेदार है। तैनात वाहनों की संख्या के आधार पर एक से ज्यादा समन्वयक हो सकते हैं। समन्वयक (सड़क परिचालन)
(1) स्थिति के विश्लेषण के लिए नियत दुर्घटना क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा तथा परिवहन के संदर्भ में अन्य संभाव्य समस्याओं की पहचान करेगा;
(2) दुर्घटना के विस्तार तथा आवश्यकता के आधार पर एक सहायक समन्वयक (सड़क परिवहन) की माँग करेगा;
(3) संसाधनों के सहज परिवहन के लिए एसएएम के साथ समन्वयन करेगा;
(4) समनुदेशन प्राप्त करेगा, मार्गों, नियत लक्ष्यों के बारे में ड्राइवर को बताएगा, वाहन के भेजने संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा तथा वाहनों की मरम्मत एवं रख–रखाव आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा;

(5) सभी नियत वाहनों की गतिविधियों को मानीटर करेगा तथा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करता रहेगा;
(6) टीबीडी को सड़क परिचालन में हुई दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट करेगा;
(7) विभिन्न स्थानों पर की गई पूर्ति के रिकार्ड रखेगा;
(8) वाहनों पर नजर रखेगा। यदि उपलब्ध है तो जीपीएस सहायता प्रदान करेगा;
(9) आवश्यकता पड़ने पर राहत सामग्री के परिवहन के लिए सुरक्षा सहयोग की माँग करेगा तथा परिवहन मार्ग में पड़ने वाले प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को सजग करेगा;
(10) भारण तथा अभारण स्थानों पर समन्वयन रखेगा;
(11) यह सुनिश्चित करेगा कि भारण स्थानों, एसए तथा गंतव्य स्थानों पर संचार सुविधा स्थापित है;
(12) उसके अधीन कार्यरत कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा;
(13) संपादित विविध गतिविधियों (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न आईआरएस फार्म–004) का रिकार्ड रखेगा तथा समूह इंचार्ज या टीबीडी को भेजेगा; और
(14) ओएससी या टीबीडी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

6.4.1.3 भारण/अभारण इंचार्ज (सड़क, रेल एवं जल) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

भारण एवं अभारण इंचार्ज किसी भी आपदा अनुक्रिया में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सड़क, रेल एवं जल प्रचालनों में भूमिकाएँ एक ही होती हैं जबकि वायु प्रचालनों के लिए भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अतः भारण/अभारण इंचार्ज रेल, सड़क तथा जल के लिए भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों का निर्वाह एक साथ करता है तथा वायु के लिए अलग से करता है। भारण/अभारण इंचार्ज सड़क, रेल एवं जल समन्वयक के अधीन कार्य करेगा।

भारण/अभारण इंचार्ज (सड़क, रेल एवं जल):
(1) भारण/अभारण गतिविधियों के सुरक्षित परिचालन को पर्यवेक्षित करेगा;
(2) समुह इंचार्ज (सड़क, रेल एवं जल परिवहन) से प्रचालन सारांश प्राप्त करेगा;
(3) भारण क्षेत्रों को व्यवस्थित करेगा;
(4) भारण एवं अभारण कर्मीदलों को पर्यवेक्षित करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उपकरण (सीढ़ी, दस्ताने, हेलमेट आदि) एकत्र करेगा;

(5) भारण/अभारण गतिविधियों की उन्नति के बारे में समय–समय पर समन्वयक को सूचित करेगा;
(6) अपने संसाधनों एवं गंतव्यों के ब्यौरे के साथ भारण/अभारण योजना तैयार करेगा;
(7) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों का रिकार्ड रखेगा तथा टीबीडी या समन्वयक को भेजेगा; और
(8) समन्वयक या इंजार्च (सड़क, रेल और जल) द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

6.4.2 समूह इंचार्ज (रेल प्रचालन) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

अधिकतम आपदा अनुक्रिया स्थितियों में, बहुत ही दूरस्थ स्थानों से राहत सामग्रियों तथा संसाधनों के परिवहन के लिए रेल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। इसमें उचित स्थानों पर ट्रेनों एवं वैगनों के उपलब्ध होने के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वयन की आवश्यकता होती है।

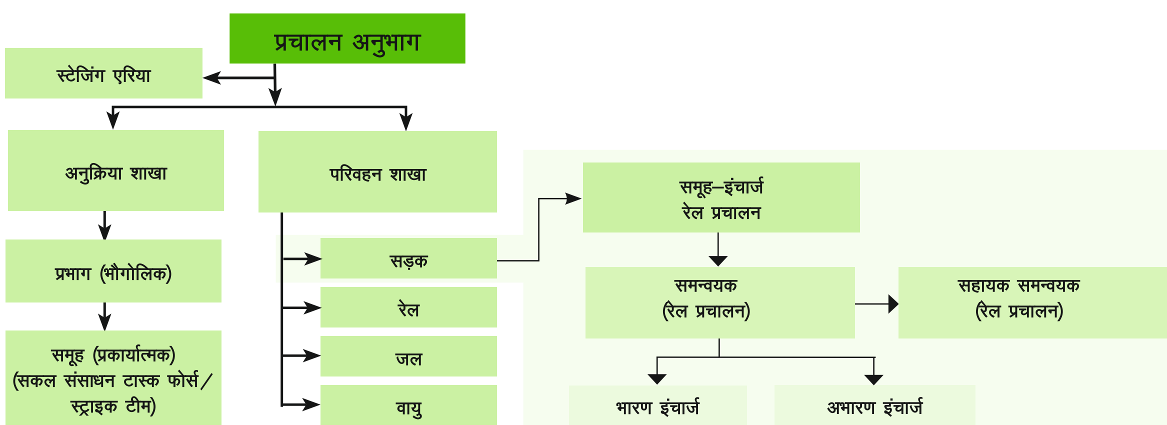

चित्र – 12. रेल प्रचालन समूह का संघटन

रेलवे स्टेशन विशिष्ट स्थानों पर स्थित होते हैं, जो कभी–कभी प्रभावित स्थल से काफी दूर होते हैं। रेल से सड़क तथा सड़क से रेल तक भारण एवं अभारण की आवश्यकता हो सकती है। जब भी रेल के द्वारा परिवहन करना होता है, तो एक रेल प्रचालन समूह को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है और उन्हें सड़क प्रचालन समूह इंचार्ज के साथ अच्छा समन्वयन रखना चाहिए।

टीबीडी के अधीन समूह इंचार्ज (रेल) सभी रेल परिवहन गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। परिवहन आवश्यकताओं की मात्रा तथा नियंत्रण की उचित अवधि के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए टीबीडी आवश्यकता पड़ने पर सहायक समन्वयक के पद को सृजित कर सकता है। चित्र–12 में दर्शाये गये के अनुसार भारण/अभारण इंचार्ज समन्वयक के अधीन कार्य करेगा।

समूह इंचार्ज (रेल प्रचालन):

(1) टीबीडी के अधीन कार्य करेगा तथा सभी रेल प्रचालनों का समन्वयन करेगा;
(2) भारण एवं अभारण के लिए कर्मीदलों को व्यवस्थित करेगा;
(3) सामग्रियों के सुरक्षित भंडारण तथा मालगोदाम को सुनिश्चित करेगा;
(4) आवश्यकता पड़ने पर भंडारण के स्थान का मूल्यांकन करेगा, सुरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा टीबीडी से निर्देशन प्राप्त करेगा;
(5) संसाधनों के संचालन के लिए सड़क प्रचालन समूह के साथ समन्वयन करेगा;
(6) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर रेल प्रचालन सार जिसमें छूटने तथा आने का समय, गंतव्य, संसाधन ब्यौरा आदि तैयार करेगा तथा उन्हें प्रदान करेगा;
(7) आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कार्मिक सहायता की माँग करेगा;
(8) टीबीडी को समय–समय पर अद्यतन करगे ा तथा आवश्यकता पडऩे पर सहायता की माँग करेगा;
(9) अपने समूह में कोई विवाद होने पर उन्हें सुलझाएगा;
(10) रेल प्रचालन योजना को अद्यतन करेगा;
(11) विविध भंडारण एवं मालगोदाम क्षेत्रों, गंतव्य स्थानों तथा रेलवे अधिकारियों के साथ संचार स्थापित करेगा तथा उसे बनाए रखेगा;
(12) समन्वयक तथा अन्य इंचार्जों से विविध संपादित गतिविधियों आईआरएस (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न फार्म–004) के रिकार्ड एकत्रित करेगा तथा टीबीडी या ओएससी को भेजेगा; तथा
(13) ओएससी या टीबीडी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

6.4.2.1 समन्वयक (रेल प्रचालन) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

समन्वयक (रेल प्रचालन)

(1) समूह इंचार्ज के अधीन करेगा तथा रेल द्वारा राहत सामग्रियों के परिवहन के लिए समन्वयन सेवाएँ प्रदान करेगा;

(2) स्थिति का तथा अन्य संभाव्य समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए नियत स्टेशनों या स्थानों का सर्वेक्षण करेगा;
(3) आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कार्मिक सहायता की माँग करेगा;
(4) समनुदेशन को प्राप्त करेगा तथा संसाधनों के संचलन का पर्यवेक्षण करेगा;
(5) ट्रेन के समय आदि के संदर्भ में रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वयन बनाए रखेगा;
(6) रेल प्रचालन में होने वाली किसी भी दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट करेगा
(7) संसाधनों की सुरक्षा व्यवस्था की माँग करेगा तथा उसे मानीटर करेगा;
(8) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक–4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों का रिकार्ड रखेगा तथा समूह इंचार्ज या टीबीडी को भेजेगा; और
(9) समूह इंचार्ज द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

6.4.2.2 भारण/अभारण इंचार्ज (रेल प्रचालन) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

रेल प्रचालन के भारण/अभारण इंचार्ज की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ सड़क प्रचालन के भारण/ अभारण इंचार्ज के समान हैं पैरा 6.4.1.3 का संदर्भ ग्रहण किया जाए।

6.4.3 समूह इंचार्ज (जल प्रचालन) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

कुछ आपदाओं विशेषतया बाढ़ तथा चक्रवात में, जल प्रचालन की आवश्यकता आवश्यक हो सकती है। बचाव कार्यों तथा राहत सामग्रियों के परिवहन के लिए नावों/देशी नावों एवं अन्य जल परिवहन की तैनाती आवश्यक हो सकती है। आपदा की मात्रा के अनुसार, टीबीडी एक जल प्रचालन समूह को सक्रिय कर सकता है, जिसमें समूह इंचार्ज, समन्वयक एवं भारण/अभारण इंचार्ज शामिल होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, समूह इंचार्ज एक सहायक समन्वयक की माँग कर सकता है। जैसा कि चित्र–13 में दर्शाया गया है।

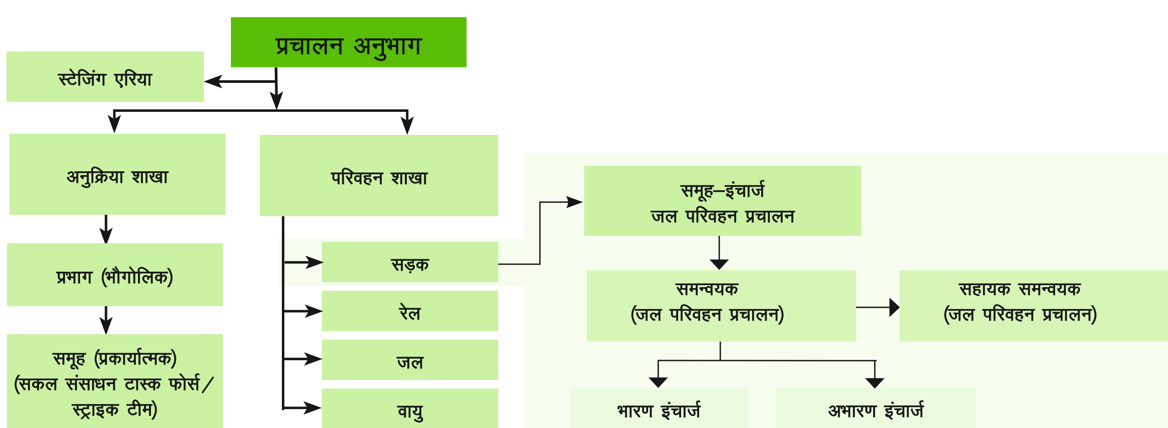

चित्र – 13. जल प्रचालन समूह का संघटन

समूह इंचार्ज (जल प्रचालन):

(1) मोटर बोट/देशी नाव या अन्य किसी जल परिवहन द्वारा प्रभावित स्थल पर संचार सुविधाओं तथा प्रत्येक टीक के साथ उनको गाइड करने के लिए एक स्थानीय गाइड के साथ बचाव टीम और राहत सामग्री के परिवहन को सुनिश्चित करेगा;
(2) आवश्यकता पड़ने पर कार्मिक सहायता की माँग करेगा;
(3) आईएपी के अनुसार विविध गंतव्यों के साथ समन्वयन प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा;
(4) दुर्घटना के साथ जुड़े सभी जल प्रचालनों एवं संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा;
(5) नौकाघाट या पोताश्रय स्थानों का मूल्यांकन तथा सुनिश्चित करेगा;
(6) किसी भी विवाद को सुलझाएगा;
(7) जल प्रचालन योजना का अद्यतन करेगा तथा इसे उच्च अधिकारियों जिसमें एलएससी भी शामिल है, से साझा करेगा;
(8) जब भी जरूरत होगी तो दुर्घटना जाँच टीम की व्यवस्था करेगा तथा उचित जाँच अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा;
(9) नाव प्रचालनों के लिए पीओएल तथा अन्य संभार–तंत्र सहायता की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा;
(10) उसके साथ कार्यरत कार्मिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा;
(11) समन्वयक तथा अन्य इंचार्जों से विविध संपादित गतिविधियों (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न आईआरएस फार्म–004) के रिकार्ड एकत्रित करेगा तथा टीबीडी या ओएससी को भेजेगा; और?
(12) टीबीडी या ओएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

6.4.3.1 समन्वयक (जल प्रचालन) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

समन्वयक (जल प्रचालन)

(1) मोटरबोट/देशी नाव आदि द्वारा संसाधनों के परिवहन से संबंधित सभी गतिविधियों को समन्वित करेगा। इस पद की सक्रियता दुर्घटना की जटिलता पर समाश्रित है। किसी दुर्घटना के लिए एक से ज्यादा समन्वयकों (जल) को भारण/अभारण इंचार्ज के साथ समनुदेशित किया जा सकता है।
(2) निर्धारित दुर्घटना क्षेत्रों का सर्वेक्षण स्थिति तथा अन्य संभाव्य समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए करेगा;
(3) आवश्यकता पड़ने पर राहत सामग्रियों के सहज परिवहन के लिए एसएएम के साथ समन्वयन करेगा;

(4) समनुदेशन प्राप्त करेगा तथा जल परिवहन संचालन गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा;
(5) उनकी सुरक्षा के लिए सभी जल प्रचालनों को मॉनीटर करेगा;
(6) खोज एवं बचाव साथ ही साथ राहत प्रचालनों के लिए तैनात जल परिवहन कार्मिकों के साथ उचित संचार को सुनिश्चित करेगा;
(7) विभिन्न स्थानों पर पूर्ति तथा जल परिवहन संचालन का रिकार्ड रखेगा;
(8) टीबीडी और अन्य अभिहित अधिकारियों को उन दुर्घटनाओं के बारे में जो जल प्रचालनों के दौरान हो सकती है, रिपोर्ट करेगा;
(9) जल प्रचालनों के लिए पीओएल आदि की आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा तथा उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा;
(10) समन्वयक (सड़क प्रचालन) के साथ समन्वयन करेगा क्योंकि अधिकतम राहत आपूर्तियाँ सड़क के द्वारा पहुँचेगी;
(11) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा समूह इंचार्ज या टीबीडी को भेजेगा; और
(12) ओएससी या टीबीडी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

6.4.3.2 भारण एवं अभारण इंचार्ज (जल प्रचालन) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

जल प्रचालन के भारण एवं अभारण इंचार्ज की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ सड़क प्रचालन समूह में उसके प्रतिस्थानी के समान होगी। पैरा 6.4.1.3 का संदर्भ ग्रहण करें।

6.4.4 वायु प्रचालन

भारत में आपदा अनुक्रिया के लिए वायु प्रचालन की चार कार्यों के लिए जरूरत पड़ सकती हैः (क) प्रभावित क्षेत्र के लिए राहत सामग्री तथा संसाधनों का त्वरित परिवहन, (ख) न पहुँचने लायक तथा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों, खाद्य पदार्थों, दवाओं आदि का त्वरित वितरण (वायु पातन), (ग) न पहुँचने लायक क्षेत्रों में फँसे पीड़ितों की खोज तथा बचाव, और (घ) हताहतों का निष्क्रमण।

सामान्यतया, भारतीय वायुसेना को वायु सहयोग प्रचालनों के लिए कार्य सौंपा जाएगा। किसी समय इंडियन एयरलाइंस पवनहंस और अन्य निजी हवाई कंपनियों का भी इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न लक्ष्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के वायुयानों की आवश्यकता हो सकती है जैसे उपरोक्त किसी भी कंपनी का परिवहन वायुयान या हेलीकाप्टर आदि।

किसी भी वायु प्रचालन की शुरूआत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर घनिष्ठ समन्वयन की आवश्यकता है। इसके लिए एनडीएमए, एनईसी, वायुसेना, नागर विमानन मंत्रालय, राज्य आरओ तथा उस जिले जहाँ पर वायु प्रचालन को संपादित किया जाना है, के आरओ के बीच घनिष्ठ समन्वयन की आवश्यकता है। यह अतः बहुत ही आवश्यक है कि वायु सहायता के समन्वयन तथा सक्रिय होने के लिए इन सभी स्तरों पर पहले से ही एनओ की पहचान की जानी चाहिए तथा उसे नामोद्दिष्ट करना चाहिए। हितधारकों को वायु प्रचालनों के लिए नामोद्दिष्ट एनओ के बारे में जानकारी रखनी चाहिए।

आईआरएस के संदर्भ में, प्रभावित क्षेत्रों में, एक जमीनी सहायता घटक को सभी आवश्यक अवतरण तथा उड़ान सुविधाओं पर तैनात किया जाएगा। वायु प्रचालन के लिए जमीनी सहायता आवश्यकताओं, जिसमें एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), सुरक्षा आदि शामिल है, की जिम्मेदारी टीबीडी की होगी। वायु प्रचालन शुरू करने का निर्णय लेने पर, टीबीडी अपने अधीन वायु प्रचालन समूह को सक्रिय करेगा। समूह का मुखिया पर्यवेक्षक होगा तथा सभी अवतरण तथा उड़ान स्थानों पर आवश्यक संगठनात्मक घटकों को सक्रिय करना होगा जिसका मुखिया एयरबेस, हेलीबेस तथा हेलीपैड पर तैनात इंचार्ज होगा।

वायु प्रचालन का संघटन (चित्र–14) एनओ होगाः जो संबंधित स्तर पर राज्य तथा जिला स्तर आरओ द्वारा समनुदेशित होगा, समूह इंचार्ज जो एयरबेस, हेलीबेस और हेलीपैड पर संभरण–तंत्र सहायता के समन्वयन के लिए टीबीडी के अधीन सीधे कार्य करेगा।

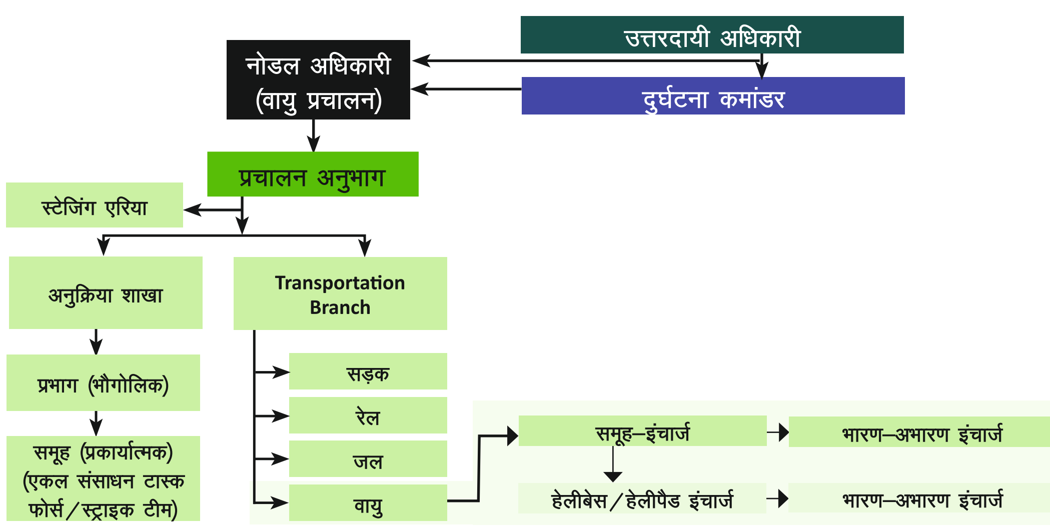

चित्र – 14. वायु प्रचालन समूह का संघटन

6.4.4.1 नोडल अधिकारी (एनओ) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

नोडल अधिकारी (वायु प्रचालन)

(1) वायु प्रचालन के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वयन करेगा;
(2) आईएपी के आधार पर उचित अधिकारियों के लिए आवश्यक वायु सहायता के प्रकार को बहिर्विष्ट करेगा तथा कम से कम 24 घंटे पहले या जितना जल्दी हो सके माँग प्रस्तुत करेगा;
(3) अपने क्षेत्रों में वायु संचलन तथा अवतरण समय–सारणी के बारे में आईसी तथा ओएससी को सूचित करेगा;
(4) यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ पर वायु सहायता की आवश्यकता है उस स्थान का सही समन्वयन देने के लिए दुर्घटना स्थानों का मानचित्र वायु प्रचालन में शामिल सभी एजेंसियों के पास मौजूद है;
(5) वायुसेना अधिकारियों तथा राज्य अधिकारियों के साथ समन्वयन में हेलीपैड या हेलीबेस की उपयुक्तता को निर्धारित करेगा;
(6) वायु यातायात नियंत्रण तथा जमीनी सहायता कर्मचारियों के साथ वायु संचलन तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में संचार बनाए रखेगा;
(7) आवश्यक एटीएफ आदि के प्रापण के लिए एलसी तथा एलएससी को मदद देगा;
(8) आरओ को वायु प्रचालन गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट करेगा; और
(9) आरओ एवं आईसी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

6.4.4.2 समूह इंचार्ज की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

समूह इंचार्ज (वायु प्रचालन) :

(1) आईएपी के अनुसार वायु प्रचालन के लिए जमीनी सहायता प्रदान करेगा;
(2) वायु प्रचालनों की उन्नति के बारे में टीबीडी को रिपोर्ट करेगा तथा एनओ, आईसी, ओएससी तथा टीबीडी के साथ समन्वयन में कार्य करेगा;
(3) वायु प्रचालनों के लिए आवश्यक संसाधनों तथा आपूर्तियों को संबधित स्थानों पर सुनिश्चित करेंगे।
(4) पायलटों तथा वायु प्रचालनों में शामिल अन्य स्टाफ को सही समन्वयन प्रदान करने के लिए उचित मानचित्र रखेगा;
(5) आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कार्मिक सहायता की माँग करेगा;
(6) अवतरण तथा उड़ान स्थलों पर पुनः ईंधन भरने की सुविधा को सुनिश्चित करेगा;

(7) यह सुनिश्चित करेगा कि हेलीबेस तथा हेलीपैड स्थानों की पहचान की गयी है तथा उन्हें उचित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है;
(8) प्रत्येक हेलीबेस तथा हेलीपैड पर कार्मिकों तथा उपकरण के समनुदेशन की आवश्यकता को निर्धारित करेगा;
(9) हेलीबेस तथा हेलीपैड की पहचान सुनिश्चित करेगा;
(10) उचित संचार व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा;
(11) एनओ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वायुयान तथा हेलीकाप्टर की अवतरण तथा उड़ान समय–सारणी को अद्यतन करेगा;
(12) राहत सामग्रियों के उचित भारण या अभारण के लिए भार मालसूची की तैयारी सुनिश्चित करेगा;
(13) हवाई अड्डा, हेलीपैड एवं हेलीबेस पर पहुँचने वाली राहत सामग्रियों के अभारण एवं प्रेषण या भंडारण की व्यवस्था करेगा। हवाई अड्डे को प्रचालित रखने के लिए वहाँ पर पहुँचने वाली आयातित आपूर्तियों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उन्हें तुरंत प्रचालन क्षेत्र से हटा देना चाहिए;
(14) यह सुनिश्चित करेगा कि उचित पैकिंग तथा तौल सुविधाएँ मौजूद हैं तथा राहत सामग्रियों के भारण में इनका प्रयोग हो रहा है;
(15) सडक़ परिवहन आवश्यकताओं के लिए सडक़ प्रचालन समहू के साथ समन्वयन स्थापित करेगा;
(16) यह सुनिश्चित करेगा कि हेलीबेस और हेलीपैड पर वायुयान बचाव तथा अग्निशामक सेवा की प्रकार्यात्मकता, सुरक्षा, उचित प्रकाश, स्मोक कैंडल/उपकरण, तौल सुविधाएँ, पवन दिक्सूची आदि मौजूद हैं;
(17) हेलीबेस तथा हेलीपैड इंचार्ज से संपादित विविध गतिविधियों का रिकार्ड (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न आईआरएस फार्म–004) एकत्रित करेगा तथा टीबीडी या ओएससी या आईसी को भेजेगा; और
(18) टीबीडी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

चित्र – 10. हेलीबेस

6.4.4.3 हेलीबेस/हेलीपैड इचार्ज की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

हेलीबेस पार्किंग, ईंधन भरने तथा हेलीकाप्टरों के मरम्मत कार्य के लिए मुख्य स्थान

है। इसका प्रयोग राहत सामग्रियों के भारण तथा अभारण के लिए भी किया जा सकता है। हेलीपैड दुर्घटना क्षेत्र में अस्थायी स्थान होते हैं जहाँ पर हेलीकाप्टर सुरक्षित अवतरण कर सकते हैं तथा उड़ान भर सकते हैं। हेलीबेस प्रायः हवाई अड्डे पर, या हेलीकाप्टर को संचालित करने वाली एजेंसी द्वा रा अनुमोदित तथा परामशिर्त तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्णीत किसी अन्य स्थान पर स्थित होते हैं। जब एक से ज्यादा हेलीबेस स्थापित हो जाते हैं तो इन्हें दुर्घटना के नाम तथा संख्या द्वारा नामोद्दिष्ट कर दिया जाएगा। हेलीपैड को केवल प्रखलन उद्देश्य जैसे कार्मिकों एवं उपकरण तथा अन्य राहत सामग्रियों आदि के भारण तथा अभारण के लिए स्थापित तथा प्रयोग किए जाते हैं। हेलीबेस/हेलीपैड इंचार्ज टीबीडी को रिपोर्ट करेगा।

हेलीबेस, हेलीपैड इंचार्जः

(1) स्थान पर हेलीकाप्टरों की सभी जमीनी सहायता आवश्यकताओं को प्रदान करेगा;
(2) पायलटों को सही समन्वयन प्रदान करने के लिए उचित मानचित्र रखेगा;
(3) स्थिति, संभाव्य वायुयान आपदाओं तथा अन्य ऐसी ही समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए हेलीबेस/हेलीपैड क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा;
(4) यह सुनिश्चित करेगा कि हेलीपैड एवं हेलीबेस को उचित रूप से चिह्नित किया गया है ताकि वायुयान के सहज अवतरण के लिए यह आसमान से स्पष्ट रूप से दिखाई दे;
(5) हेलीकाप्टर प्रचालन के लिए जमीनी पर्यवेक्षक से समन्वयन स्थापित करेगा;
(6) जमीन तथा आसमान में सुरक्षा आवश्यकताओं तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित तथा कार्यान्वित करेगा;
(7) नियत हेलीबेस तथा हेलीपैड को लगातार मॉनीटर करेगा तथा असामान्य घटनाओं या जोखिमों जिनसे वायु प्रचालन प्रभावित हो सकता है, के प्रति सतर्क रहेगा तथा पूर्वापाय करेगा;
(8) यह सुनिश्चित करेगा कि हेलीबेस तथा हेलीपैड पर तैनात सभी कार्मिक सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में अवगत हैं;
(9) जमीनी संचार सुविधाओं को स्थापित करेगा;
(10) हेलीकाप्टर कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की देरी होने पर पर्यवेक्षक को तुरंत सूचित करेगा;
(11) हेलीबेस एवं हेलीपैड पर वायुयान बचाव उपायों, अग्निशमन सेवाओं, प्रकाश, स्मोक कैंडल, तौल सुविधाओं, पवन दिसूची, धूल उपशमन उपायों तथा सुरक्षा आदि के उपयुक्त होने तथा उचित ढंग से कार्य करने को सुनिश्चित करेगा;

(12) विमानकर्मियों के लिए विश्राम, जलपान, जल एवं सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा;

(13) मिशन के पूरा होने के बारे में पर्यवेक्षक को सूचित करेगा;

(14) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा; और

(15) समूह इंचार्ज द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

6.4.4.4 भारण / अभारण इंचार्ज की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

भारण / अभारण इंचार्ज

(1) हेलीबेस पर कार्गो तथा कार्मिकों के भारण तथा अभारण के सुरक्षित प्रचालनों के लिए जिम्मेदार होगा;

(2) एयरबेस, हेलीबेस तथा हेलीपैड इंचार्ज को रिपोर्ट करेगा;

(3) कार्मिक तथा कार्गो के भार मालसूची को सुनिश्चित करेगा;

(4) यह सुनिश्चित करेगा कि वायुयान में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा गया है;

(5) भारण तथा अभारण कर्मियों का पर्यवेक्षण करेगा;

(6) मौसम की दशाओं के कारण पायलटों द्वारा अधिरोपित किए गए भार प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए माल की उचित पैकिंग को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस उद्देश्य के लिए तौल सुविधा उपलब्ध है;

(7) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा; और

(8) समूह इंचार्ज, हेलीबेस इंचार्ज तथा हेलीपैड इंचार्ज द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

चित्र – 11. हैलीपैड

अध्याय – 7

योजना अनुभाग

7.1 योजना अनुभाग (पीएस)

पीएस में संसाधन इकाई, स्थिति इकाई, प्रलेखन इकाई एवं अलामबंदी इकाई (चित्र–15) समाविष्ट होते हैं। इस अनुभाग के मुखिया को योजना अनुभाग अध्यक्ष कहते हैं।

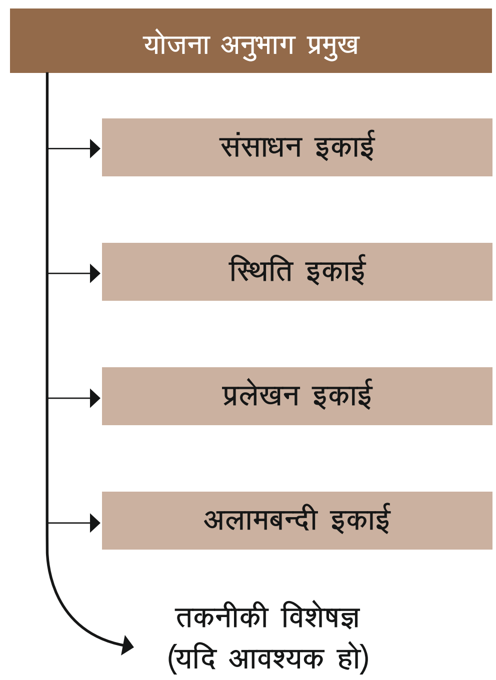

चित्र – 15. योजना अनुभाग का संगठन

7.2 योजना अनुभाग अध्यक्ष (पीएससी)

पीएससी सूचना के एकत्रीकरण, मूल्यांकन, प्रसारण तथा प्रयोग के लिए जिम्मेदार होता है। यह विकासात्मक परिदृश्य एवं संसाधनों की स्थिति के बारे में जानकारी रखता है। आवश्यकता पड़ने पर पीएस दुर्घटना के प्रबंधन में तकनीकी योजना मामलों को संबोधित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ भी रख सकता है। इस प्रकार के विशेषज्ञों की एक सूची पीएस में उपलब्ध रहेगी। पीएससी आईसी को रिपोर्ट करता है तथा इकाइयों को सक्रिय करने तथा आवश्यकतानुसार अपने अनुभाग में कार्मिकों की तैनाती के लिए जिम्मेदार होगा।

पीएससी की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

पीएससी:

(1) आईसी की परामर्शानुसार आईएपी की योजना तथा तैयारी के लिए सक्रिय अनुभाग अध्यक्ष के साथ समन्वय करेगा;

(2) यह सुनिश्चित करेगा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं के केस में जब पीएस सक्रिय नहीं है तो आईएमओ (कमांड स्टॉफ) से निर्णय लिया गया है तथा निर्देशन जारी किया गया है तथा आईएपी में समाविष्ट किया गया है;

(3) संबंधित विभागों तथा अन्य स्त्रोतों से दुर्घटनाओं के बारे में सूचना जिसमें मौसम, पर्यावरण विषाक्तता, संसाधनों की उपलब्धता आदि शामिल हैं, को एकत्रीकरण, मूल्यांकन तथा प्रसार को सुनिश्चित करेगा। पीएस के पास उपलब्ध संसाधनों का डाटाबैंक तथा उनके स्थानों का पता होना चाहिए जहाँ से उन्हें लामबंद किया जा सके;

(4) वर्तमान स्थिति को निर्धारित करने, दुर्घटना की संभावना की भविष्यवाणी करने, आईएपी को तैयार करके प्रचालन के लिए वैकल्पिक रणनीतियों को तैयार करने के द्वारा समन्वयन स्थापित करेगा। आईएपी अगली प्रचालन अवधि (24 घंटे को एक प्रचालन अवधि माना जाता है) के लिए संपूर्ण दुर्घटना रणनीति को प्रतिबिंबित करने वाले उद्देश्यों तथा विशिष्ट युक्तिक कार्यवाहियों तथा सहायक सूचनाओं को रखता है। योजना मौखिक या लिखित हो सकती है। लिखित योजना में कई संलग्नक हो सकते हैं जिसमें दुर्घटना उद्देश्य, संगठन समनुदेशन सूची आईआरएस फार्म–005 (अनुलग्नक 5 में अनुलग्न), दुर्घटना संचार योजना आईआरएस फार्म–009 (अनुलग्नक 9 में अनुलग्न), अलामबंदी योजना आईआरएस फार्म–010 (अनुलग्नक 10 में अनुलग्न), यातायात योजना, सुरक्षा योजना, तथा दुर्घटना मानचित्र आदि शामिल हैं। आईएपी को तैयार करने के लिए मुख्य चरण निम्नलिखित हैंः

(क) शुरूआती सूचना तथा नुकसान एवं आशंका का निर्धारण;
(ख) आवश्यक संसाधनों का निर्धारण;
(ग) दुर्घटना उद्देश्यों का निर्माण तथा रणनीति सभाओं को आयोजित करना;
(घ) प्रचालन तथ्य–सार प्रस्तुत करना;
(ङ) आईएपी का कार्यान्वयन;
(च) आईएपी की समीक्षा; और
(छ) आवश्यकता पड़ने पर अगले प्रचालन अवधि के लिए दुर्घटना उद्देश्यों को बनाना।

(5) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुलग्नक 2 में अनुलग्न दुर्घटना स्थिति सारांश (आईआरएस फार्म–002) भरा गया है तथा आईएपी में समाविष्ट किया गया है;

(6) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुलग्नक 5 में अनुलग्न संगठनात्मक समनुदेशन सूची (प्रभाग / समूह) आईआरएस फार्म–005 को उसके अनुभाग के इकाई लीडरों तथा अन्य अनुक्रियकों के बीच वितरित किया गया है।

(7) आईसी एवं ओएससी के परामर्श से जैसा उपयुक्त हो आईआरएस संगठनात्मक पदों को सक्रिय तथा निष्क्रिय करने की योजना बनाएगा;

(8) दुर्घटना प्रबंधन के लिए किसी विशिष्ट संसाधनों के लिए आवश्यकता निर्धारित करेगा;
(9) हताहतों के निर्धारण तथा प्राक्कलन एवं व्यापक अनुक्रिया प्रबंधन योजना के लिए निर्णय सहायता तथा निदर्श क्षमताओं के लिए पूर्व–सक्रिय योजना, जीआईएस के लिए आईटी सोल्यूशन का प्रयोग करेगा;
(10) दुर्घटना संभाव्य पर आवधिक प्रक्षेप प्रदान करेगा;
(11) दुर्घटना स्थिति में होने वाले किसी भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में आईसी को रिपोर्ट करेगा;
(12) आईसीपी पर दुर्घटना स्थिति सार को संकलित तथा प्रदर्शित करेगा;
(13) अनुलग्नक 10 में अनुलग्न दुर्घटना अलामबंदी योजना (आईआरएस फार्म–001) की तैयारी तथा कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा;
(14) कार्यों के प्रति क्षमता का ध्यान रखते हुए उचित कार्मिकों को समनुदेशित करेगा तथा अनुलग्नक 7 में अनुलग्न के अनुसार दिन के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची (आईआरएस फार्म–007) रखेगा;
(15) यह सुनिश्चित करेगा कि इकाइयों के सदस्यों द्वारा संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न आईआरएस फार्म–004) एकत्रित किए गए हैं तथा अनुलग्नक 3 में अनुलग्न यूनिट लॉग (आईआरएस फार्म–003) में रखे गए हैं; और
(16) आईसी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभारों को संपादित करेगा।

7.2.1 संसाधन इकाई लीडर (आरयूएल) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

संसाधन इकाई लीडर :

(1) सभी संसाधनों के पहुँच का समय लिखने तथा एक संसाधन स्थिति रख–रखाव व्यवस्था को बनाने के निरीक्षण द्वारा दुर्घटना स्थल पर सभी नियत संसाधनों (प्राथमिक तथा सहायक) की स्थिति को बनाए रखेगा तथा प्रदर्शित करेगा। प्राथमिक संसाधन अनुक्रियकों के लिए हैं तथा सहायक संसाधन प्रभावित समुदायों के लिए हैं;
(2) सभी उपलब्ध संसाधनों की एक पूर्ण प्रविष्टि को संकलित करेगा। वह अन्य स्थानों पर सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के बारे में सूचना प्राप्त करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी लामबंदी के लिए एक योजना तैयार करेगा। आईडीआरएन, सीडीआरएन एवं आईडीकेएन सुविधाओं का भी इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाएगा;

(3) विविध दुर्घटना स्थानों पर चेक–इन कार्य को सुनिश्चित तथा स्थापित करेगा;
(4) समय–समय पर प्राप्त एवं प्रेषित संसाधनों की स्थिति के बारे में पीएससी तथा आईसी को अद्यतन करता रहेगा;
(5) स्थिति की जाँच करने तथा आबंटित संसाधनों के प्रयोग के लिए ओएस की विविध सक्रिय शाखाओं, प्रभागों एवं समूहों के साथ समन्वयन करेगा;
(6) विनाशशील संसाधनों के त्वरित एवं उचित प्रयोग को सुनिश्चित करेगा;
(7) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार विविध संपादित गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा संबंधित अनुभाग को भेजेगा; और
(8) पीएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

7.2.1.1 चेक–इन/स्टेटस रिकार्डर

चेक–इन/तैनाती स्टेटस रिकार्डर

(1) आरयूएल को रिपोर्ट करेगा;
(2) यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्घटना के लिए नियत सभी संसाधनों का प्रत्येक चेक–इन स्थानों पर लेखा–जोखा दे दिया गया है;
(3) सभी आवश्यक कार्य सामग्रियाँ जिसमे चेक–इन सूची, संसाधनों की तैनाती के लिए विभिन्न स्थानों को दर्शाने वाला संसाधन स्थिति प्रदर्शन बोर्ड, पहुँच के समय तथा संसाधनों के प्रकार के साथ संसाधनों का एकत्रीकरण आदि शामिल है, को प्राप्त करेगा। संसाधनों की स्थिति को टी कार्ड द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा या कम्प्यूटर पर कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा;
(4) ईओसी तथा एलएस की जमीनी सहायता इकाई (जीएसयू) के साथ संचार स्थापित करेगा;
(5) सूचना–पट्ट पर चेक–इन स्थानों के प्रदर्शन को सुनिश्चित करेगा ताकि पहुँचने वाले संसाधनों को आसानी से चेक–इन स्थानों पर भेजा जा सके;
(6) अनुलग्नक 6 में अनुलग्न आईआरएस फार्म–006 के अनुसार दुर्घटना चेक–इन तथा तैनाती सूची पर सूचना की प्रविष्टि तथा रिकार्ड करेगा;
(7) नियमित और पूर्वतैयार समय–सारणी पर या जैसी आवश्यकता हो, संसाधन इकाई को दुर्घटना चेक–इन तथा तैनाती सूचना प्रसारित करेगा;
(8) संसाधन इकाई को पूर्ण चेक–इन सूची अग्रसारित करेगा;
(9) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा; और
(10) पीएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

7.2.2 स्थिति इकाई लीडर (एसयूएल की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

एसयूएलः

(1) सभी दुर्घटना सूचना को जितना जल्दी हो सके विश्लेषण के लिए एकत्रित, प्रक्रमित तथा व्यवस्थित करेगा। इस प्रकार के उद्देश्यों के लिए वह एकल संसाधन, टास्क फोर्स, स्ट्राइक टीम के सदस्यों क्षेत्र स्तर के सरकारी अधिकारियों एवं पीआरआई, सीबीओ, एनजीओ आदि के सदस्यों की मदद ले सकता है;

(2) दुर्घटना के विकास के आवधिक भावी प्रक्षेप (आवश्यकता पड़ने पर मानचित्र भी) तैयार करेगा तथा पीएससी एवं आईसी को सूचित करेगा;

(3) स्थिति तथा संसाधन स्थिति रिपोर्ट तैयार करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रचार करेगा;

(4) आवश्यकता पड़ने पर अनुक्रियकों के लिए प्राधिकृत मानचित्र, फोटोग्राफी सेवाएँ प्रदान करेगा;

(5) आवश्यक सूचना, आँकड़ों, प्रलेख तथा भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र आदि के साथ आईएपी की सभा में उपस्थित होगा;

(6) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों का रिकार्ड रखेगा तथा संबंधित अनुभाग को भेजेगा; और

(7) एसयूएल या पीएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

7.2.2.1 प्रदर्श प्रक्रमक (डीपी) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

डीपी क्षेत्र प्रेक्षकों (एफओ), एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम, टास्क फोर्स, तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त दुर्घटना स्थिति सूचनाओं के प्रदर्श के लिए जिम्मेदार है।

(1) क्षेत्र प्रेक्षकों (एफओ), एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम, टास्क फोर्स, हवाई फोटो से प्राप्त दुर्घटना स्थिति तथा तकनीकी स्त्रोतों से प्राप्त अन्य आँकड़ों को प्रदर्श करेगा;

(2) एसयूएल को रिपोर्ट करेगा;

(3) प्रदर्श चार्ट के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करेगा;

(4) आवश्यक उपकरण तथा स्टेशनरी को प्राप्त करेगा;?

(5) क्षेत्र रिपोर्ट का विश्लेषण करने तथा मूल्यांकन करने में मदद करेगा;

(6) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा; और

(7) एसयूएल या पीएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

7.2.2.2 क्षेत्र प्रेक्षक (एफओ) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

एफओ दुर्घटना के निजी प्रेक्षणों से स्थिति सूचना को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है तथा एसयूएल को यह सूचना प्रदान करेगा। वह स्थानीय निजी व्यक्ति या प्रचालन इकाइयों/समूहों का कोई भी सदस्य हो सकता है। पीएससी इस प्रकार के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से व्यक्तियों को नामोद्दिष्ट करेगा।

एफओ:

(1) ऐसी कोई भी स्थिति जो अनुक्रियकों और प्रभावित समुदायों के लिए खतरा एवं सुरक्षा जोखिम हो सकती है, को प्रेक्षित होने पर तुरंत एसयूएल को रिपोर्ट करेगा। इसमें स्थानीय मौसम दशाएँ भी शामिल होनी चाहिए;

(2) उस आसूचना को एकत्र करेगा जो बेहतर योजना तथा प्रभावी अनुक्रिया को सुकर बना सकती है;

(3) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा और एसयूएल को भेजेगा; और

(4) एसयूएल या पीएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

7.2.3 प्रलेखन इकाई लीडर (डीयूएल) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

डीयूएल:

(1) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक फार्म तथा स्टेशनरियों का प्रापण किया गया है कि सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों, समूहों और इकाइयों को जारी किया गया है;

(2) दुर्घटना से संबंधित सभी सूचनाओं तथा रिपोर्टों को संकलित करेगा;

(3) रिकार्डों तथा विविध आईआरएस फार्मों की परिशुद्धता एवं पूर्णता की समीक्षा तथा संवीक्षा करेगा;

(4) उचित इकाइयों को उनके प्रलेखन में हुई त्रुटियों या चूकों, यदि कोई है, के बारे में सूचित करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि त्रुटियों तथा चूकों को सुधार लिया गया है;

(5) पश्च–दुर्घटना विश्लेषण के लिए फाइलों को उचित ढंग से भंडारित करेगा;

(6) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा; और

(7) पीएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

7.2.4 अलामबंदी इकाई लीडर (डीमोब यूएल) की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

बृहद् दुर्घटना के प्रबंधन में, अलामबंदी बिल्कुल जटिल गतिविधि हो सकती है तथा इसमें उचित एवं पृथक् योजना की आवश्यकता होती है। जब आपदा अनुक्रिया पूरे होने के करीब होती है, तो अनुक्रिया के लिए लामबंद किए गए संसाधनों को वापस करने की आवश्यकता होती है। इसे योजनाबद्ध तथा चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। अलामबंदी में उपकरण तथा कार्मिकों दोनों के लिए विभिन्न स्थानों (दूर एवं पास दोनों) के लिए परिवहन की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। अलामबंदी इकाई आरओ, आईसी एवं पीएससी के साथ परामर्श करके अलामबंदी योजना तैयार करेगी। योजना में अलामबंद होने वाले अनुक्रियकों का ब्यौरा, दिनांक, परिवहन का प्रकार, उन स्थानों का ब्यौरा जहाँ से वे अलाम बंद होंगे, वह गंतव्य जहाँ उन्हें अंत में पहुँचना है आदि का ब्यौरा शामिल होना चाहिए। बिना प्रयोग वाले उपकरण तथा बीमार कार्मिकों के लिए भी एक समान योजना होगी।

अलामबंदी यूएलः

(1) अनुलग्नक 10 में दिए गए आईआरएस फार्म–010 के अनुसार दुर्घटना अलामबंदी योजना (आईडीपी) की तैयारी करेगा;

(2) अधिशेष संसाधनों की पहचान करेगा तथा पीएससी के परामर्श से अंतिम आईडीपी तैयार करेगा तथा अधिशेष संसाधनों की अलामबंदी की प्राथमिकता देगा;

(3) सभी अनुभागों के परामर्श से अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों तथा इकाइयों के लिए दुर्घटना चेक–आउट कार्य विकसित करेगा;

(4) एलएस के परामर्श से दुर्घटना अलामबंदी के लिए संभार–तंत्र तथा परिवहन सहायता के लिए योजना बनाएगा;

(5) इसमें शामिल विविध हितधारकों के लिए उचित समय पर आईडीपी का प्रचार करेगा;

(6) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अनुभाग, इकाइयाँ, टीमें एवं संसाधन अपनी विशिष्ट दुर्घटना अलामबंदी जिम्मेदारियों को समझते हैं तथा अलामबंदी सुविधाओं का लाभ उठाएगा;

(7) उचित पर्यवेक्षण तथा आईडीपी के क्रियान्वयन की व्यवस्था करेगा;

(8) अलामबंदी की उन्नति पर पीएससी को तथ्य–सार प्रस्तुत करेगा;

(9) आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मानव संसाधनों के लिए पीएससी से माँग करेगा;

(10) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार विविध संपादित गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा;

(11) पीएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

7.2.5 तकनीकी विशेषज्ञ (टीएस)?

आरओ तथा आईसी के परामर्श से, पीएससी आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट अनुक्रिया के लिए तकनीकी संसाधनों तथा विशेषज्ञों को लामबंद कर सकता है। उन्हें तकनीकी योजना या विशिष्ट तकनीकी अनुक्रिया के लिए तैनात किया जा सकता है और वह संबंधित अनुभाग अध्यक्ष के अधीन कार्य करेगा।

टीएस अनुक्रिया प्रबंधन को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। टीएस का एक डाटाबेस पहले से ही जिला, राज्य, महानगरों तथा संघ राज्य–क्षेत्र स्तर पर तैयार किया जाएगा तथा उनके डीएम योजना में समाविष्ट किया जाएगा।

अध्याय – 8

संभार–तंत्र अनुभाग

8.1 संभार–तंत्र अनुभाग (एलएस)

एलएस प्रभावी अनुक्रिया प्रबंधन के लिए सभी संभार–तंत्र सहायता प्रदान करता है। एलएस की विभिन्न शाखाओं के अधीन इकाइयाँ केवल संसाधनों के विविध वर्ग तथा प्रकार के लिए ही जिम्मेदार नहीं होती हैं, बल्कि विभिन्न सुविधाओं जैसे दुर्घटना बेस, कैंप, आईसीपी तथा राहत कैंप आदि को स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसमें सरकार के कई संबंधित विभागों तथा अन्य एजेंसियों का शामिल होना अनिवार्य होगा। इसमें प्रशासन के उच्च स्तर पर उचित तथा सहज समन्वयन की आवश्यकता होगी। एलएस आरओ, ईओसी तथा आईसी के साथ निकटस्थ रहकर कार्य करेगा। राज्य तथा जिला डीएम योजना में व्यापक ब्यौरा जैसे आवश्यक संसाधनों को कहाँ से प्रापण किया जा सकता है तथा उपयोग की गई जनशक्ति आदि रखेगा। आईडीकेएन, आईडीआरएन तथा सीडीआरएन उपकरण एवं जनशक्ति की लामबंदी के लिए लाभप्रद हो सकते हैं।

8.2 संभार–तंत्र अनुभाग अध्यक्ष (एलएससी)

एलएस में सेवा, सहायता तथा वित्त शाखाएँ समाविष्ट हैं। प्रत्येक शाखा का ढाँचा एवं ब्यौरा चित्र–16 में दर्शाया गया है। इस अनुभाग के मुखिया को एलएससी कहा जाता है। एलएस की विविध शाखाओं का सक्रियण संदर्भ विनिर्दिष्ट होता है तथा दुर्घटना की घोरता तथा आवश्यकता पर निर्भर करेगा। वित्तीय शाखा (एफबी) विशेषतया फौरी प्रापण को सुकर करने के लिए तथा वित्तीय प्रक्रमों एवं नियमों का अनुसरण करते हुए उचित लेखा रखने के लिए एलएस का एक महत्त्वपूर्ण घटक बनाता है।

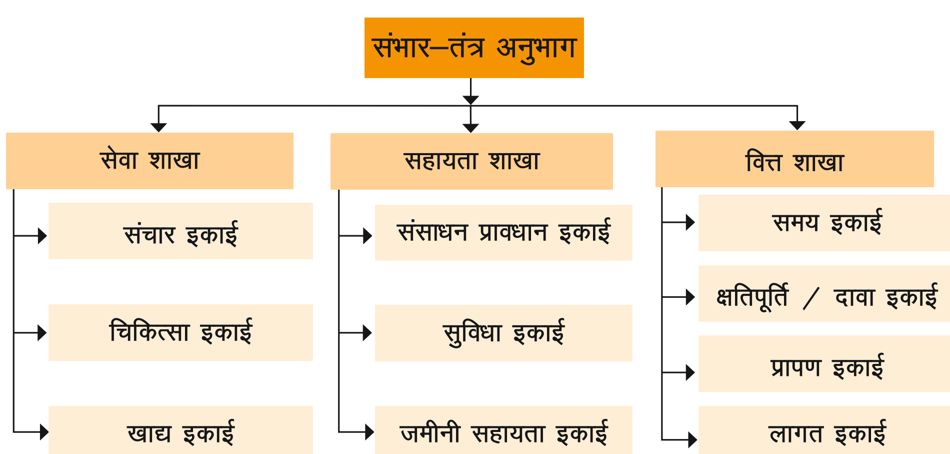

चित्र – 16. संभार–तंत्र अनुभाग का संघटन

एलएससी की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

एलएससीः

(1) सक्रिय अनुभाग अध्यक्ष से समन्वयन करेगा;
(2) सभी दुर्घटना अनुक्रिया प्रयासों जिसमें एसए, दुर्घटना बेस, कैंप, राहत कैंप, हेलीपैड आदि की स्थापना भी शामिल है, को संभार–तंत्र सहायता प्रदान करेगा;
(3) आईएपी के विकास तथा कार्यान्वयन में भाग लेगा;
(4) संबंधित वित्तीय मामलों के बारे में आरओ तथा आईसी को सूचित करेगा;
(5) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुलग्नक 5 में अनुलग्न संगठनात्मक समनुदेशन सूची आईआरएस फार्म–005 को शाखा निदेशकों तथा अपने अनुभाग के अन्य अनुक्रियकों के बीच वितरित किया गया है;
(6) आवश्यकता पड़ने पर अग्रदाय निधि की मंजूरी की माँग करेगा;
(7) अपने अनुभाग की सक्रिय इकाइयों का पर्यवेक्षण करेगा;
(8) अपने अनुभाग के कार्मिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा;
(9) अनुभाग कार्मिकों के लिए कार्य स्थान तथा प्रास्ताविक कार्य को नियत करेगा;
(10) यह सुनिश्चित करेगा कि व्यापक संसाधन प्रबंधन व्यवस्था की मदद से आईएपी की संभार–तंत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक योजना बनाई गई है;
(11) शाखा निदेशकों तथा इकाई लीडरों के समक्ष तथ्य–सार प्रस्तुत करेगा;
(12) राहत प्रचालनों के लिए सभी संभार–तंत्र आवश्यकताओं की प्रत्याशा करेगा तथा उसके अनुसार तैयारी करेगा;
(13) स्थिति की परिवर्तित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार योजना, चिकित्सकीय योजना तथा यातायात योजना की लगातार समीक्षा करेगा;
(14) अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निर्धारित करेगा तथा आरओ एवं आईसी के परामर्श से उनके प्रापण के लिए कदम उठाएगा;
(15) आरओ एवं आईसी द्वारा अनुमोदित के अनुसार आईडीपी के लिए संभार–तंत्र सहायता प्रदान करेगा;
(16) आईडीपी की अनुरूपता के साथ संसाधनों के भाड़ा–क्रय को उचित रूप से प्रलेखित किया गया है तथा एफबी द्वारा भुगतान किया गया है;
(17) यह सुनिश्चित करेगा कि माँग संसाधनों के भाड़ा–क्रय को उचित रूप से प्रलेखित किया गया है तथा एफबी द्वारा भुगतान किया गया है;
(18) किए जाने वाले कार्य के लिए कार्मिकों को उनकी क्षमताओं को देखते हुए समनुदेशित करेगा तथा अनुलग्नक 7 में अनुलग्न ऑन ड्यूटी अधिकारी सूची (आईआरएस फार्म–007) को तैयार करेगा;

(19) यह सुनिश्चित करेगा कि कुल अनुक्रिया गतिविधियों का लागत विश्लेषण तैयार है;

(20) यह सुनिश्चित करेगा कि शाखाओं एवं इकाइयों द्वारा संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न आईआरएस फार्म–004) एकत्रित किए गए हैं तथा अनुलग्नक 3 में अनुलग्न यूनिट लॉग आईआरएस फार्म 003 में लिखे गए हैं; और

(21) आरओ या आईसी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.1 सेवा शाखा निदेशक (एसबीडी) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

एसबीडीः

(1) एलएससी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा, तथा दुर्घटना प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक सेवा सहायता की व्यवस्था करेगा;

(2) शाखा की विविध इकाइयों जैसे संचार इकाई, चिकित्सा इकाई, खाद्य इकाई एवं किसी अन्य सक्रिय इकाई का प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण करेगा;

(3) आवश्यक सामग्रियों तथा संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडरों से विचार–विमर्श करेगा तथा एलएस द्वारा उसका प्रापण करेगा;

(4) आईएपी के अनुसार कार्मिकों, टीमों, संसाधनों आदि का उचित प्रेषण करेगा;

(5) आवश्यकता पड़ने पर एक समनुदेशन सूची तैयार करेगा;

(6) समय–समय पर सेवा शाखा की उन्नति के बारे में एलएससी को सूचित करता रहेगा;

(7) सेवा शाखा के पास यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान करेगा–

(8) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा; और

(9) आईसी एवं एलएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.1.1 संचार इकाई लीडर (कॉम. यूएल) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

(1) एसबीडी के निदेशन के अधीन कार्य करेगा;

(2) जब जरूरत होगी, तो संचार सुविधा प्रदान करेगा;

(3) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उपलब्ध संचार उपकरण चालू हालत में हैं तथा नेटवर्क क्रियाशील है,

(4) संचार इकाई गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा;

(5) क्षेत्र में तैनात सभी संचार उपकरणों के रिकार्ड रखेगा;

(6) दुर्घटना समाप्ति के पश्चात संचार इकाई द्वारा प्रदत्त उपकरणों को बरामद करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि इसे आईडीपी के साथ उचित रूप से संलग्न कर दिया गया है;

(7) विविध सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, इकाइयों एवं उच्च अधिकारियों से रेडियो, टेलीफोन तथा अन्य संदेशों को प्राप्त तथा प्रसारित करने के लिए एक संदेश केंद्र की स्थापना को सुनिश्चित करेगा तथा उनके रिकार्ड रखेगा;
(8) सामान्य संचार नेटवर्क के संभव असफलता के केस में निष्पादन के लिए एक वैकल्पिक संचार योजना तैयार करेगा। वैकल्पिक संचार नेटवर्क में वायरलेस, सेटेलाइट फोन, सेल फोन, एचएएम रेडियो आदि हो सकता है।
(9) बृहद् आपदा के प्रबंधन के लिए केंद्रीय टीमों (एनडीआरएफ, सशस्त्र बल) के संचार सेटअप का स्थानीय संचार सेटअप के साथ समन्वयन स्थापित करने के लिए योजना तैयार करेगा जब वे अनुक्रिया प्रयास में मदद के लिए आएँगे;
(10) पर्याप्त कर्मचारी सहयोग की माँग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा;
(11) यह सुनिश्चित करेगा कि संचार योजना आईएपी को मदद दे रही है;
(12) आईडीपी के अनुसार संचार केंद्र को अलामबंद करेगा;
(13) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा एसबीडी को भेजेगा; और
(14) एसबीडी या एलएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.1.2 चिकित्सा इकाई लीडर (एमयूएल) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

एमयूएलः

(1) एसबीडी के निदेशन में कार्य करेगा;
(2) आईएपी के अनुसार चिकित्सा योजना तैयार करेगा तथा आवश्यक संसाधनों का प्रापण करेगा, पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा–सहायता तथा उनके परिवहन के लिए एंबुलेंस प्रदान करेगा तथा आईआरएस फार्म 008 (अनुलग्नक 8) के अनुसार उसका रिकार्ड रखेगा, एंबुलेंस सेवाओं, चिकित्सा–कर्मियों एवं पीड़ितों के परिवहन के लिए पीएस से उस क्षेत्र का सड़क मानचित्र प्राप्त करेगा;
(3) एसबीडी एवं एलएससी को प्रज्ञापित करते हुए चिकित्सा–सहायता, परिवहन एवं चिकित्सा आपूर्तियों आदि के लिए ओएस की माँग की अनुक्रिया करेगा;
(4) उन चिकित्सा कार्मिकों की सूची रखेगा जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर लामबंद किया जा सके;
(5) दुर्घटना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर ज्यादा मानव संसाधनों की माँग करेगा;
(6) सभी चिकित्सा टीम लीडरों के लिए अभिदेश सेवा केंद्रों की सूची तैयार तथा वितरित करेगा;

(7) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा एसबीडी को भेजेगा; और

(8) एसबीडी एवं एलएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा

8.2.1.3 खाद्य इकाई लीडर (एफयूएल) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

एफयूएल:

(1) एसबीडी के निदेशन में कार्य करेगा;

(2) एसबीडी के निदेशन के अनुसार आईआरटी के विविध सक्रिय अनुभागों, शाखाओं इकाइयों एवं समूहों के लिए संसाधनों की आपूर्ति करेगा;

(3) (क) आईसीपी, कैंपों, दुर्घटना बेस, एसए, आदि पर कार्यरत आईआरटी के कार्मिकों, एवं (ख) अस्थायी आश्रयों, राहत कैंपों आदि पर पीड़ितों के लिए खाद्य की आपूर्ति करेगा;

(4) यदि कार्य बहुत ही बड़ा हो जाता है तो मदद की माँग करेगा। एफयूएल एलएससी से इकाई को दो समूहों में बाँटने की माँग करेगा। पहला समूह कार्मिकों को खाद्य की आपूर्ति करेगा तथा दूसरा समूह पीड़ितों को खाद्य की आपूर्ति करेगा। दुर्घटना बेस, राहत कैंप एवं अन्य सुविधाओं को खाद्य की आपूर्ति के लिए परिवहन की माँग करेगा;

(5) खाद्य एवं पेयजल आवश्यकताओं तथा उनके परिवहन को निर्धारित करेगा तथा एसबीडी एवं एलएससी के समक्ष तथ्य–सार प्रस्तुत करेगा;

(6) संसाधनों की प्राप्ति एवं प्रेषण की वस्तु सूची रखेगा;

(7) इकाई की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा;

(8) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा; और

(9) एसबीडी एवं एलएससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.2 समर्थन शाखा निदेशक (सुप. बीडी) की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

सुप. बीडी:

(1) एलएससी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा, और संसाधन प्रबंध इकाई, सुविधा इकाई एवं जमीनी सहायता इकाई;

(2) अनुभाग अध्यक्ष की सहमति से प्रचालनों के लिए आवश्यक युक्तिक सामग्रियों एवं संसाधनों का प्रापण तथा प्रेषण करेगा;

(3) एलएस की योजना सभा में भाग लेगा;

(4) यह सुनिश्चित करेगा कि शाखा से संबंधित संगठन समनुदेशन सूची को उसके अधीन सभी इकाइयों को वितरित कर दिया गया है;
(5) समर्थन शाखा की विविध गतिविधियों को समन्वित करेगा;
(6) कार्य की उन्नति के बारे में एलएससी को सूचित करेगा;
(7) उसकी इकाई के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करेगा;
(8) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेंगे; और
(9) एलससी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.2.1 संसाधन प्रबंध इकाई लीडर (आरपीयूएल) की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

आरपीयूएल

(1) सुप.बीडी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा;
(2) कार्मिकों, उपकरण एवं आपूर्तियों के संचलन को संगठित करेगा;
(3) दुर्घटना अनुक्रिया के लिए आवश्यक सभी आपूर्तियों को प्राप्त करेगा तथा भंडारित करेगा;
(4) आपूर्ति एवं उपकरण की वस्तु सूची बनाएगा;
(5) आपूर्तियों जिसमें उपकरण एवं कार्मिक शामिल हैं, की प्राप्ति एवं प्रेषण के रिकार्ड रखेगा;
(6) उत्सर्जनीय आपूर्तियों एवं उपकरण की मरम्मत तथा सफाई–धुलाई की व्यवस्था करेगा;
(7) एलएस की योजना सभा में भाग लेगा;
(8) उपलब्ध एवं प्रेषित आपूर्तियों के वर्ग, प्रकार एवं मात्रा को मॉनीटर करेगा;
(9) सुप.बीडी के प्रज्ञापन के अधीन आईआरएस संगठन के सक्रिय अनुभागों, शाखाओं प्रभागों, इकाइयों एवं समूहों से कार्मिक, आपूर्तियों एवं उपकरण के लिए माँग करेगा तथा अनुक्रिया करेगा;
(10) आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मानव संसाधन सहायता की माँग करेगा। इन सहायकों को विभिन्न प्रकार्यात्मक गतिविधियों जैसे संसाधन आदेश, संसाधन प्राप्ति एवं औजार तथा उपकरण रख–रखाव के लिए तैनात किया जा सकता है;
(11) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा सुप.बीडी को भेजेगा; और
(12) एलएससी या सुप.बीडी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

क. संसाधन आदेश इंचार्ज की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

संसाधन आदेश इंचार्ज

(1) आरपीयूएल को रिपोर्ट करेगा;
(2) प्रापण किए जाने वाले संसाधनों की एक सूची तैयार करेगा तथा उसका अनुमोदन प्राप्त करेगा;
(3) निर्धारित कार्यविधि के अनुसार समयबद्ध तरीके से संसाधन आदेश करेगा;
(4) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा आरपीयूएल को भेजेगा; और
(5) आरपीयूएल द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

ख. संसाधन प्राप्ति वितरण इंचार्ज की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

संसाधन प्राप्ति एवं वितरण इंचार्ज

(1) आरपीयूएल को रिपोर्ट करेगा;
(2) उन सभी संसाधनों एवं सेवाओं की प्राप्ति तथा वितरण करेगा जो आदेश किए गए हैं;
(3) आपूर्तियों एवं उपकरण के लिए समय एवं स्थानों की पहचान तथा सुनिश्चित करेगा;
(4) सरकार के संबंधित विभागों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त संसाधनों की अलग सूची बनाएगा;
(5) आपूर्ति क्षेत्र के लिए भौतिक लेआउट की व्यवस्था करेगा;
(6) आपूर्तियों एवं उपकरण को प्राप्त करने तथा वितरित करने के लिए फाइल व्यवस्था स्थापित करेगा तथा आरपीयूएल को सूचित करता रहेगा;
(7) सुरक्षा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करेगा;
(8) आपूर्तियों की अवस्था तथा प्राप्त उपकरणों के बारे में संसाधन आदेश इंचार्ज को सूचित करेगा;
(9) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपाति विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा और आरपीयूएल को भेजेगा; और
(10) आरपीयूएल द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

ग. औजार एवं उपकरण विशेषज्ञ की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

औजार एवं उपकरण विशेषज्ञः

(1) आरपीयूएल को रिपोर्ट करेगा;
(2) सेवा का पर्यवेक्षण करेगा तथा सभी औजारों एवं उपकरण की मरम्मत करेगा तथा उनकी स्थिति के बारे में आरपीयूएल को सूचित करता रहेगा;

(3) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा; और

(4) आरपीयूएल द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.2.2 सुविधा इकाई लीडर (फैक. यूएल) की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

फैक. यूएलः

(1) दुर्घटना सुविधा के लेआउट तथा सक्रियण की तैयारी करेगा, उदाहरणतः दुर्घटना बेस, कैंप, राहत कैंप, आईसीपी आदि और अनुक्रियकों के लिए मूल सुख–सुविधा प्रदान करेगा;

(2) सुप.बीडी को रिपोर्ट करेगा;

(3) आईएपी के अनुसार विभिन्न सुविधाओं को स्थापित करेगा;

(4) अनुभाग की योजना सभा में भाग लेगा, एलएससी के समन्वयन में प्रत्येक सुविधा तथा उसकी आवश्यकताओं के लिए सूची तैयार करेगा;

(5) दुर्घटना बेस एवं कैंप आदि पर सुविधाओं को मॉनीटर करने तथा प्रबंधित करने की आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कार्मिक सहायता की माँग करेगा;

(6) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा सुप. बीडी को भेजेगा; और

(7) सुप. बीडी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

क. फैक. यूएल के अधीन अन्य इंचार्ज

आवश्यक व्यवस्थाओं की घोरता तथा विस्तार के अनुसार फैक यूएल को विविध सुविधाओं के अनुरक्षण तथा उनकी सुरक्षा के लिए अन्य इंचार्ज की तैनाती की आवश्यकता पड़ सकती है। विविध अन्य इंचार्ज तथा उनकी भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैंः

सुविधा अनुरक्षण इंचार्ज की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

सुविधा अनुरक्षण इंचार्ज

(1) यह सुनिश्चित करेगा कि उचित शयन तथा विश्राम सुविधाओं की व्यवस्था है;

(2) शौचालय, स्नानगृह एवं साफ–सफाई की व्यवस्था करेगा;

(3) प्रकाश की व्यवस्था करेगा;

(4) दुर्घटना बेस, कैंप, राहत कैंप, आईसीपी आदि में सामान्य साफ–सफाई की व्यवस्था करेगा;

(5) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा फैक. यूएल को भेजेगा; और
(6) फैक.यूएल द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

सुरक्षा इंचार्ज की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

सुरक्षा इंचार्ज

(1) तैनात संसाधनों जिसमें आवश्यक स्थानों एवं राहत कैंपों पर अनुक्रियक, राहत सामग्रियाँ शामिल हैं, के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा;
(2) आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क स्थापित करेगा;
(3) आवश्यकता पड़ने पर कार्य समनुदेशनों को संपादित करने के लिए कार्मिक सहायता की माँग करेगा;
(4) दुर्घटना सुविधाओं के लिए सुरक्षा योजना का समन्वयन करेगा;
(5) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा फैक.यूएल को भेजेगा; और
(6) फैक.यूएल द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.2.3 जमीनी सहायता लीडर (जीएसयूएल)

जीएसयूएलः

(1) सुप.बीडी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा;
(2) टीबीडी के क्षेत्र प्रचालनों के लिए परिवहन सेवाएँ प्रदान करेगा;
(3) वायु प्रचालनों के सक्रिय होने के केस में, टीबीडी द्वारा आवश्यक जमीनी सहायता की व्यवस्था करेगा तथा प्रदान करेगा;
(4) उचित प्रक्रिया के अनुसार दुर्घटना प्रबंधन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी वाहनों एवं उपकरणों के लिए अनुरक्षण तथा मरम्मत सेवाएँ प्रदान करेगा तथा सुप.बीडी एवं एलएससी के द्वारा संबंधित विभागों को सूचित करता रहेगा;
(5) दुर्घटना यातायात योजना को विकसित तथा कार्यान्वित करेगा;
(6) सभी वाहनों एवं उपकरण की उपलब्धता तथा प्रयोज्यता के बारे में संसाधन इकाई को सूचित करेगा;
(7) सुप.बीडी के परामर्श से सभी परिवहनों जिसमें वायुयान भी शामिल हैं, के लिए ईंधन की आवश्यकताओं की व्यवस्था करेगा तथा सक्रिय करेगा;
(8) समनुदेशित, उपलब्ध एवं ऑफ रोड या आउट ऑफ सर्विस संसाधनों की वस्तु–सूची बनाएगा;

(9) अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेगा;
(10) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा; और
(11) सुप.बीडी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.3 वित्त शाखा निदेशक (एफबीडी) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

एफबी अनुक्रिया प्रबंधन के सभी वित्तीय पहलुओं की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। एफबी को एलएस के अधीन त्वरित तथा प्रभावी प्रापण के लिए रखा गया है। सभी वित्तीय संचालनों में नियत अध्यवसाय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है तथा उचित कार्यविधि का अनुसरण करने की आवश्यकता है। इस शाखा में कार्य करने के लिए सुविज्ञ तथा अनुभवी कार्मिक जो वित्तीय नियमों से अभिज्ञ है, का चयन किया जाएगा तथा चयन प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरती जाएगी।

एफबीडीः
(1) एलससी के अधीन करेगा;
(2) योजना सभाओं में उपस्थित रहेगा;
(3) आईएपी के अनुसार उन संसाधनों की सूची तैयार करेगा जिन्हें लामबंद, प्रापण या किराए पर लेना है। वित्तीय नियमों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करेगा तथा बिना देर किए उनके प्रापण के लिए कदम उठाएगा;
(4) यह सुनिश्चित करेगा कि किराए पर लिए गए उपकरण, कार्मिकों तथा उनकी सेवाओं के समय रिकार्ड सरकारी प्रतिमानक के अनुसार भुगतान के लिए यथार्थतः अनुरक्षित किए गए हैं;
(5) संपूर्ण अनुक्रिया गतिविधि जिसमें अलामबंदी भी शामिल है, में शामिल लागत का परीक्षण तथा संवीक्षा करेगा, लागत प्रभाविकता का विश्लेषण करेगा तथा एलएससी को सूचित करता रहेगा;
(6) यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्घटना में शुरू किए गए सभी दायित्व प्रलेख उचित रूप से तैयार, पूर्ण, सत्यापित तथा उचित अनुभाग अध्यक्ष तथा बीडी द्वारा हस्ताक्षरित हैं;
(7) एलससी या आईसी को सभी दुर्घटना से संबंधित वित्तीय मामलों जिन पर ध्यान देने या अनुसरण करने की आवश्यकता है, के बारे में तथ्य–सार प्रस्तुत करेगा;
(8) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा; और
(9) एलएससी या आईसी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.3.1 समय इकाई लीडर (टीयूएल) की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

टीयूएलः

(1) किराए पर लिए गए उपकरणों तथा कार्मिकों का समय रिकार्ड रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि इसे नियमित रूप से तथा सरकारी प्रतिमानकों के अनुसार अनुरक्षित किया जा रहा है;

(2) सभी किराए पर लिए गए उपकरणों तथा कार्मिकों के लॉग का उनके इष्टम उपयोग के संबंध में परीक्षण करेगा;

(3) किराए पर लिए गए संसाधनों के अलामबंदी के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि सभी रिकार्ड सही एवं पूर्ण हैं;

(4) वर्तमान समस्याओं का एफबीडी के समक्ष बकाया मामलों पर संस्तुति और आवश्यक अनुवर्तन के साथ तथ्य–सार प्रस्तुत करेगा;

(5) आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिए मानव संसाधनों की अतिरिक्त मदद की माँग करेगा;

(6) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा; और

(7) एफबीडी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.3.2 प्रापण इकाई लीडर (पीयूएल) की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

पीयूएलः

(1) विक्रेताओं तथा ठेकों से संबंधित सभी वित्तीय मामलों को निपटाएगा;

(2) एफबीडी के परामर्श से प्रापण आवश्यकताओं की समीक्षा करेगा;

(3) उन विक्रेताओं की सूची तैयार करेगा जिनसे प्रापण किया जा सकता है तथा उचित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा;

(4) सभी आदेशित प्रापणों की समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा;

(5) आवश्यकतानुसार अग्रदाय निधियों के प्रयोग के लिए एफबीडी के साथ समन्वय करेगा;

(6) अनुक्रिया प्रबंधन के सभी बिलों की अंतिम प्रक्रिया को पूर्ण करेगा तथा एफबीडी, एलएससी एवं आईसी के अनुमोदन के साथ भुगतान के लिए प्रलेख भेजेगा;

(7) वर्तमान समस्याओं का एफबीडी के समक्ष बकाया मामलों पर संस्तुति और आवश्यक अनुवर्तन के साथ तथ्य–सार प्रस्तुत करेगा;

(8) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा एफबीडी को भेजेगा; और

(9) एफबीडी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.3.3 प्रतिपूर्ति / दावा इकाई लीडर (कॉ./सीयूएल) की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

डीएम एक्ट 2005, धारा 65 एवं 66 प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए उपबंधित करती है। आपदा अनुक्रिया एवं बचाव प्रचालनों आदि के लिए अधियाचित परिसरों, किराए की सेवाओं संसाधनों एवं वाहनों का भुगतान भी करना होगा। सरकार नुकसान के विस्तार एवं मात्रा के अनुसार अनुग्रह–राशि का भुगतान करने का भी निर्णय ले सकती है। विभिन्न परिदृश्यों जैसे बाढ़, सूखा आदि, में नुकसान के स्तर को निर्धारित करने के लिए कुछ तल–चिह्न हैं। जबकि कुछ राज्यों के पास अपने स्वयं के प्रतिमानक हैं, इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने सीआरएफ प्रतिमानक निर्धारित किए हैं जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि दुर्घटना इस प्रकार की है कि प्रतिपूर्ति एवं दावों से संबंधित भुगतान करने की आवश्यकता है तो आईसी आरओ के परामर्श से एक प्रतिपूर्ति/दावा इकाई को सक्रिय करेगी तथा संबंधित सरकारी प्रतिमानकों एवं निदेशनों (सीआरएफ प्रतिमानक–अनुलग्नक 8 में अनुलग्न) द्वारा प्रदत्त के अनुसार जीवन एवं संपत्ति आदि के नुकसान के आँकड़ों को एकत्रित करने तथा संकलित करने के लिए एक लीडर नियुक्त करेगा। इस प्रकार के केसों में लीडर को नुकसानों के फोटोग्राफ लेने तथा मृत पीड़ितों एवं जानवरों के भी फोटोग्राफ लेने की सलाह दी जानी चाहिए। वह अध्यिाचित परिसरों, सेवाओं तथा किराए पर लिए गए संसाधनों जिनके भुगतान किए जाने हैं, का व्यौरा संकलित करेगा। इन व्यौरों को आईसी के द्वारा आरओ को आगे आवश्यक आदेशों तथा भुगतान के लिए भेजा जाना चाहिए।

कॉम./सीयूएलः

(1) सभी लागत आँकड़े एकत्रित करेगा तथा लागत प्राक्कलन करेगा;

(2) अध्यियाचित परिसरों, सेवाओं, संसाधनों एवं वाहनों आदि की सही दिनांक तथा इस प्रकार की अधियाचना के समय के साथ एक सूची तैयार करेगा तथा अनुरक्षित करेगा।

(3) दावों एवं प्रतिपूर्तियों की तैयारी के लिए उचित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा;

(4) आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मानव संसाधनों की माँग करेगा;

(5) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा एफबीडी को भेजेगा; और

(6) एफबीडी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

8.2.3.4 लागत इकाई लीडर (सीयूएल) की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

सीयूएल सभी लागत आँकड़ों को एकत्रित करने तथा लागत प्राक्कलन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। अनुक्रिया के अंत में सीयूएल लागत प्रभाविकता विश्लेषण प्रदान करता है।

सीयूएलः

(1) लागत विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर एफबीडी के परामर्श से दुर्घटना लागत सार विकसित करेगा;

(2) एफबीडी को लागत–सुरक्षा संस्तुतियाँ करेगा;

(3) अलामबंदी से पहले वित्तीय मामलों से संबंधित सभी रिकार्डों को पूरा करेगा;

(4) आईआरएस फार्म–004 (अनुलग्नक 4 में अनुलग्न) के अनुसार संपादित विविध गतिविधियों के रिकार्ड रखेगा तथा एफबीडी को भेजेगा; और

(5) एफबीडी द्वारा नियत किसी अन्य कार्यभार को संपादित करेगा।

अध्याय – 9
कार्य बिंदुओं के सार

9.1 समयसीमा के साथ कार्य बिंदु

आईआरएस राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा अनुक्रिया के एक महत्त्वपूर्ण भाग का गठन करता है। ये निर्देशतत्व राज्यों और जिलों की उनकी आपदा अनुक्रिया में मदद करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जानेगा कि सभी को क्या करना है तथा कौन कमांड में है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात टीम के सदस्यों को उनकी संबंधित भूमिकाओं में प्रशिक्षित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियत जिम्मेदारियों के साथ समयबद्ध रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

9.2 6 महीने से 2 वर्षों तक की समयसीमा

इन निर्देशतत्वों के जारी करने के तुरंत बाद निम्नलिखित कार्यवाहियों को 6 महीने से लेकर 2 वर्षों तक की समयसीमा के अंतर्गत समयबद्ध ढंग से किया जाएगा।

क्रमांक	कार्यवाहियाँ	जिम्मेदार एजेंसियाँ
1	आईआरएस को समाविष्ट करते हुए अनुक्रिया योजना तैयार करना। इस उद्देश्य के लिए राज्य डीएम योजना तैयार करने के लिए एनडीएमए के निर्देशतत्वों को निर्दिष्ट किया जाएगा।	एसईसी/राज्य सरकारें/ जिला प्रशासन
2	राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एटीआई एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में आईआरएस को समाविष्ट करना।	एसईसी/राज्य सरकार/एटीआई एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के मुखिया

क्रमांक	कार्यवाहियाँ	जिम्मेदार एजेंसियाँ
3	आईआरएस संगठनात्मक ढाँचे में विविध अवस्थाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त अधिकारियों की पहचान करना तथा राज्य, जिला, उप–मंडल तथा तहसील/ब्लॉक स्तरों पर निजी स्तरों पर स्थायी आदेशों के द्वारा आईआरटी का गठन करना;	एसडीएमए/एसईसी /राज्य सरकार/ जिला प्रशासन
4	प्रत्येक जिले में चार मुख्य संसाधन व्यक्तियों की उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए पहचान करना, जो क्रमशः संबंधित जिलों में आईआरएस पर स्वयं प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।	एसडीएमए/एसईसी /राज्य सरकार/ जिला प्रशासन
5	आईसीएस (अब रूपांतरित एवं आईआरएस के नाम से घोषित) पर विभिन्न राज्यों से अधिकारियों के प्रशिक्षण भारत में 2003 से चल रहे हैं। इस प्रकार के सभी प्रशिक्षित अधिकारियों की एक सूची प्रत्येक राज्य में उनके वर्तमान तैनाती स्थलों के साथ तैयार की जानी चाहिए। उस सूची को सभी संबंधित लोगों को आसानी से सुलभ होना चाहिए। इन अधिकारियों को अधिमानतः मास्टर प्रशिक्षक के रूप में तथा संबंधित राज्य के मुख्य संसाधन व्यक्ति के रूप में चयनित किया जा सकता है। एनडीएमए ने इस प्रकार के प्रशिक्षित अधिकारियों की सूची पहले से ही तैयार किया है तथा इसे एनडीएमए की वेबसाइट ॣण्दकउंण्हवअण्पदद्ध पर स्थित किया गया है। इसे राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट तथा अद्यतन किया जा सकता है।	एसडीएमए/एसईसी /राज्य सरकार/ जिला प्रशासन

क्रमांक	कार्यवाहियाँ	जिम्मेदार एजेंसियाँ
6	प्रत्येक जिले में मुख्य संसाधन व्यक्तियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण संकाय तथा मास्टर प्रशिक्षकों को विकसित करना। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न सेवाओं के छह इच्छुक तथा उपयुक्त अधिकारियों की पहचान की जाएगी तथा चयनित किया जाएगा जो राज्य के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में एनआईडीएम द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। राजय सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि उचित अधिकारियों को चयनित तथा प्रशिक्षित किया गया है।	एसडीएमए / राज्य सरकार / एनआईडीएम
7	राज्य के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर को अंतिम रूप देना। प्रत्येक राज्य में मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में 4 मुख्य संसाधन व्यक्तियों को अंतिम रूप से प्रशिक्षित करने के अंतिम उद्देश्य को संपादित करने के लिए आवश्यक है।	एनआईडीएम / राज्य सरकार / एसडीएमए / एसईसी
8	डीएम योजनाओं की प्रभावोत्पादकता की जाँच करने के लिए मॉक अभ्यास का आयोजन करना तथा आईआरएस के सिद्धांतों पर आईआरटी सदस्यों को सुग्राही करना। एनडीएमए इस प्रकार के मॉक अभ्यास का आयोजन तथा अनुरोध करने पर आईआरएस पर आईआरटी को सुग्राहीकृत करने के कार्य को गाइड करेगा।	एनडीएमए / राज्य सरकार / एसडीएमए / एसईसी / जिला प्रशासन
9	निर्देशतत्वों में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार प्रत्येक राज्य तथा जिले में ईओसी को मजबूत करना तथा निम्नलिखित के लिए आईटी सोल्यूशन की स्थापना को सुनिश्चित करनाः	एसडीएमए / सईसी / राज्य सरकार / जिला प्रशासन

क्रमांक	कार्यवाहियाँ	जिम्मेदार एजेंसियाँ
	(1) कमांड ढाँचे का मानकीकरण; (2) पूर्वसक्रिय योजना सुविधाएँ; (3) रणनीतिक तथा युक्तिक अनुक्रिया; (4) व्यापक संसाधन प्रबंधन; (5) जीआईएस, स्थितिक जागरूकता तथा निर्णय मदद; (6) बृहद् दुर्घटनाओं जिसमें सीबीआरएन आपात–स्थितियाँ भी शामिल हैं, के लिए हताहमों की भविष्यवाणी करने तथा संसाधनों की लामबंदी के लिए प्रतिरूपण क्षमता को बढ़ाना।	
9	राज्य में किसी भी आपात–स्थिति के लिए आवश्यकताओं से निपटने के लिए विद्यमान स्वतंत्र नेटवर्क के त्वरित तथा आसानी से जुड़ाव की योजना भी शामिल होनी चाहिए। संचार योजना में वैकल्पिक संचार सुविधाएँ जैसे एचएएम रेडियो, वायरलेस, सैटेलाइट फोन, स्काइप आदि शामिल होनी चाहिए।	एसडीएमए / एसईसी / राज्य सरकार / जिला प्रशासन / लाइन विभाग

9.3 मध्यावधि समयसीमा (2 वर्ष से 5 वर्ष)

देश के प्रत्येक जिले में चार मुख्य संसाधन व्यक्तियों को प्रदान करने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करीब 2500 मुख्य संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण आवश्यक होगा। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रत्येक राज्य सरकार के पास अपना मास्टर प्रशिक्षक हो जो क्रमशः अपने जिला स्तर मुख्य संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर सके। यद्यपि कुछ विशिष्ट गतिविधियों की सूची निम्नलिखित है जो दूसरे से लेकर 5वें वर्ष तक में पूरी हो जाएगी।

क्रमांक	कार्यवाहियाँ	जिम्मेदार एजेंसियाँ
1	राज्य सरकार को निम्नलिखित मात्रा में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण के लिए 6 अधिकारियों के चयन की आवश्यकता होगी। क) एडीएम / एसडीएम / एडिशनल एसपीः 2 ख) डिप्टी एसपी / एसडीपीओ / तहसीलदार / बीडीओ / जिला अग्नि अधिकारी / रिजर्व इंस्पेक्टर / पुलिस लाइन के सर्जेंट मेजर 2 ग) जिला चिकित्साधिकारी 1 घ) सहायक अभियंता / पीडब्ल्यूडी / पीएचडी / एवं या अन्य इस प्रकार के अधिकारी 1	राज्य सरकार / एसडीएमए / एनआईडीएम / एटीआई
2	करीब 210 मास्टर प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। एनआईडीएम ने प्रत्येक राज्य से पहले से ही प्रशिक्षण मास्टर प्रशिक्षकों का मार्ग–मानचित्र तैयार कर लिया है। यह अपने प्रशिक्षण कैलेंडर को अच्छी तरह से समंजित कर लेगा ताकि जल्दी से जल्दी मास्टर प्रशिक्षक सभी विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षित हो सकें। एनआईडीएम को आईआरएस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री को एनडीएमए द्वारा जारी आईआरएस निर्देशतत्वों के अनुसार पूर्ण करने की भी आवश्यकता होगी।	एनआईडीएम
3	आईआरएस पर प्रशिक्षण के एक सपं्ुट को राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाएगा।	एनडीएमए / एसडीएमए / एसईसी / राज्य सरकार / एनआईडीएम / एटीआई

क्रमांक	कार्यवाहियाँ	जिम्मेदार एजेंसियाँ
4	तैयारी के प्रयासों के रूप में राज्य सरकार सुनिश्चित करेगा कि आईआरएस स्थित है तथा प्रशिक्षित आईआरटी आपदा अनुक्रिया के लिए तैयार हैं। इस उद्देश्य के लिए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एटीआई तथा राज्य सरकार के अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में पर्यापत निधियों का आबंटन हुआ है तथा राज्य के वार्षिक बजट में आवश्यक बजट प्रावधान किया जाएगा।	राज्य सरकार / एसडीएमए / एसईसी
5	यह सुनिश्चित करना कि पूर्व–आपदा अवस्था में आईआरएस के विविध अधिकारियों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए योजना एवं अयोजना बजट द्वारा पर्याप्त निधि उपलब्ध है।	राज्य सरकार / एसडीएमए / एसईसी
6	प्रशासनिक व्यवस्था के क्षमता निर्माण के लिए 13वां वित्त आयोग (एफसी) के संस्तुत निधियों को उचित ढंग से खर्च किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए आबंटित निधियों का व्यौरा अनुलग्नक 16 में दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य एटीआई तथा राज्य सरकार के अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं की सहायता से संचालत किया अनुलग्न सीआरएफ प्रतिमानक पत्र सं. 32–34 / 2005 एनडीएम–1 / एमएचए जीओआई के क्रमांक सं. 25 में उल्लिखित निधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है।	राज्य सरकार / एसडीएमए / एसईसी

क्रमांक	कार्यवाहियाँ	जिम्मेदार एजेंसियाँ
7	राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर एनडीएमए एनआईडीएमएए एटीआई एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा जागरूकता के लिए निधियों की उपलब्धता के अनुसार इन निर्देशतत्वों में संस्तुत कुछ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित करेगा।	एसडीएमए / एसईसी / राज्य सरकार / एनआईडीएम / एटीआई / एनडीएमए
8	इन पाँच वर्षों में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन निर्देशतत्वों में परिचर्चित कार्यवाही बिंदुओं को कार्यान्वित किया गया है तथा समय–समय पर एनडीएमए को सूचित किया गया है।	एसडीएमए / एसईसी / राज्य सरकार / जिला प्रशासन

अनुलग्नक

अनुलग्नक – 1

दुर्घटना ब्रीफिंग – आईआरएस फार्म 001

यदि खाली स्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अलग शीट संलग्न करें।

1. दुर्घटना का नाम	
2. नक्शा रेखाचित्र (प्रभावित स्थल का व्यौरा दें)	
तैयारी दिनांक	तैयारी समय

स्त्रोतः आईसीएस फार्म 201 से रूपांतरित

शेष आगे........

3. वर्तमान कार्यवाही का सार

क) पहले से की गई कार्यवाही

ख) आगे की जाने वाली कार्यवाही

ग) अनुक्रिया, जिसमें संसाधनों एवं जनशक्ति की लामबंदी शामिल है, में होने वाली कोई भी समस्या

शेष आगे........

4. वर्तमान संगठन (आईआरटी के सक्रिय अनुभाग के बारे में तथ्य–सार)

क्रय अनुभागों/शाखाओं/इकाइयों की मुख्य विशेषताएँ

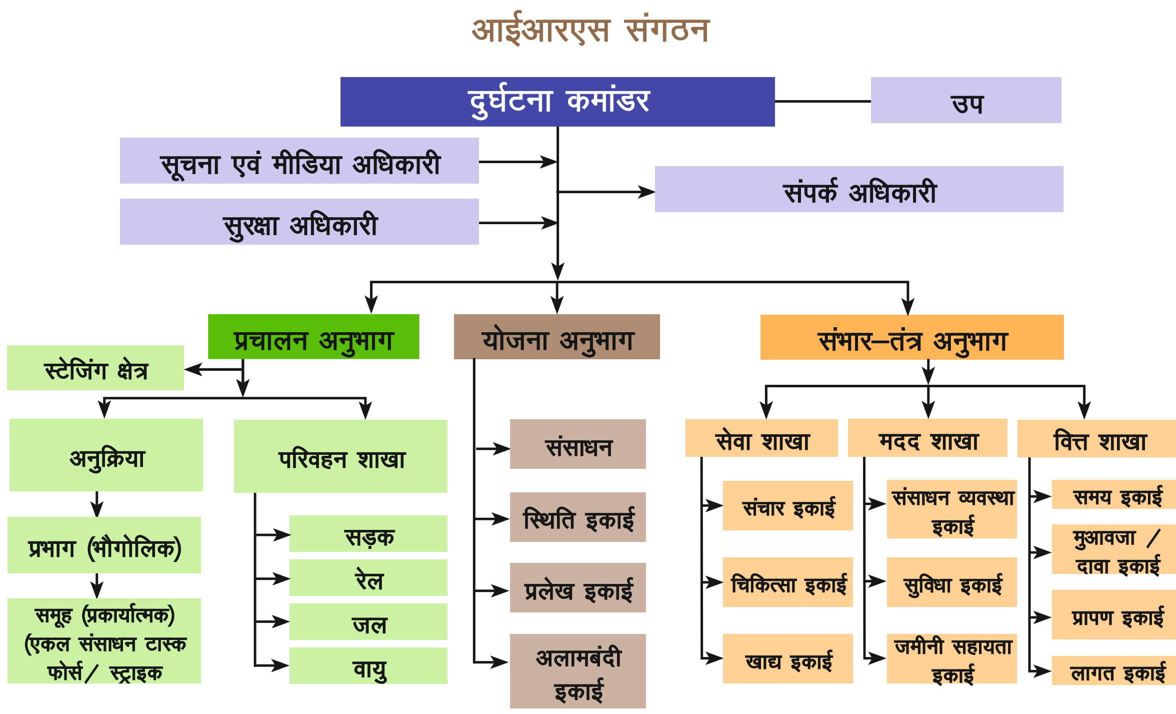

शेष आगे........

5. संसाधन सार				
आदेश किए गए संसाधन	स्रोत	ईटीए	तैनाती का स्थान	समनुदेशन

द्वारा तैयार (नाम एवं पद)

हस्ताक्षर

* ईटीएः पहुँचने का अनुमानित समय

अनुलग्नक – 2

दुर्घटना स्थिति सार (आईएसएस) – आईआरएस फार्म 002

(मुख्य घटक)

यदि खाली स्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अलग शीट संलग्न करें।

1. दुर्घटना का नाम :	2. आईआरटी का नामः	3. प्रचालन अवधि	4. तैयार दिनांक समय

5. आईसी का नाम : ______________ 6. फोन नं. : ______________

7. वर्तमान स्थिति (हताहतों की संख्या)

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)			
स्थान	घायल	उपचारित	मुक्त	निर्दिष्ट रोगी (अस्पताल तथा स्थान के नाम का ब्यौरा दें)	मृत	पहचाने दाहसंस्कार/ दफनाए गए शव	पहचाने नहीं गए शव

8. आधारित संरचना की स्थिति *(सही का चिह्न लगाएँ)*

(क) आधारिक संरचना	(ख) क्षतिग्रस्त नहीं	(ग) आंशिकतया क्षतिग्रस्त	(घ) पूर्णतया क्षतिग्रस्त
सड़क			
रेलवे			
हवाई अड्डा			
जल आपूर्ति			
विद्युत आपूर्ति			
संचार नेटवर्क			
सामुदायिक/ संकटकालीन आधारिक संरचना			
आवास			
अन्य कोई			

9. वे खतरे जो दुर्घटना की गंभीरता को बढ़ा सकते हैं, को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

____

____

____

____

____

____

शेष आगे.......

10. अनुक्रिया के लिए तैनात संसाधन एवं उनके विवरण

(क)	(ख)				(ग)		(घ)
स्थान	संसाधन				शामिल ईएसएफ		गतिविधियां
	मानव संसाधन	उपकरण			सरकारी	गैर–सरकारी	
		वर्ग	प्रकार	मात्रा			

11. अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता

(क)			(ख)
संसाधन का ब्यौरा			लामबंदी का स्रोत
वर्ग	प्रकार	मात्रा	

12. टिप्पणी (यदि कोई हो) :

13. उस अधिकारी का नाम एवं पद जिसने इसे तैयार किया ________________________

स्रोत : आईसीएस फार्म 209 से रूपांतरित

अनुलग्नक – 3

यूनिट लॉग – आईआरएस फार्म 003

(मुख्य घटक)

यदि खाली स्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अलग शीट संलग्न करें।

1. दुर्घटना का नाम	2. अनुभाग का नाम	3. प्रचालन अवधि :	4. तैयार	
			दिनांक :	
			समय :	
5. इकाइयों के नाम	6. संसाधनों को समनुदेशित कार्य	7. स्थान के नाम	8. कार्य की स्थिति	
			(क) पूर्ण	(ख) अपूर्ण

9. उस दुर्घटना /आकस्मिक घटना/ मौसम दशाओं का ब्यौरा दें जो दुर्घटना की गंभीरता को बढ़ा सकती है।		
(क)	(ख)	(ग)
समय	स्थान	की गई या सुझाव दी गई कार्यवाही
10. उस अधिकारी का नाम एवं पद जिसने इसे तैयार किया		

स्रोत : आईसीएस फार्म 214 से रूपांतरित

अनुलग्नक – 4

संपादित गतिविधियों का रिकार्ड – आईआरएस फार्म 004

(मुख्य घटक)

यदि खाली स्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अलग शीट संलग्न करें।

1. दुर्घटना का नाम ________________	**2. अनुभाग का नाम** ________________	**3. तैयार** दिनांक : समय :

4. अनुभाग का नाम : ________________

शाखा/ प्रभाग/ इकाई का नाम : ____________

5. उन सुविधाओं *(आईसीपी/ दुर्घटना बेस/ कैंप/ राहत कैंप/ स्टेजिंग क्षेत्र/ चिकित्सा कैंप/ हेलीबेस/ हैलीपैड/ अन्य कोई)* **का नाम जहां पर प्रभाग या इकाई तैनात है (सही स्थान का ब्यौरा दें)**

____

6. समनुदेशित कार्य	**7. कार्य की स्थिति** *(सही का चिह्न लगाएं)*	
	(क)	(ख)
	पूर्ण	अपूर्ण

8. की गई अनुक्रिया और कार्यवाही के दौरान हुई कोई दुर्घटना / आकस्मिक घटना	
(क)	(ख)
दुर्घटना / आकस्मिक घटना (यदि कोई हो तो ब्यौरा दें)	की गई कार्यवाही

9. उस अधिकारी का नाम एवं पद जिसने इसे तैयार किया *(नाम, पद एवं अनुभाग का ब्यौरा दें)* ____________ ____________ ____________ *(अनुभाग के अधीन सभी अनुक्रियकों द्वारा तैयार किया गया)*	**10. प्रेषण :** दिनांक : ____________ समय : ____________ ____________________ **11. प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर**

अनुलग्नक – 5

संगठन समनुदेश सूची – आईआरएस फार्म 005

(मुख्य घटक)

यदि खाली स्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अलग शीट संलग्न करें।

यह समनुदेशन सूची आईएपी के अनुसार तैयार की जाएगी तथा प्रत्येक प्रचालन अवधि की शुरूआत में सभी अनुक्रियकों एवं पर्यवेक्षक कर्मचारियों के बीच संबंधित अनुभागाध्यक्ष के द्वारा वितरित की जाएगी।

1. दुर्घटना का नाम ______________	**2. अनुभाग का नाम** ______________	**3. तैयार** दिनांक : समय :
4. उस अनुभाग का नाम जिसे कार्य समनुदेशित किया गया है : ______________		
5. संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी का नाम : ______________		
6. अनुक्रियक का नाम : ______________		
7. समनुदेशित किए गए कार्य की सूची (क) ______________ (ख) ______________ (ग) ______________ (घ) ______________ (ङ) ______________ (च) ______________ (छ) ______________ (ज) ______________ (झ) ______________		
8. उस अधिकारी का नाम एवं पद जिसने इसे तैयार किया:	**9. द्वारा अनुमोदित**	

स्रोत : आईसीएस फार्म 203 से रूपांतरित

अनुलग्नक – 6

दुर्घटना चेक–इन एवं तैनाती सूची – आईआरएस फार्म 006

(मुख्य घटक)

यदि खाली स्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अलग शीट संलग्न करें।

1. दुर्घटना का नाम ____________	2. अनुभाग/शाखा/प्रभाग/इकाई एवं सुविधा का नामः ____________	3. प्रचालन अवधि ____________	4. तैयार दिनांक : समय :

5. संसाधन चेक–इन सूचना			6. लामबंदी का स्रोत		7. चेक–इन		8. संसाधनों की स्थिति				
(क)	(ख)		(क)	(ख)	(क)	(ख)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
व्यक्तिगत	उपकरण		सरकारी	निजी	दिनांक	समय	यदि अभी भी सुविधा में है	रुग्ण/सेवा से बाहर/अनुरक्षण	यदि तैनात किया गया है तो स्थान का गंतव्य (ब्यौरा दें)	दिनांक	समय
	वर्ग	समय					*सही का चिह्न लगाएँ*				

9. उस अधिकारी का नाम एवं पद जिसने इसे तैयार किया ____________________________

स्रोत : आईसीएस फार्म 211 से रूपांतरित

अनुलग्नक – 7

ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची – आईआरएस फार्म 007

(मुख्य घटक)

यदि खाली स्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अलग शीट संलग्न करें।

इसे सभी अनुभागों द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा तथा आईसी द्वारा आरओ को भेजा जाएगा।

1. दुर्घटना का नाम	2. अनुभाग/शाखा/प्रभाग/इकाई का नाम (ब्यौरा दें):	3. प्रचालन अवधि	4. तैयार दिनांक : समय :

क्रमांक	5. अधिकारी का नाम	6. सामान्य अवधि से पदनाम	7. फोन नं./ई–मेल आईडी	8. दुर्घटना के लिए आईआरएस का पद	9. तैनाती का स्थल	10. कैंप का गंतव्य एवं संपर्क ब्यौरा	11. कोई अन्य सूचना

12. उस अधिकारी का नाम एवं पद जिसने इसे तैयार किया :	13. अनुभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर	14. प्रेषण दिनांक : समय :

अनुलग्नक – 8

चिकित्सा योजना – आईआरएस फार्म 008

(मुख्य घटक)

यदि खाली स्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अलग शीट संलग्न करें।

1. दुर्घटना का नाम	2. प्रचालन अवधि	3. तैयार	4. स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा सहायता कैंपों की कुल संख्या
____________	____________	दिनांक :	
		समय :	

4.1 क्रमांक	4.2 गंतव्य	4.3 चिकित्सा कैंप में उपलब्ध संसाधन							
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)		(ङ)		(च)
		चिकित्सा अधिकारियों की संख्या	पैरा–चिकित्सकीय कर्मचारियों की संख्या	अन्य (एएनएम एवं प्रशिक्षित स्वयंसेवक) ब्यौरा दें	जीवनरक्षक दवाएं/उपकरण		निर्दिष्ट सेवाओं एवं ब्लड बैंक की सुविधा		अन्य कोई (ब्यौरा दें)
					हां	नहीं	हां	नहीं	

5. एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति				6. नियमित चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता (संख्या का ब्यौरा दें)										
(क)	(ख)	(ग)		6.1 सरकारी					6.2 निजी					
एंबुलेंस सेवा प्रदाता का नाम	पता एवं संपर्क नं.	पैरा–चिकित्सकीय		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
			नहीं	गंतव्य	उपकेंद्र	पीएचसी	अस्पताल	मेडिकल कॉलेज	गंतव्य	क्लीनिक	नर्सिंग होम	अस्पताल	मेडिकल कॉलेज	आरएमपी

7. एंबुलेंस सेवाओं के बीच वितरित क्षेत्र का सड़क मानचित्र		8. पड़ोस में उपलब्ध निर्दिष्ट चिकित्सा सेवाएं		
(क)	(ख)	(क)	(ख)	(ग)
हां	नहीं	गंतव्य	पता	विशेषज्ञता

9. उस अधिकारी का नाम एवं पद जिसने इसे तैयार किया :	10. द्वारा अनुमोदित
____________	____________

स्रोत : आईसीएस फार्म 206 से रूपांतरित

अनुलग्नक – 9

संचार योजना – आईआरएस फार्म 009

(मुख्य घटक)

यदि खाली स्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अलग शीट संलग्न करें।

1. दुर्घटना का नाम	**2. प्रचालन अवधि**	**3. तैयार**
______________________	______________________	दिनांक :
		समय :

3. उन स्थानों की सूची जहां पर संचार उपलब्ध है

(क)	(ख)	(ग)		(घ)								
स्थान का नाम	संगठन	बैकअप विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता		संचार के प्रकार								
				वायरलेस			टेलीफोन			एचएएम रेडियो	वेब	
				एचएफ	वीएचएफ	मोर्स	लैंडलाइन	मोबाइल	सैटेलाइट		ई–मेल	स्काइप
		हां	नहीं									

4. उन स्थानों की सूची जहां पर संचार स्थापित किए जाने की आवश्यकता है

(क)	(ख)	(ग)		(घ)		(ङ)								
स्थान का नाम	जिम्मेदार संगठन	बैकअप विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता		व्यक्तिगत आवश्यकता (यदि आवश्यक हो तो संख्या का ब्यौरा दें)		संचार के प्रकार								
						वायरलेस			टेलीफोन			एचएएम रेडियो	वेब	
						एचएफ	वीएचएफ	मोर्स	लैंडलाइन	मोबाइल	सैटेलाइट		ई–मेल	स्काइप
		हां	नहीं	हां	नहीं									

5. खराब सेटों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन की व्यवस्था :	**6. स्टॉक में उपलब्ध सेट (संख्या, वर्ग एवं प्रकार का ब्यौरा दें) :**
______________________	______________________
______________________	______________________

7. स्थानीय सेटअप के साथ अंर्त–संगठनात्मक संचार सुविधाओं को समन्वित करने के लिए नेटवर्किंग योजना (सेना/एनडीआरएफ, आदि) – यद्यपि रीपीटर या रीले सेटअप की आवश्यकता है या नहीं	**8. पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण के लिए परिवहन की आवश्यकता**

9. उस अधिकारी का नाम एवं पद जिसने इसे तैयार किया : ______________________

स्रोत : आईसीएस फार्म 205 से रूपांतरित

अनुलग्नक – 10

अलामबंदी योजना – आईआरएस फार्म 010

(मुख्य घटक)

यदि खाली स्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अलग शीट संलग्न करें।

<table>
<tr><td rowspan="3">1. दुर्घटना का नाम
________</td><td colspan="3" rowspan="3">2. अलामबंदी किए जाने वाले अनुभाग/शाखा/प्रभाग/इकाई का नाम (ब्यौरा दें)
________</td><td colspan="2" rowspan="3">3. प्रचालन अवधि
________</td><td colspan="2">3. तैयार</td></tr>
<tr><td colspan="2">दिनांक :</td></tr>
<tr><td colspan="2">समय :</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5. अनुक्रियक का नाम/अलामबंदी किए जाने वाले संसाधनों का ब्यौरा</td><td rowspan="2">6. वह स्थान जहां से अलामबंदी होगी</td><td rowspan="2">7. दिनांक एवं समय</td><td rowspan="2">8. परिवहन का प्रकार</td><td rowspan="2">9. पारगमन गंतव्य यदि कोई है</td><td rowspan="2">10. अंतिम गंतव्य तथा उस एजेंसी का नाम जिसे वापस किया गया</td><td colspan="2">11. अंतिम गंतव्य एजेंसी अधिसूचित है या नहीं</td></tr>
<tr><td>हां</td><td>नहीं</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">12. आउट–ऑफ–सर्विस उपकरण तथा बीमार कर्मिकों के लिए लामबंदी योजना</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td>(ख)</td><td>(ग)</td><td>(घ)</td><td>(ङ)</td><td>(च)</td><td colspan="2">(छ)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">बीमार कार्मिकों के नाम/आउट–ऑफ–सर्विस उपकरण</td><td rowspan="2">वह स्थान जहां अलामबंदी होगी</td><td rowspan="2">दिनांक एवं समय</td><td rowspan="2">परिवहन का प्रकार</td><td rowspan="2">पारगमन गंतव्य यदि कोई हो</td><td rowspan="2">अंतिम गंतव्य एवं उस एजेंसी का नाम जिसे वापस किया गया</td><td colspan="2">अंतिम गंतव्य एजेंसी अधिसूचित है या नहीं</td></tr>
<tr><td>हां</td><td>नहीं</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">13. उस अधिकारी का नाम एवं पद जिसने इसे तैयार किया : ________ 14. द्वारा अनुमोदित किया गया : ________
15. द्वारा जारी किया गया : ________</td></tr>
</table>

स्रोत : आईसीएस फार्म 221 से रूपांतरित